लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र]
[Seventh Session]

[खंड 26 में अंक 21 से 30 तक हैं]
[Vol. XXVI contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

अंक 23, गुरुवार, 20 मार्च, 1969/29 फाल्गुन, 1890 (शक)
No. 23, Thursday, March 20, 1969/Phalguna 29, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
601. प्राथमिक कृषि समितियां	Primary Agricultural Societies	..	1—7
602. एक उद्योग में एक कार्मिक संघ	One Union in one Industry	..	7—10
603. आगामी पांच वर्षों में कृषि के लिये ऋण की आवश्यकतायें	Credit Requirements for Agricultural Purposes for Next Five Years	..	10—15
604. समस्त कृषि योग्य भूमि में खेती करना	Cultivation of Entire Cultivable Land		15—17
605. आकाशवाणी से तिब्बतियों के लिये कार्यक्रम का प्रसारण	Broadcast of Programme for Tibetans from All India Radio	..	18—19
अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.			
7. दिल्ली में नकली दवाइयां बेचने वालों का गिरोह	Spurious Drugs Racket in Delhi	..	19—24
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
606. फिल्म वितरण कार्यालय	Film Distribution Office	..	25
607. पत्रकारिता पर विदेशी प्रभाव	Foreign Influence on Journalism	..	25
608. रेडियो काश्मीर	Radio Kashmir	..	26
609. आयातित खाद्यान्नों की आवश्यकता	Requirement of Imported Foodgrains	..	26—27
610. खेतिहर श्रमिकों इत्यादि की कार्य करने की शर्तें	Working Conditions of Agricultural Labour etc.	..	27
611. राजस्थान में टेलीफोन बनाने का कारखाना	Telephone Manufacturing Factory in Rajasthan	..	27—28
612. हरियाणा में सूखा	Drought in Haryana	..	28

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		

613. गुजरात को चीनी का सम्भरण	Sugar Supply to Gujarat ..	28—29
614. मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति को अनिवार्य बनाना	Implementation of Recommendations of Wage Boards as obligatory ..	29
615. कारखाना निरीक्षणालयों के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग का प्रतिवेदन	Report of National Labour Commission on Factory Inspectorates etc. ..	29
616. उत्तर प्रदेश में बाजपुर और दौराला की दोनों चीनी मिलें	Sugar Mills of Bajpur and Durala in U. P. ..	29—30
617. बर्मा, श्रीलंका तथा पूर्वी अफ्रीकी देशों से लौटने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of repatriates from Burma, Ceylon and East African countries ..	30—32
618. पूर्व पाकिस्तान से आये हुये शरणार्थियों को पूर्निया में बसाना	Settlement of East Pakistan Refugees in Purnea ..	32—33
619. चारे का मूल्य	Cort of Fodder ..	33—35
620. वसूल की जाने वाली चीनी का मूल्य	Price of Levy Sugar	35
621. खाद्य उत्पादों की क्रय-विक्रय व्यवस्था	Marketing of Food Products ..	35
622. राष्ट्रीय बीज प्रयोगशाला की स्थापना	Setting up of National Seeds Laboratory ..	36
623. भारत में कृषि अनुसंधान	Agricultural Research in India ..	36—37
624. अहमदाबाद में रेलवेपुरा डाकखाना	Railwaypura Post Office at Ahmedabad ..	37
625. क्षार का भूमि पर प्रभाव	Effect of Salinity on Land ..	37—38
626. भारत के कृषि विशेषज्ञों का विदेशों को जाना	Diversion of Indian Agricultural Experts to Foreign countries ..	38—41
627. कुछ राज्यों में कृषि श्रमिकों की कमी	Scarcity of Agricultural Labourers in certain states ..	41
628. सीलोन ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन की भारत से व्यावसायिक विज्ञापन	Commercial advertisements from India to Ceylon Broadcasting Corporation ..	41

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
629. आकाशवाणी के हिन्दी कार्यक्रमों के प्रसारण के लिये स्वतंत्र विभाग	Independent Department for Broadcasting Hindi Programme of All India Radio ..	42
630. उत्तर प्रदेश में नये टेलीफोन कनेक्शन	New Telephone Connections in U. P. ..	42
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3722. आकाशवाणी का भक्ति गीत कार्यक्रम	Devotional Songs Programme of AIR ..	42—43
3723. सांगली रेडियो केन्द्र के कार्यक्रम प्रबन्धकों द्वारा ज्ञापन	Memoranda by Programme Executive at Sangli Radio Station ..	43
3724. उर्वरक तथा खाद्यान्नों के आयात के लिये भाड़ा	Freight for Import of Fertilizers and Foodgrains ..	43—44
3725. पत्तनों में भीड़ के कारण उर्वरक और खाद्यान्न वाले जहाजों का रोका जाना	Detention of Ships carrying Fertilizers and Foodgrains due to congestion in ports ..	44—45
3726. विदेशों से प्राप्त दुग्धचूर्ण	Milk Powder received from Foreign Countries ..	45—46
3727. श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारी	Staff Employed in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation ..	46
3728. मध्य प्रदेश को गेहूं की सप्लाई	Wheat Supply to Madhya Pradesh ..	46—47
3729. मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का मानचित्र	Drought Map of Madhya Pradesh	47
3730. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई सिंचाई योजनायें	Irrigation schemes sent by Madhya Pradesh Government ..	47—48
3731. भारतीय खाद्य निगम को चने और जौ की सप्लाई करने के लिये आढ़ती	Commission Agents for supply of Gram and Barley to Food Corporation of India ..	48—49
3732. भारतीय खाद्य निगम के आढ़ती	Commission Agents of Food corporation of India ..	49—50
3733. आकाशवाणी में वर्क्स मुंशी	Work Munshi in AIR ..	50
3734. महाराष्ट्र में चावल की आधुनिक मिलें	Modern Rice Mills in Maharashtra ..	50

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3735.	नवकेतन भवन निर्माण समिति, नई दिल्ली में गोल-माल	Bungling in Nav Ketan House Building Society, New Delhi ..	51
3736.	गढ़वाल में कृषि विश्वविद्या-लय	Agricultural University in Garhwal ..	51
3737.	नारवे से मछली पकड़ने वाली नौकाओं तथा उपकरणों का आयात	Import of Fishing Vessels and Fishing Equipment from Norway	52
3738.	पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा प्रतिवेदनों का प्रकाशन	Publication of Books, Magazines and Reports ..	52—93
3739.	बम्बई में टेलीविजन स्टेशन	Television Station at Bombay	53—54
3740.	मंत्रालय में फालतू कर्मचारी	Surplus Staff in Ministry ..	54
3741.	राजस्थान में चावल मिलें	Rice Mills in Rajasthan	54—55
3742.	राजस्थान में संचार व्यवस्था का विकास	Development of Communication System in Rajasthan ..	55
3743.	श्रीलंका से स्वदेश लौटने वाले व्यक्ति	Repatriates from Ceylon ..	55—56
3744.	तार सेवाओं में सुधार	Improvement in Telegraph Services ..	56
3745.	राज्य कर्मचारी बीमा योजना के औषधालयों का कार्य संचालन	Working of the Dispensaries of State Employees Insurance Scheme ..	57
3746.	सोयाबीन की उपज	Production of Soyabean ..	57—58
3747.	गुजरात को गेहूं की सप्लाई	Wheat Supply to Gujarat	58
3748.	गुजरात में भूमि बन्धक बैंक	Land Mortgage Banks in Gujarat ..	59
3749.	आन्ध्र प्रदेश में अधिक फसल देने वाली किस्म के बारे में कार्यक्रम	High Yielding variety programme in Andhra Pradesh ..	59—60
3750.	लक्कदीव में मत्स्यपालन का विकास	Development of Fisheries in Laccadives ..	60
3751.	उत्तर प्रदेश तथा मद्रास में टेलीफोन तथा डाकघर सुवि-धायें	Telephone and Post Office Facilities in U. P. and Madras ..	60

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

अता० प्र० संख्या	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3752.	खाद्यान्न के जमा भण्डार	Buffer Stock of Foodgrains ..	61
3753.	वसूली के मूल्यों का विलम्ब से भुगतान करने पर ब्याज	Interest on late payment of procurement Prices ..	61
3754.	रेडियो लाइसेंस	Radio Licences ..	61—62
3755.	बर्मा से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों को व्यापार के लिये ऋण	Business Loans to the Repatriates from Burma ..	62—63
3756.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के टोकन जारी करना	Issue of Milk Tokens by Delhi Milk Scheme ..	63
3757.	स्वतन्त्रता संग्राम के कुछ सेनानियों की स्मृति में डाक टिकट	Commemoration stamps on certain Freedom Fighters ..	63—64
3758.	कृषि योग्य भूमि	Cultivable land ..	64—65
3759.	भूमि संरक्षण	Soil Conservation	65
3760.	दिल्ली में जाली राशन कार्ड	Bogus Ration Cards in Delhi	65—66
3761.	अमरीका से आयातित गेहूं	Wheat Import from USA ..	66
3762.	वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन	Production of cash crops	66—67
3763.	शरणार्थियों का आर्थिक दृष्टि से पुनर्वास	Economic Rehabilitation of Refugees	67—69
3764.	फुल्टन शूगर वर्क्स लिमिटेड, बम्बई	Fulton Sugar Works Limited, Bombay ..	69—70
3765.	बेलापुर शूगर कम्पनी लिमिटेड, बम्बई	Belapur Sugar Company Ltd. Bombay ..	70—71
3766.	बौंड फिल्मों का आयात	Import of Bond Films ..	71—72
3767.	देश में डाक डिवीजन	Postal Divisions in the country ..	72—73
3768.	गन्ने की पेराई	Crushing of sugarcane ..	73—74
3769.	चीनी मिलों द्वारा विलम्ब से पेराई	Late crushing of Sugarcane by sugar mills ..	74—75
3770.	पुरी, उड़ीसा में बानपुर लोक कार्य क्षेत्र	Banpur Lok Karya Kshetra in Puri, Orissa..	75—76

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3771. ट्रंक काल मिलने में विलम्ब	Delay in putting trunk calls ..	76
3772. कोयला, अभ्रक तथा लौह अयस्क श्रमिकों के लिये संयुक्त कल्याण संस्थाएं	Common welfare complex for the coal, mica and iron ore labourers ..	76—77
3773. हैवी इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग का प्रतिवेदन	National Labour Commission Report on Heavy Engineering Industry ..	77
3774. जटनी, उड़ीसा में डाक तथा तार विभाग की इमारत और क्वार्टरों का निर्माण	Construction of P and T Building and Quarters at Jatni in Orissa ..	77—78
3775. केरल के बागान मजदूरों की न्यूनतम मजूरी	Minimum Wage of Plantation Labour in Kerala ..	78
3776. सुपर बाजार, नई दिल्ली	Super Bazars, New Delhi ..	78—79
3777. इंजीनियर प्रशिक्षुओं की नियुक्ति	Employment of Engineering Apprentices ..	79
3778. गुजरात राज्य में अनुसूचित जातियों के भूमिहीन श्रमिकों को बंजर भूमि का आवंटन	Allotment of waste land to Scheduled Caste Landless Labourers in Gujarat State ..	79—80
3779. राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रसारण	Election Broadcasts by Political Parties	80
3780. आकाशवाणी द्वारा प्रधान मंत्री के निर्वाचन संबंधी भाषणों के अंशों का प्रसारण	Coverage of Mid term Election Speeches of Prime Minister by All India Radio ..	80—81
3781. विमान द्वारा धान की बुवाई	Aerial sowing of Paddy ..	81
3782. भूमि सुधार व्यवस्था का लागू किया जाना	Enforcement of Land Reforms ..	81—82
3783. शरणार्थियों के पुनर्वास वित्त निगम द्वारा पश्चिमी बंगाल में स्थापित किये गये उद्योग	Industries set up in West Bengal by Rehabilitation Finance Corporation for Employment of Refugees ..	82
3784. बंगाल में कारखाना कर्मचारियों का बेरोजगार होना	Factory Workers Rendered unemployed in West Bengal ..	82—83
3785. पश्चिम बंगाल के पटसन मिल कर्मचारियों के रहन-सहन की दशा की जांच	Investigation into the living conditions of the Jute Mill Workers in West Bengal ..	83

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3786.	इंजीनियरी मजूरी बोर्ड के पंचाट की क्रियान्विति	Implementation of the Award of Engineering Wage Board ..	83
3787.	मत्स्यपालन का विकास	Development of Fisheries ..	84
3788.	आकाशवाणी के स्टाफ-आर्टिस्टों का वेतनमान	Pay Scale of Staff Artistes of All India Radio	84
3789.	प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के निर्वाचन सम्बन्धी भाषणों का प्रसारण	Broadcast of Election speeches by Prime Minister and other Ministers ..	84—85
3790.	भारतीय वर्गीकृत ऊन के द्वारा विदेशी मुद्रा की आय	Earning of Foreign Exchange through Indian Graded Wool ..	85
3791.	कीट नियंत्रण समिति	Pest Control Committee ..	85
3792.	राजस्थान में बेरोजगारी	Unemployment in Rajasthan ..	85—86
3793.	मध्य प्रदेश के पश्चिम निमाड जिले में बरवानी और खरगांव के बीच संचार प्रणाली	Communication system between Barwani and Khargaon, West Nimar, M. P. ..	86—87
3794.	कुंडापुर में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का यूनिट	Unit of Employees State Insurance Scheme at Coondapur ..	87
3795.	न्यूनतम मजूरी सम्बन्धी सलाहकार बोर्ड, मनीपुर के बारे में संघों का अभ्यावेदन	Representation of the Unions on the Advisory Board on Minimum Wage, Manipur ..	87—88
3796.	गंडक परियोजना के लिये सहायता	Assistance for Gandak Project ..	88
3797.	राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीजों का निर्यात	Export of seeds by National seeds Corporation ..	88—89
3798.	कृषि अनुसंधान संस्थाओं को प्रयोगशाला सम्बन्धी सुविधायें	Laboratory facilities for Agricultural Research Institutes ..	89—90
3799.	मनीपुर में भूमि बन्दोबस्त	Land Settlement in Manipur ..	90
3800.	मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में नये डाकघर	New post offices in certain districts of Madhya Pradesh and Bihar ..	90—91
3801.	मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती	Cultivatian of Soyabean in Madhya Pradesh	91

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3802.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा उड़ीसा में अनाज की खरीद	Purchase of Foodgrains in Orissa by Food Corporation of India ..	91
3803.	सुपर बाजार, नई दिल्ली	Super Bazar, New Delhi ..	92
3804.	अधिक उपज देने वाली किस्मों सम्बन्धी कार्यक्रम	High Yielding varieties Programme ..	92—93
3805.	गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के कार्य को प्रोत्साहन देने के लिये मत्स्य नौका का निर्माण	Manufacture of Trawlers for Promotion Deep Sea Fishing ..	93—94
3806.	आकाशवाणी में प्रसार प्रबन्धक	Transmission Executives in All India Radio	94—95
3807.	पुनर्वास के लिये ऋण	Loans for Rehabilitation ..	95
3808.	ट्रैक्टरों तथा विद्युतचालित हलों की मांग	Demand for Tractors and Power Tillers ..	95—98
3809.	दिल्ली में सटोरियों द्वारा टेलीफोनों का दुरुपयोग किये जाने के बारे में शिकायतें	Complaints regarding misuse of telephones by speculators in Delhi ..	98
3810.	दिल्ली-कानपुर टेलीफोन लाइन	Delhi-Kanpur Telephone Lines ..	98
3811.	दिल्ली में सटोरियों के टेलीफोनों को अन्य मीटर के साथ मिलाया जाना	Connection of Telephones of Speculators to other Meters in Delhi ..	98—99
3812.	चण्डीगढ़ में पोलट्री डैसिंग प्लांट	Poultry Dressing Plant in Chandigarh ..	99
3813.	राजस्थान में रक्षित भण्डार	Buffer Stock in Rajasthan ..	99—100
3815.	पशुओं की संख्या में वृद्धि पर नियंत्रण की योजना	Scheme for control of Growth of cattle population ..	100
3816.	ब्रज भाषा कार्यक्रम के विरुद्ध शिकायतें	Complaints againts Braj Bhasha Programme	100
3817.	चूहों द्वारा अनाज की क्षति	Damage to Foodgrains by Rats ..	100—101
3818.	भेड़ की नस्ल का विकास	Development of Sheep Breed ..	101

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3819. बम्बई की अहमद ग्रुपों की मिलें	Ahmad Group of Mills, Bombay ..	101—102
3820. दिल्ली प्रशासन में खजांचियों को विशेष वेतन का भुगतान	Payment of special pay to cashiers in Delhi Administration ..	102
3821. गोरक्षा समिति	Cow Protection Committee ..	102—103
3822. अनुशासन संहिता	Code of Discipline ..	103—104
3823. मनीपुर में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून को क्रियान्वित न करना	Non-Implementation of Legislative Provisions for ceiling on Holdings in Manipur ..	104
3824. मनीपुर के कुछ समाचार पत्रों के लिये अखबारी कागज	Newsprint Quota for certain News papers of Manipur ..	104—105
3825. महाराष्ट्र में डाक घर	Post Office in Maharashtra ..	105—106
3826. रुई के विकास के लिये योजना	Scheme for Development of Cotton ..	106—107
3827. अछाल्दा, इटावा में कौशलपुरी कोआपरेटिव सोसाइटी फार्म	Kaushalpuri Cooperative Society Farm in Achhalda, Etawah ..	107
3828. अनाज का राजकीय व्यापार	State Trading in Foodgrains ..	107—108
3829. बिहार में कीड़ों द्वारा फसलों की तबाही	Destruction of crops by insects in Bihar ..	108
3830. दिल्ली दुग्ध योजना के उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in the price of milk products by Delhi Milk Scheme ..	109—110
3832. रामकृष्णपुरम के सेक्टर संख्या 12 में दूध का डिपो	Milk Depot in Sector XII of R. K. Puram, New Delhi ..	110
3833. चुकन्दर से चीनी का उत्पादन	Production of Sugar from Beet ..	110
3834. बिहार में डाकघर	Post Offices in Bihar ..	110—111
3835. बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जंडाहा उप-डाकघर	Jandaha Sub-Post Office, District Muzaffarpur, Bihar ..	111
3836. खाने की आदतें बदलने सम्बन्धी समिति	Committee for change in Food Habits ..	112
3837. मध्य प्रदेश में बैटरियों की कमी	Shortage of Batteries in Madhya Pradesh ..	112

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3838.	देश में भूमिहीन मजदूरों की संख्या	Number of Landless Labourers in the country ..	112—113
3839.	केन्द्रीय भाण्डागार निगम	Central Warehousing Corporation ..	113
3841.	श्री गंगा नगर में सहकारी मिलें	Co-operative Sugar Mills in Sriganganagar	113—114
3842.	संसद सदस्यों द्वारा भेजे गये पत्रों के उत्तर	Replies to letter sent by M. Ps. ..	114
3844.	दूध के उत्पादन में वृद्धि के लिये कार्यवाही	Steps to increase milk production ..	114—115
3845.	ग्रामदान में प्राप्त गांवों का विकास	Development of Gramdan Villages ..	115
3846.	आकाशवाणी के 'टू डे इन पार्लियामेंट' और 'संसद् समीक्षा' कार्यक्रम	AIR Programme "Today in Parliament" and "Sansad Samiksha" ..	115—116
3847.	खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी	Minimum Wage for Agricultural labour ..	116—117
3848.	बिहार के दरभंगा जिले में टेलीफोन एवं तार की व्यवस्था	Telephone and Telegraph arrangements in Darbhanga District (Bihar) ..	117
3849.	इंजीनियरिंग उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड की सिफारिशें	Recommendation of the Wage Board for Engineering Industry ..	117—118
3850.	डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिये वर्दी	Uniforms for P and T Employees ..	118
3851.	सार्टिंग सेक्शन एस० आर० 143 और 145	Sorting sections S. R. 143 and 145 ..	118—119
3852.	डाक तथा तार विभाग के लिये मीटर लाइन पर डाक डिब्बों का छोड़ा जाना	Release of Meter Gauge Vans for P and T Department ..	119
3853.	विरुधनगर में रेलवे डाक सेवा का कार्यालय	R.M.S. Office at Virudhunagar ..	119—120
3854.	आकाशवाणी में इंजीनियरिंग पर्यवेक्षकों को अग्रिम वार्षिक वृद्धि	Advance Increments to Engineering Supervisors in All India Radio ..	120

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3855. बांदा और इलाहाबाद के बीच सीधा टेलीफोन सम्पर्क	Direct Telephone Link between Banda and Allahabad ..	120—121
3856. देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक घर	Village post office in the country ..	121
3857. पश्चिम बंगाल के लिये चीनी का कोटा	Sugar Quota for West Bengal ..	121
3858. फिल्मों के इश्तिहारों का सेंसर	Censor of Film Posters ..	122
3859. टेलीफोन बिल	Telephone Bills ..	122—123
3860. भारतीय खाद्य निगम में सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों की पुनः नियुक्ति	Re-employment of Railway Retired Officers in Food Corporation of India ..	123—124
3861. मजूरी बोर्ड	Wage Boards ..	124
3862. रुई में आत्मनिर्भरता	Self Sufficiency in Cotton ..	124—125
3863. माल डिब्बों की बुकिंग के बारे में उर्वरक व्यापारियों के अभ्यावेदन	Representations from Fertilizer Dealers regarding Booking of wagons ..	125—126
3864. आकाशवाणी में हिन्दी के शीघ्रलिपिकों को अग्रिम वेतन वृद्धि	Advance increment to Hindi Stenographers in AIR ..	126
3865. हिन्द टेलीप्रिन्टरों का निर्माण	Manufacture of Hindi Teleprinters ..	126
3866. उर्वरकों की राजसहायता प्राप्त कीमतों पर सप्लाई	Supply of Fertilizers at Subsidised price ..	127
3867. भारतीय खाद्य निगम द्वारा मध्य प्रदेश में गेहूं की वसूली	Wheat procured by Food Corporation of India in Madhya Pradesh ..	127—128
3868. वाणिज्यिक फसलों को प्रोत्साहन देने का जोरदार कार्यक्रम	Crash Programme for boosting commercial crops ..	128
3869. आकाशवाणी में प्रसार प्रबन्धक	Transmission Executives in All India Radio	128—129
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना–	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	
उत्तर प्रदेश विधान सभा में उर्दू में शपथ ग्रहण	Oath taking in U. P. Assembly in Urdu ..	129—136

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	.. 136—137
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	
छप्पनवां प्रतिवेदन	Fifty-Sixth Report	137
रतीबती कोयला खान में श्रमिकों को बचाने के बारे में वक्तव्य	Statements re-rescue of workers in Ratibati Colliery	.. 137—142
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	.. 137—142
सीमा शुल्क (संशोधन) अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प–अस्वीकृत हुआ और	Statutory Resolution re : Customs (Amendment) Ordinance—negatived and	
सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक	Customs (Amendment) Bill	.. 142—167
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	.. 145
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	.. 142—145
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	.. 145—146 163—166
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	.. 147—148
श्री वेदब्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	.. 148—149
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	.. 149—150
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee	.. 150—151
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	.. 151—152
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	.. 152—153
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu	.. 153—154
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himmatsinghka	.. 154—155
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra	.. 155—156
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani	.. 156—157
श्री नन्द कुमार सोमानी	Shri N. K. Somani	.. 157—159
श्री सीताराम केसरी	Shri Sita Ram Kesri	.. 159
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	.. 159—160
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkarlal Bohra	.. 160—161
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	.. 161—162
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	.. 162—163
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee—	
बत्तीसवां प्रतिवेदन	Thirty-second Report	.. 166

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री रघुरामैया	Shri Raghu Ramaiah	..	144
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	..	144
श्री पी० विश्वम्भरन	Shri P. Viswambharan	..	144—145
श्री गुणानन्द ठाकुर	Shri Gunanand Thakur	..	145
श्री झारखण्डे राय	Shri Jharkhande Rai	..	145—146
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	..	146
श्री सोनावने	Shri Sonavane	..	146
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	..	146—147
विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1969 पुरःस्थापित	Appropriation (No. 2) Bill, 1969-Introduced	..	151—154
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	..	151
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye		151— 152
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	..	152
श्री रंगा	Shri Ranga	..	152
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	..	152—153
श्री प्र० चं० सेठी	Shri P. C. Sethi	..	153—154
खंड 2, 3 अनुसूची तथा खण्ड 1	Clauses 2,3 the Schedule and Clause 1	..	154
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	..	154
आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour Discussion—	..	155
बोकारो इस्पात परियोजना का पूरा किया जाना	Completion of Bokaro Steel Project	..	155
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu	..	155

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 20 मार्च, 1969/29 फाल्गुन, 1890 (शक)
Thursday, March 20, 1969/Phalguna 29, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

प्राथमिक कृषि समितियां

+

*601. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री ए० श्रीधरन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि प्राथमिक कृषि समितियों की कार्यकारी पूंजी में वृद्धि हुई है, तथापि कार्यकारी पूंजी की तुलना में जमा पूंजी की प्रतिशतता बराबर कम रही है और 1965-66 के पश्चात् प्राथमिक फार्म ऋण समितियों की संख्या कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) कार्यकारी पूंजी और जमा पूंजी के अनुपात की प्रतिशतता तथा प्राथमिक फार्म ऋण समितियों की संख्या में कमी होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन अध्ययनों को ध्यान में रखते हुए फार्म ऋण समितियों को बढ़ावा देने तथा ऐसी समितियों की सेवायें देश के दूरस्थ क्षेत्रों में किसानों को उपलब्ध कराने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) 1964-65 से 1966-67 तक के वर्षों के बारे में सम्बन्धित आकड़े नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या	कार्यकर पूंजी (करोड़ रु०)	डिपाजिट्स (करोड़ रु०)	कार्यकर पूंजी की तुलना में जमा राशियों की प्रतिशतता
1964-65	201,046	486.67	32.58	6.7
1965-66	191,904	546.56	34.49	6.3
1966-67	178,735	625.20	39.09	6.3

1967-68 के बारे में आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं

(ग) प्राथमिक ऋण समितियों के बारे में कार्यकर पूंजी की तुलना में जमा राशियों की कम प्रतिशतता का कारण प्राथमिक ऋण समितियों द्वारा जमा राशियां जुटाने में की गई सीमित प्रगति है । प्राथमिक ऋण समितियों में जमा राशियों का न्यून स्तर होने के कुछ महत्वपूर्ण कारण ये हैं—प्राथमिक ऋण समितियों की ढांचे सम्बन्धी कमजोरियां और ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प बचत तथा अन्य अभिकरणों की ओर से उपलब्ध बचत के लिये प्रतिस्पर्धा का होना ।

प्राथमिक ऋण समितियों की संख्या में कमी, पुनर्गठन तथा पुनर्जीविकरण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने से हुई है । यह कार्यक्रम कमजोर तथा निष्क्रिय यूनिटों को परस्पर मिलाने और/अथवा परिसमापन द्वारा प्राथमिक स्तर पर एक मजबूत तथा चल सकने योग्य ऋण ढांचे का निर्माण करने की दृष्टि से लागू किया गया था ।

(घ) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे पुनर्गठन कार्यक्रम को जल्दी से पूरा करने और व्यवस्थित रूप में समितियों की सदस्यता तथा व्यापार का विस्तार करने के लिये पग उठाएं ।

श्री हिम्मतसिंहका : इस विवरण से पता चलता है कि समितियों की संख्या कम हो रही है । देश में लगभग 5,70,000 गांव हैं और गत 22 वर्षों में तीन पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं । क्या मैं पूछ सकता हूं कि ऋण समितियों की संख्या बढ़ाने और बैंकिग सुविधाओं को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे अधिक धनराशि जमा हो और जनता की स्थिति में सुधार करने के लिये उसका उपयोग किया जा सके ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा जानबूझ कर अपनायी जाने वाली नीति के कारण प्राथमिक ऋण समितियों की संख्या में कमी की जा रही है

और इसका प्रयोजन कमजोर और निष्क्रिय समितियों को समाप्त करना और उनके स्थान पर चौथी योजना के अन्त तक सशक्त समितियों को प्रोत्साहन देना है। हमें आशा है कि इससे लगभग 60 प्रतिशत किसान जनता को लाभ पहुंचेगा।

श्री हिम्मतसिंहका : क्या सरकार का विचार ऋण समितियों के पास अधिक धन जमा करवाने के लिये तथा बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करने के लिये कोई प्रोत्साहन देने का है जिससे इन संस्थाओं का गांवों को लाभ पहुंच सके ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : प्राथमिक समितियों की संख्या में कुछ बुनियादी कमजोरियां हैं और वे कमजोरियां ढांचा सम्बन्धी हैं। उनकी क्षमता सीमित है क्योंकि उनका कार्य-क्षेत्र भी सीमिति है। हम चाहते हैं कि समितियां अपने संगठन को सुदृढ़ बनायें और प्रबन्ध के लिये राजसहायता दे रहे हैं और हम अधिक से अधिक अंशधारियों से संसाधन जुटाने में उनकी सहायता कर रहे हैं।

श्री ए० श्रीधरन : निःसंदेह सहकारी आन्दोलन की बुनियाद सुदृढ़ बनाने के लिये कुछ प्रयत्न किये जा रहे हैं। परन्तु समस्या इतनी बड़ी है कि उसे देखते हुए ये प्रयत्न नगण्य प्रतीत होते हैं। खेतिहरों की एक प्रमुख कठिनाई इन समितियों द्वारा दी जाने वाली सहायता का उपयोग करने की है क्योंकि समितियों द्वारा ब्याज की अधिक दर ली जाती है जो लगभग $9\frac{1}{2}$ प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पुनर्गठन की योजना के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को किसी राज्य से कोई सुझाव मिला है कि ब्याज की दर कम कर दी जानी चाहिये अथवा क्या किसी राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मुख्य प्रश्न का सम्बन्ध कार्यकारी पूंजी में जमाराशि की प्रतिशतता तथा समितियों की संख्या में कमी से था। यदि आप कहें तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूं परन्तु इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री ए० श्रीधरन : मेरे प्रश्न का सम्बन्ध मुख्य प्रश्न के भाग (घ) से है।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैंने यह पहले ही बता दिया है कि हम प्रत्येक गांव में इन समितियों को स्थापित करने के लिये प्रयत्नशील हैं। हमें आशा है कि चौथी योजना के अन्त तक इनसे लगभग 60 प्रतिशत किसान जनता को लाभ पहुंचेगा। प्राथमिक सहकारी समितियों की संख्या को कम करने का मुख्य प्रयोजन उनके ढांचे को सुदृढ़ बनाना है जिससे वे स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। चौथी योजना के अन्त तक पूरी जनता को लाभ पहुंचाना निश्चय ही कठिन कार्य है।

श्री ए० श्रीधरन : मेरा प्रश्न यह है कि ब्याज की अधिक दर होने के कारण किसान इन समितियों का पूरा लाभ नहीं उठा सकते। अतः मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने ब्याज की दर में कमी कर दी है। मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टतः 'हां' या 'न' में दें।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : इस विषय पर काफी चर्चा की जा चुकी है और हमने ब्याज की दर में कमी करने का काफी प्रयत्न किया है। हाल ही में भारत के रिजर्व बैंक ने भी ब्याज की दर 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दी है और मैं माननीय सदस्य को इससे अधिक आश्वासन नहीं दे सकता।

Shri Achal Singh : Is the Hon. Minister aware that Presidents of these Agricultural Societies misuse them and encourage corruption on account of which members of these societies are disassociating themselves and the number of societies is being reduced?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : गोलमाल अथवा किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का होना सम्भव है परन्तु ये समितियां सहकारिता कानून के अनुसार चलाई जाती हैं और इन संस्थाओं का सम्बन्ध राज्य सरकार से है।

श्री ई० के० नायनार : यह सब जानते हैं कि भारत में हमारे गरीब किसानों पर साहूकारों ओर बैंकों का लगभग 3,000 करोड़ रुपये का ऋण है। रिजर्व बैंक सघन कृषि विकास के क्षेत्रों में 4 प्रतिशत ब्याज की कम दर पर ऋण देता है परन्तु 'रैयत' तक पहुंचते-पहुंचते यह 9 प्रतिशत हो जाता है। शेष 5 प्रतिशत ब्याज राज्य सहकारिता बैंक, जिला बैंक और सेवा सहकारिता समितियां आदि विचौलियों के पास जाता है। इस अन्तर का कोई औचित्य नहीं है। जब तक वाणिज्यिक बैंकों को फसल-ऋण प्रणाली चलाने के लिये नहीं कहा जाता, तब तक खेतिहर वर्ग पर सहकारी ऋण प्रणाली से कोई लाभ नहीं पहुंच सकता।

क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी। यदि सहकारी ऋण का उद्देश्य निर्धन किसानों को लाभ पहुंचाना है तो ऋण देने की प्रक्रिया को सरल बनाना होगा और किसानों को ऋण-पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें ऋण की वह राशि पूरी मिल जानी चाहिए जितनी राशि का वह अधिकारी है। केरल की योजना संस्था ने केरल की चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये यह सुझाव दिया है।

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : हमने राज्य सरकारों से कहा है इन सहकारी संस्थाओं की ऋण देने सम्बन्धी प्रक्रिया सरल बनाई जाये ताकि किसानों को ऋण की अपेक्षित राशि समय पर मिल सके। हम इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं।

जहां तक ऋण पर ली जाने वाली ब्याज की दर का सम्बन्ध है, हमने राज्य सरकारों से कहा है कि रिजर्व बैंक द्वारा दी जाने वाली रियायत सहकारी समितियों को दी जाये। रिजर्व बैंक रियायती दर 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत करने के लिये सहमत हो गया है। तीन स्तरीय व्यवस्था के बारे में हमने यह निर्णय किया है कि इस समय यह व्यवस्था सबसे अच्छी है और जब तक इसका पुनरीक्षण न किया जायेगा तब तक यही व्यवस्था कायम रहेगी तथा जब तक यह व्यवस्था रहेगी तब तक प्रत्येक स्तर पर कुछ न कुछ लाभ लिया ही जायेगा।

Shri Nathu Ram Ahirwar : Is the Hon. Minister aware that though the Reserve Bank has reduced the rate of interest from 4 per cent to 3 per cent, the District Cooperative Banks charge interest at the rate of 10 per cent from the farmers? Is he also aware that one of the

reasons of failure of these societies is that the farmer having less than 5 acres of land are enrolled as the members of the primary societies but there is no provision to give them loan and similarly the landless labourers having house and other immovable property are not enrolled as the member of primary society. Do Government propose to take any steps in this direction ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : गांव स्तर पर सहकारी समितियों को मजबूत बनाने तथा उनके आधार को विस्तृत करने के लिए अनेक उपाय किये जा रहे हैं। जहां तक गांवों में निर्धन वर्ग का सम्बन्ध है, मैं बता चुका हूं कि हमने एक योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत किसानों को उत्पादन के आधार पर ऋण मिलेगा न कि भूमि के आधार पर। यह व्यवस्था ही बदल दी है। इस व्यवस्था को सभी क्षेत्रों में लागू करने में समय लगेगा। मैं समझता हूं चौथी पंचवर्षीय योजना में सभी क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू हो जायेगी।

Shri Yashpal Singh : Why such a long procedure for granting loan is followed. A farmer gets loan after about 2 years from the date of submitting an application and by the time he gets loan his crops are damaged. Why a simplified procedure is not evolved in order to give loan to farmers against their crops or land in less time.

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैं मानता हूं कि प्रक्रिया छोटी होनी चाहिए। इस बारे में हमने राज्य सरकारों से कहा है कि वे प्रक्रिया को यथासंभव छोटी बनायें।

Shri Buta Singh : Commercial banks are shifting their business to rural areas on account of social control on banks. Farmers prefer to take loan from these banks instead of co-operative societies even at the high rate of interest because the later take too much time in granting loans and also the officers of these societies take bribe for granting loan. Keeping all these things in view may I know whether Government propose to amend the law governing these societies in order to give loan to farmer at low rate of interest and in shorter time ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं क्योंकि वाणिज्यिक बैंक सम्पन्न किसानों को ऋण देते हैं और गांवों में निर्धन वर्गों का ध्यान रखने वाली कोई एजेंसी नहीं है। सहकारी समितियां ही अन्ततोगत्वा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन वर्गों की सहायता करती हैं। मैं यह कभी नहीं मानता कि वाणिज्यिक क्रान्ति ला सकते हैं। सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने का भरसक प्रयत्न कर रही हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि निर्धन लोगों को अधिक ऋण दिया जाये।

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram) : We welcome that commercial banks are extending their activities in agricultural sector because uptill now their activities were limited up to the industrial sector only. The co-operative will have its important place in the field of agriculture in granting loan to farmers. It is true that the benefits of the co-operative societies are not being derived by the small farmers so far. We know that if the benefits of the achievements in the field of agriculture do not reach the small farmer a social problem may arise. Therefore the Planning Commission looking into this matter and we are making best efforts to make arrangements to provide fertilizers, seeds and other facilities to small farmers through these co-operative societies. It is also possible that if the

Commercial banks extend their activities in the field of agriculture the big farmers may get their requirement from these banks and the co-operative societies may cater small farmers. We are preparing a scheme for the Fourth Five Year Plan which will be extended in certain areas for catering small farmers. We have already asked the state Government to remove the shortcoming of the co-operative societies and these can be removed easily with the co-operation of the farmers.

श्री लोबो प्रभु : निस्संदेह कृषि के क्षेत्र में सहकारी समितियों द्वारा दिये जाने वाले ऋण का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि अन्य साधनों से मिलने वाले ऋण की दर 25% या उससे भी अधिक होती है । किन्तु अभी तक इन समितियों द्वारा कृषि क्षेत्र की ऋण सम्बन्धी आवश्यकता की केवल 15% आवश्यकता ही पूरी होती है ।

अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि सहकारी समितियां छोटे किसानों अर्थात् 1,000 रुपये से कम आस्तियों वाले किसानों की केवल 3% ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएं ही पूरी कर पाती हैं । यह तीन प्रतिशत ऋण भी अच्छी तरह नहीं दिया जाता है । 75% सहकारी समितियों का दिवाला निकल जाता है । मैं मंत्री महोदय तथा योजना आयोग का ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूं । छोटे किसान अन्धा-धुन्ध ऋण लेते हैं और ऋण की अदायगी की परवाह नहीं करते हैं । क्या सरकार छोटे किसानों के लिए भूधारी का अधिकार बनाकर उसे संरक्षण देगी ताकि वे उसके आधार पर ऋण ले सकें ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । वित्तीय सहायता के बारे में हम पहले ही व्यवस्था कर चुके हैं । काश्तकार भी सहकारी समितियों से ऋण ले सकते हैं ।

Shri Yamuna Prasad Mandal: Is it a fact that due to shortage of co-operative societies in Bihar State there is a large number Shylock type money lenders and the Government are not able to get rid of them and if so, what steps Government are taking in this regard ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाता हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में अधिक से अधिक स्वावलम्बी कृषि संस्थाएं स्थापित की जायेंगी । इसीलिए हमने कहा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 1.2 लाख स्वावलम्बी तथा सशक्त स्वावलम्बी समितियां होनी चाहिए । इनसे 60 प्रतिशत गांवों को लाभ होगा । यह समस्या गम्भीर है और हम इसके लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ।

डा० रानेन सेन : बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण विधेयक पर चर्चा के समय सरकार ने कहा था, जिसकी अधिनियम में संशोधन किये जाने वाले विधेयक में व्यवस्था भी है, कि अधिक से अधिक वाणिज्यिक बैंक कृषि क्षेत्र में सहायता करेंगे । यह बैंकिंग विधेयक पारित किये जाने के बाद कृषि क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों ने कहां तक अपना कारोबार आरम्भ किया है और अभी तक आरम्भ नहीं किया है तो सरकार इस बात के लिये क्या कार्यवाही कर रही है कि वाणिज्यिक कृषि के क्षेत्र में अपना कारोबार आरम्भ कर दें ?

श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । माननीय सदस्य को पता होगा कि वाणिज्यिक बैंक किसानों की सहायता कर रहे हैं ।

एक उद्योग में एक कार्मिक संघ

*602. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्षेत्र के सभी कारखानों के लिये एक उद्योग में एक कार्मिक संघ बनाने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या श्रम तथा रोजगार विभाग उस पर सहमत नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में अग्रेतर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). मजदूर संघों की मान्यता सम्बन्धी कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है । परन्तु, जब तक सरकार को राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिशें प्राप्त नहीं होतीं और उन पर विचार नहीं किया जाता तब तक इस सम्बन्ध में कोई विधान बनाने का उसका विचार नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि भूतपूर्व इस्पात तथा खान मंत्री डा० चेन्ना रेड्डी तथा औद्योगिक विकास मंत्री श्री फख्रुद्दीन अली अहमद ने श्रम मंत्रालय से सिफारिश की थी कि यदि औद्योगिक शान्ति कायम रखनी है तो एक उद्योग में एक प्रतिनिधि कार्मिक संघ होना चाहिए और उसका निर्णय बैलट द्वारा किया जाना चाहिये ? इसका निर्णय गुप्त मतदान द्वारा किये जाने के प्रस्ताव के बारे में क्या विशिष्ठ आपत्तियां हैं ? क्या अपनी दुर्बलताओं के कारण 'इण्टक' की अनिच्छा के कारण ऐसा है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : यह सच है कि डा० चेन्ना रेड्डी ने इस्पात मंत्रालय में विभिन्न कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी और उसमें मान्यता के प्रश्न के बारे में कुछ सुझाव दिये गये थे जो विचाराधीन हैं । क्या एक उद्योग में यह एक कार्मिक संघ होना चाहिए और यदि ऐसा हो, तो मान्यता देने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए—गुप्त मतदान या सत्यापन ? इन सब प्रश्नों पर श्रम आयोग विचार करता है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार मानती है कि सरकारी क्षेत्र में अनेक कार्मिक संघ होने के कारण ही श्रमिक असंतोष है क्योंकि कार्मिक संघों में प्रतिस्पर्धा रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बात पर गभीरतापूर्वक विचार कर रही है कि एक उद्योग में, कम से कम सरकारी क्षेत्र में, एक कार्मिक संघ होना चाहिए ?

श्री हाथी : मैंने अनेक बार कहा है कि औद्योगिक अशांति का एक कारण यह भी है कि एक उद्योग में अनेक कार्मिक संघ हैं और हमने इस प्रयोजन के लिए एक संहिता बनाई, और उसे अभी कानूनी रूप दिया जाना है । ऐसा लगता है कि उसका पुनरीक्षण करना पड़ेगा ।

श्री कृ० मा० कौशिक : यदि कई कार्मिक संघ हों, तो न तो प्रतिनिधित्व अथवा कर्मचारियों द्वारा लगाये गये आरोपों के बारे में कोई बातचीत हो सकती है और न कोई अनिवार्य समझौता ही हो सकता है। क्या श्रम मंत्रालय इस सम्बन्ध में अन्य मंत्रालय द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि एक उद्योग में एक कार्मिक संघ हो ताकि नियोजक और कर्मचारी कोई अनिवार्य समझौता कर सकें ?

श्री हाथी : अनुशासन संहिता में यह व्यवस्था कि सामूहिक मांग के लिये मान्यता प्राप्त एक कार्मिक संघ होना चाहिए किन्तु उसे अभी कानूनी रूप दिया जाना है। इस प्रश्न पर विचार विमर्श किया गया है कि मान्यता देने का आधार क्या होना चाहिए—सदस्य संख्या अथवा सत्यापन अथवा गुप्त मतदान। इसमें तीव्र मतभेद है। इस मामले पर श्रम आयोग विचार कर रहा है। मैंने सभा में कहा था कि प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के बाद इस बारे में विधेयक लाया जायेगा।

श्रीमती सावित्री श्याम : क्या यह सच है कि व्यापार संघों की बहुतायत से उत्पादन को हानि हो रही है। सरकार सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के प्रत्येक उद्योग के लिए अलग संघ बनाने के सिद्धांत को क्यों कार्यान्वित नहीं कर रही है ?

श्री हाथी : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि श्रम आयोग अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत कर रहा है क्योंकि लगता है उसकी अवधि निश्चित नहीं है। यह भी माना गया है कि संघों को मान्यता देने के लिए वर्तमान सत्यापन पद्धति संतोषजनक नहीं है। क्या प्रतिवेदन मिलने तक के लिए संघों को मान्यता देने के बारे में सरकार कोई और उपाय करने पर विचार कर रही है ?

श्री हाथी : मैं समझता हूं श्रम आयोग अपना प्रतिवेदन मई तक देगा। इस सत्यापन रीति को सभी दलों ने स्वीकार किया है किन्तु एक शिकायत है कि सत्यापन संतोषजनक नहीं होता। या तो यह गुप्त मतदान से होना चाहिए या श्री मधुलिमये द्वारा लाए गए विधेयक के आधार पर होना चाहिए। इन बातों पर विचार किया जा रहा है।

Shri Mrityunjay Prasad : It has been observed that just after an agreement is reached between the Government and a union on certain issue the same demand is raised by some other union more extensively. Therefore, in all cases, it has not been found that only one union could have served your purpose. Secondly, for example, there is a union which represent 51% of the workers and at the same time there is another one which represent 49% of the workers. Naturally you recognise that one which represents 51% of the workers ignoring the other one which is deprived of its existence. You should consider this aspect also.

Shri Hathi : All the aspects, including the difference of percentage, have been considered. After all some method is to be accepted.

Shri Shri Chand Goyal : Mr. Speaker, Sir, the Hon. Minister has stated that this matter is under consideration of the Labour Commission. May I know whether the Labour Ministry have themselves brought forward any Memorandum before the commission, and if so, in view of the realisation of one union in one industry, have this Ministry, considering the practicability of this principle, laid down certain suggestions in that memorandum, and if so, what ?

श्री हाथी : जी हां, हमने दिया है। हमने पहले ही कहा है कि संघों की बहुतायत श्रमिकों में अशांति पैदा करने वाले कारणों में से एक है। अतः अनुशासन संहिता के आधीन हमने स्वीकार किया है कि संगठित विचार-विमर्श के लिए एक संघ होना चाहिए।

श्री रंगा : सम्पूर्ण उद्योग के लिए नहीं।

श्री हाथी : योजना के लिए हमने ऐसा कहा है। अन्य रीति उसमें होगी या नहीं, हमने अपना विचार बताया है। आयोग उसे स्वीकार करता है या नहीं यह बात उसके ऊपर है।

श्री श्रीचन्द गोयल : हमें भी बताइए वे विचार क्या हैं।

श्री हाथी : मैं बता चुका हूं।

श्री रा० ढो० भन्डारे : सत्यापन कार्य तथा मान्यता देने की रीति में बहुत सी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार सोचती है कि एक व्यापार में एक संघ के सिद्धांत को कार्यान्वित करने का समय आ गया है ? सम्भवतः इस सिद्धांत को बहुत से मंत्रालयों ने स्वीकार कर लिया है।

श्री हाथी : एक व्यापार में एक संघ तथा एक योजना में एक संस्थान वाले सिद्धांत को मान लिया गया है। परन्तु प्रश्न यह है कि मान्यता देने का आधार क्या हो।

श्री रा० ढो० भन्डारे : में पूछ रहा हूं कि क्या समय आ गया है ;

अध्यक्ष महोदय : शांति शांति। श्री फरनेन्डीज।

Shri George Fernandes : Mr. Speaker, Sir, in his reply to the question regarding trade unions, the Hon. Minister referred to the out look of the National Labour Union in this regard. So far as the question of recognition is concerned, we know that I.N.T.U.C. is not prepared now to accept the concept of recognising unions on the basis of majority. Recently, the S. V. D. Government of Madhya Pradesh have adopted a legislation to the effect that the unions should be recognised by a secert ballot but the I.N.T.C. of that State is trying to lay obstacles in its way by taking the matter in the court of law. May I know whether you uphold the legislation made by Government of Madhya Pradesh and are you, in the capacity of Central Government, prepared to accept the principle of secret ballot though there might be difference of opinion in the report of National Commission of Labour regarding the methods of giving recognition to the unions? Is it also a fact that the Government itself is responsible in defying the code of discipline etc. made in respect of the recognitions to the unions? For example you recognised certain unregistered unions after the strike launched on 19th September.

श्री हाथी : जहां तक मध्य प्रदेश सरकार का सम्बन्ध है उन्होंने वहां यह कानून बनाया है तथा वह किसी भी प्रकार का कानून बनाने के लिये स्वतंत्र हैं। हमने इस कानून पर कोई आपित्त नहीं उठाई। श्रम आयोग क्या कहेगा यह कल्पना परक ही है। मैं उनके प्रतिवेदन देने के बाद ही अपनी प्रतिक्रिया बता सकता हूं।

Shri George Fernandes : Whether you support this? Let me know about the recognition given to the fake unions in the Department of Post and Telegraph after the strike which held on 19th September.

श्री हाथी : उत्तेजित होने से क्या लाभ है। माननीय सदस्य जानते हैं कि संघों को मान्यता देना कोई कानूनी कार्यवाही नहीं है, यह कार्य अनुशासन संहिता के अधीन रहकर करारों द्वारा सम्पादित होता है।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : हम संहिता को स्वीकार करते हैं किन्तु क्या सरकार भी संहिता को स्वीकार करती है ?

श्री हाथी : कुछ विभागों ने अभी भी इसे स्वीकार नहीं किया है।

Shri George Fernandes : Mr. Speaker Sir, it should be noted.

Shri Bhola Nath Master : In the memorandum put forth before the Labour Commission the officers of the labour Department expressed their resentment that the labour unions have caused much loss to the public sector and, therefore, no outsiders should be permitted to take hold of offices in the Labour unions. What is the reaction of the Hon. Minister in this respect.

They have also stated that there does not exist any such law which may give equal treatment to all the labour srtikers of the different States and under which similar imputive actions may be taken against all of them and which can be said suitable for the purpose of implementing the decisions of the Tribunals. The Labour Department has itself suggested to underline a law in this regard therefore, may I know the attempts made to have that legislation ?

श्री हाथी : विभिन्न राज्यों के सरकारी उपक्रमों के औद्योगिक सम्बन्ध संबद्ध राज्यों के औद्योगिक विवाद अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। यह प्रश्न राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है, केन्द्र सरकार के नहीं।

श्री के० रमानी : जब व्यापार संघों को मान्यता देने का प्रश्न आता है तो सरकार कहती है कि संघों की अधिकता है जब किसी समाधान का सुझाव दिया जाता है तो सरकार कहती है कि मान्यता देना कोई कानूनी नहीं है। उनकी स्वयं की नीति से संघों की बहुतायत पैदा हो रही है। मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूं। रूरकेला कारखाने को छोड़कर अन्य किसी केन्द्र द्वारा संचालित सरकारी उपक्रम में एक मान्यता प्राप्त संघ नहीं है। 1961 में बुकारो कारखाने में आई० एन० टी० यू० सी० ने एक संघ को पंजीकृत किया है जब कि कम्पनी ने अभी तक उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है। इस बात की अधिक सम्भावनाएं हैं कि सरकार ने उसे मान्यता दे दी होगी। क्या सरकार आई० एन० टी० यू० सी० को इस प्रकार की अवलम्बन देने की नीति का पुनर्विचार करेगी अथवा बहुमत प्राप्त अन्य संघों को बाहर ढकेल देगी ?

श्री हाथी : मेरे विचार से यह वक्तव्य सत्य नहीं है। हम तो गुणावगुणों को देखते हुए निर्णय करते हैं।

Credit Requirements For Agricultural Purposes for Next Five Years

*603. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have estimated credit requirement for agricultural purposes for the next five years ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the arrangements made to achieve the targets with a view to enable the country to become self-sufficient in foodgrains?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां। जैसा कि सरकार ने अनुमान लगाया है कि कृषि कार्यों के लिये ऋण की आवश्यकता 1973-74 वर्ष में अल्प कालीन ऋण के लिये 1550 करोड़ रुपये है और अगले वर्षों के लिये मध्यम और दीर्घकालीन ऋण के लिये 1650 करोड़ रुपये हैं।

(ग) सरकारी ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिये किये गये उपायों में ये शामिल है—राज्य सरकारों द्वारा सहकारी ऋण संस्थानों की हिस्सा पूंजी में उदारता से भाग लेना, प्राथमिक ऋण समितियों का पुनर्गठन एवं पुनर्जीवीकरण निर्बल केन्द्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा शाखा विस्तार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और भूमि विकास बैंकों के डीबेंचर कार्यक्रमों में समुचित सहायता।

इनके अतिरिक्त कृषि ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये यह प्रस्ताव है कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार, राजस्थान राज्यों में और मणिपुर और त्रिपुरा के क्षेत्रों में कृषि ऋण सहकारी निगमें स्थापित की जायें।

वाणिज्य बैंकों एवं कृषि वित्त निगम से आशा की जाती है कि वे खेती की ऋण आवश्यकताओं को अधिकाधिक पूरा करेंगे।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Sir, in his reply to the last question the Hon. Minister has just now stated that the opening of commercial Banks in the rural areas is necessary for the purpose of meeting the requirements of the Agriculturists. May I know the number of Branches of the Commercial Banks established in the rural areas after introducing the social Control? May I know also whether any scheme is being considered by the Government under which big Commercial Banks would be bound to establish their branches in the large-sized villages as soon as possible and such commercial banks which are unable to establish their one fourth number of their branches in the rural areas would not be permitted to establish their branches in the big cities also?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक वाणिज्य बैंकों की शाखाओं को खोलने का प्रश्न है मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि इस बारे में वह वित्त मंत्रालय से प्रश्न करें।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Sir, the different Ministries are not as the different States. I think, while replying a question, any Minister represents the whole Government and apart from this, this question does not concern the Ministry of Agriculture or the Ministry of Finance in isolation. I feel the Hon. Minister should have not replied in such a way. Any how I put another question.

The co-operative societies are already established in the rural areas and the branches of the commercial banks are also being opened there. Some defects in the working of these societies were brought to your notice. Are you also aware of the fact that the Commercial

Banks are busy in collecting the money in the shape of deposits and savings but they are not lending money to the villagers in proportion to what they are collecting. Will the Government do something to eradicate this mentality of bankers and to bring equilibrium between the deposits and the advancement of money ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : ये सुझावमात्र हैं ।

Shri K. N. Tiwari : May I know the extent to which the farmers are indebted to the Government and to the private money lenders ? What is their demand and how much credit will be available to them during Fourth Five year Plan-period ? How you estimated their requirement of credit or the provisions for credit are being made without having any such consideration ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक ऋण की आवश्यकताओं के आंकड़ों का प्रश्न हैं मैंने प्रश्न के मूल उत्तर में उनकी चर्चा कर दी है । और जहां तक ऋणदाताओं द्वारा दी गई राशि का प्रश्न है तो मेरा निवेदन है उनका इस बारे में काफी हाथ है । किसानों को लगभग 60 से 65 प्रतिशत ऋण इन्हीं लोगों से प्राप्त होता है ।

Shri Om Prakash Tyagi : May I know whether Government are aware that most of the farmers do not utilise the amount of loans for the purpose it was taken from co-operative Societies, but spend it on construction of houses etc. So I want to know whether Government proposes to issue such instructions to the co-operatives that they should make a thorough scrutiny whether the loan has been utilised for the purpose it was taken or whether that has been spent a some other item. If any loan has been spent by any person for the purpose other than it was taken, then next time no other loan should be given to him. Secondly loan is given to such persons only who own land. But there are such landless farmers and labourers in the rural areas who make their both ends meet by breeding buffaloes ect. and if loan is given to these poor people for purchasing buffaloes etc., they will be able to earn their living. I want to know whether Government will make arrangements for giving them loans.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक किसानों को ऋण देने का सम्बन्ध है, राज्य सरकार को यह सामान्य सुझाव दिया जाता है कि उन्हें वस्तुओं के रूप में ऋण दिया जाना चाहिये—अर्थात् यदि उन्हें उर्वरकों के लिये ऋण की आवश्यकता हो, तो उन्हें उर्वरक दिये जाने चाहिये अथवा यदि उन्हें कीटनाशक दवाइयों की जरूरत हो, तो कीटनाशक दवाइयां दी जानी चाहिये, ताकि वे ऋण का अन्यतर उपयोग न कर सकें ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या उनको भी ऋण दिया जायेगा, जिनके पास भूमि नहीं है ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं इसका भी जवाब दे रहा हूं । माननीय सदस्यों ने आमतौर पर यह बात कही है कि समाज के निर्धन वर्गों के लोगों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं किया जाता है । हम इस समस्या पर विचार कर रहे हैं । छोटे किसानों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये हम 20 अथवा 30 जिलों में विशेष

अभिकरण स्थापित करने के बारे में विचार कर रहे हैं। जहां तक भूमिहीन श्रमिकों की समस्या का सम्बन्ध है, उस ओर भी हमारा ध्यान गया है, परन्तु अभी तक हम उसका कोई संतोषजनक हल नहीं निकाल सके हैं।

श्री एम० बी० राणा : जैसा कि भारत के स्टेट बैंक ने कृषकों को ऋण देने की अपनी प्रक्रिया को सरल बना दिया है अर्थात् इसके लिये केवल आवेदन-पत्र और मलिकियत के सबूत की जरूरत होती है, क्या सरकार समितियों से ऋण देने की प्रक्रिया को भी सफल बनायेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जी हां, पहले ही ऐसी प्रक्रिया है।

Shri Shiv Charan Lal : Mr. Speaker, Sir, hard labour is done by the small farmer who owns six, seven or eight acres of land. But he is deprived from the loans given by the co-operative banks. He is told that he had not got required status for giving loans. So may I hope that Government will make necessary arrangements for advancing credit to the small farmers.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं छोटे किसानों को पशुपालन आदि तथा मशीनों इत्यादि की खरीद के लिये ऋण देने के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में जिले स्तर पर संवर्द्धन अभिकरणों की स्थापना करने का सरकार का विचार है।

श्री चेंगलराया नायडू : किसानों को कृषि उद्देश्य के लिये पम्प सेटों के लगाने के लिये बहुत अधिक ऋण की आवश्यकता है। देहाती क्षेत्रों में पम्प सेटों का विद्युतीकरण करने हेतु ऋण देने के लिये कितनी राशि नियत की गई है ? देहाती क्षेत्रों में बिजली देने के लिये बिजली बोर्ड के ऋण देने हेतु वाणिज्यिक बैंक द्वारा कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : प्रश्न के मुख्य उत्तर में जो आंकड़े दिये गये है, उनमें यह ब्योरा दिया गया है। किसानों को पम्प सेटों तथा मशीनों के लिये काफी मात्रा में मध्यम-कालीन ऋण देने की व्यवस्था की गई है।

श्री रंगा : माननीय सदस्य ने कहा है कि बिजली बोर्डों को बिजली लगाने के लिये धन प्राप्त नहीं होता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि बिजली बोर्डों को बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना चाहिये।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : कुछ राज्यों में हमने सुझाव दिया है कि भूमि विकास बैंकों को किसानों को ऋण देना चाहिये ताकि वह धन लाइनों इत्यादि के विस्तार के लिये बिजली बोर्डों को प्राप्त हो सके।

Shri Maharaj Singh Bharati : The Hon. Minister has given us figures of the credit requirements for agriculture at the end of Fourth Five year Plan. I want to know the basis on which these figures have been worked out. As 50% of our total revenue is received from agriculture and 50% from all other sources. I want to know why discrimination is being made against agriculture and 50% amount is not allocated for the development of agriculture.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमें इस बात की सराहना करनी चाहिये कि भारत में खेती अब आधुनिकीकरण की अवस्था में पहुंच पाई है। इसलिये यह जरूरी है कि इसके लिये अधिक से अधिक ऋणों की जरूरत पड़ेगी। ऋण की आवश्यकता के आंकड़े दान्तवाल समिति के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किये गये हैं। भारत के रिर्जव बैंक की कृषि ऋण समिति तथा मंत्रालय के कार्यकारी दल ने भी इन आंकड़ों को देखा है। ये आंकड़े उन द्वारा एकत्र किये गये आंकड़ों के आधार पर तैयार किये गये हैं।

Shri M. A. Khan : It has been seen that there is wide spread corruption in giving loans to the farmers and at least 30% amount of the loans goes in the pockets of Government employees. Apart from that these employees by filling fake bonds in his name take the money into their own pockets and the money do not reach to the real farmer.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : ऋण मुख्यतया सहकारी समितियों, वाणिज्यिक बैंकों तथा भूमि विकास बैंकों द्वारा दिया जाता है। हम चाहते हैं कि सरकार द्वारा सीधे दिये जाने वाले ऋणों को कम से कम रखा जाये और अन्य अभिकरणों को अधिक से अधिक ऋण देने को प्रोत्साहन दिया जाये।

श्री एस० कन्डप्पन : मैं समझता हूं कि सरकार द्वारा ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं का जो अनुमान लगाया गया है, वह कम है। फिर भी क्या सरकार को विश्वास है कि वह इन ऋण आवश्यकताओं को यद्यपि ये वास्तविक आवश्यकताओं से बहुत कम हैं ; पूरा कर सकेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक इन आंकड़ों का सम्बन्ध है जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है, हम ऐसे प्रबन्ध कर रहे हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से देश की समस्त आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

Shri Randhir Singh : Farmer is the foundation stone of our country. The country will be prosperous, only when farmer is prosperous. The farmer is in great need of long term loans on cheap interest. A ceiling has been fixed on the land holding of the farmer. The Government had taken away the entire wealth of the farmer. I mean to say that a ceiling should be fixed on urban property and the surplus amount of crores of rupees that will be realised therefrom should be spent for the betterment of the Kisans, the Harijans and the villages. May I know whether Government have any such scheme, so that crores of rupees may be spent on irrigation and electrification etc. Apart from this L. I. C. have an amount of Rs. 1000 crores. I want that 80% amount of this money and 80% of the money that is lying in the banks should be spent in villages for the betterment of Kisans and Harijan, so that our country may be prosperous in five years.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह कार्यवाही करने का एक सुझाव है।

श्री नन्द कुमार सोमानी : कुल ऋण की उपलब्धता तथा कुल ऋण की आवश्यकता का महत्व समाप्त हो जाता है क्योंकि कृषि वर्ग के निम्न वर्ग को जिसे ऋण की बहुत आवश्यकता होती है, ऋण नहीं दिया जाता है। इस बात को देखते हुए कि इस देश में 87 प्रतिशत किसान

परिवारों के पास 10 एकड़ से कम भूमि है तथा इस बात को देखते हुए कि चौथी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और उन पर मंत्रिमंडल की आन्तरिक मामलों की उपसमिति द्वारा विचार किया जाने वाला है, क्या सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना में किसानों के इस वर्ग के लिये धन नियत करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह तो कार्यवाही करने का सुझाव है ।

समस्त कृषि योग्य भूमि में खेती करना

*604. **श्री यशपाल सिंह :**

श्री क० लकप्पा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की समस्त खेती योग्य भूमि में खेती करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इसके लिए कितना धन नियत किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). यद्यपि खेती योग्य भूमि को कृषिगत लाने का कोई अकेला प्रस्ताव नहीं है, तथापि विभिन्न राज्यों में भूमि विकास कार्यक्रमों का दीर्घकालीन उद्देश्य, वैज्ञानिक भूमि वर्गीकरण के अनुसार प्राप्य भूमि का यथासंभव प्रयोग करना है चाहे इसका संबंध खेती योग्य परती भूमि पर कृषि का विस्तार करने से हो या उस भूमि पर जो ऐसे कार्यों के लिए अधिक उचित हो, चारागाह और वनरोपण विकास से हो ।

Shri Yashpal Singh : During the last 21 years our cattle wealth has not increased and on the other hand it has been decreasing day by day. According to the information given by Government there are only 80,000 tractors in our country, I want to know how 60 crore acres of land can be tilled and sown by these tractors alone. The total cultivable land in Rajasthan is 78 lakh acres and this whole land is lying waste because the Government has neither been able to provide seeds, nor ploughs or tractors. I want to know the scheme drawn by Government by which agricultural production can be raised because the number of bullocks and tractors available at present are too insufficient for tilling the entire land in the country.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मोटे अनुमानों के अनुसार देश में लगभग 750 लाख एकड़ भूमि ऐसी है जिस पर खेती नहीं होती हैं । परन्तु इसमें से अधिकांश भूमि खेती योग्य नहीं है । इस बारे में सर्वेक्षण किया गया था तथा उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिये जहां-जहां 250 एकड़ से अधिक भूमि एक साथ परती पड़ी है, एक समिति नियुक्त की गई थी । राज्य सरकारों की सहायता से हमने भूमि का वर्गीकरण करने का भी प्रयत्न किया है । यह भूमि के वर्गीकरण का

प्रश्न है तथा जहां भूमि खेती योग्य पाई जाती है, उसे कुछ प्राथमिकताओं के आधार पर भूमिहीन मजूरों को देने का हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है। उदाहरण के तौर पर पहली प्राथमिकता अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को दी जाती है, फिर भूतपूर्व सैनिकों को तथा फिर अन्य व्यक्तियों को। यह भूमि ट्रेक्टर इत्यादि के न होने से परती नहीं पड़ी है, अपितु इसके बहुत से अन्य कारण हैं। राज्य सरकारें इस मामले पर विचार कर रही हैं।

Shri Yashpal Singh : I want to know the reasons why Central and State Governments do not entrust this land to village Panchayats. Mahatma Gandhi used so say that villages should be self sufficient and they should be administered by Panchayats.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैंने कहा है कि यह मामला राज्य सरकारों के विचाराधीन है।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या सरकार को पता है कि आसाम में विदेशी कम्पनियों के चाय बागान में 50 प्रतिशत भूमि बेकार पड़ी है। क्या इस बात को देखते हुए सरकार इसका सर्वेक्षण करेगी कि कितनी भूमि बेकार पड़ी है तथा क्या उसे खेती के लिये दिया जायेगा।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य का अशय उस भूमि से है जो कम्पनियों के कब्जे में हैं। हमने राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है और कहा है कि उस भूमि पर खेती की जानी चाहिए और खाद्यान्न पैदा करने के लिये उस भूमि का इस्तेमाल किया जाना चाहिये।

Shri Ram Gopal Shalwale : The Hon. Minister has just stated that land which remains uncultivated in the country is about 7 lakh acres and Shri Yashpal Singh had made a reference to Rajasthan. I want to know from the Hon. Minister whether recently a proposal was made by Israel to convert the desert of Rajasthan in a greenry and make India self sufficient in foodgrains. I want to know the reason why this proposal was not accepted whether it was rejected due to the pressure from Arab countries or whether there was some other reason ?

अन्नासाहिब शिन्दे : राजस्थान की परती भूमि की समस्या सर्वविदित है। वहां बहुत सी कठिनाइयां हैं, जिनमें समय पर वर्षा न होना भी एक बड़ी भारी कठिनाई है। परन्तु हाल ही में राष्ट्रीय विकास परिषद् की उप समिति द्वारा इस पर विचार किया गया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि यह योजना पूर्णतया राज्य-क्षेत्र में होनी चाहिये। इसलिये राजस्थान सरकार इस मामले में पूर्णत्या सक्षम है।

Sbri Ram Gopal Shalwale : My question is whether any proposal was made by Israel or not. This should be answered.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूं।

Shrimati Laxmi Bai : The Hon. Minister has said that there is no proposal to bring all the cultivable land under cultivation. I want to know whether there is any such proposal or law that the cultivable land which gives yield every year should not be taken away from the farmers for the purpose of school or factories or gardens. I want to know the percentage of cultivable land which is being wasted for above purposes ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : गत कुछ वर्षों में एक करोड़ एकड़ भूमि को कृषिगत लाया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना में 2.5 करोड़ एकड़ भूमि को कृषिगत लाये जाने की आशा है।

Shrimati Laxmi Bai : My question has not been answered. My question was that the land which is at present under cultivation and which gives yield should not be wasted for gardens, schools and factories. I wanted to know whether there was any proposal for imposing such a restriction and if so the details thereof ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : यह एक बिल्कुल भिन्न प्रश्न है। इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : खेती के लिये पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसाकि हमने बंगाल तथा अन्य स्थानों पर देखा है बड़ी सिंचाई परियोजनायें उन आशाओं का जो उनसे की जाती थी पूरा नहीं कर सकी हैं अर्थात् बाढ़ नियंत्रण विद्युतीकरण और बड़े पैमाने पर सिंचाई के प्रश्न हल नहीं हुए हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में वह छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये कितना धन नियत करने को तैयार हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri Sheo Narain : I want to know why the waste land is not given to the poor Harijans so that they may make it cultivable and improve their lot.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : वह भूमि राज्य सरकारों को दी गई है और उनसे कहा गया है कि हरिजनों तथा अनुसूचित जाति के लोगों को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

श्री नाथपाई : खेती योग्य सारी भूमि को कृषिगत लाने के दीर्घकालीन कार्यक्रम को छोड़ कर मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय का ध्यान जापान के कृषि वैज्ञानिक के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि केवल 5 प्रतिशत खेती योग्य भूमि से भी खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना संभव है ? यदि उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है तो इस सम्बन्ध में क्या वास्तविक कार्यवाही की गई है ? यह अनुमान ऐसे व्यक्तियों का है जो इस क्षेत्र में अनुभवी हैं तथा जिन्होंने सफलता प्राप्त की है।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : हम अपने देश में बिल्कुल वैसा ही प्रयत्न कर रहे हैं। जापानी वैज्ञानिक ने कहा है कि कृषि के नये तरीके से एक एकड़ भूमि में पांच से छः टन तक खाद्यान्न पैदा किया जा सकता है। मैंने खाद्य तथा कृषि मंत्री के नाते इस सभा में बार-बार कहा है कि यदि हम 3 करोड़ एकड़ से 3 करोड़ 20 लाख एकड़ तक भूमि में वैज्ञानिक ढंग से खेती करते हैं, तो हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न पैदा हो सकता है। परन्तु यदि हम सब क्षेत्रों तथा छोटे किसानों का ध्यान न रखें तो इससे सामाजिक समस्यायें पैदा हो सकती हैं। इसलिये जापानी विशेषज्ञ ने जो कुछ कहा है, वही किया जा रहा है।

आकाशवाणी से तिब्बतियों के लिये कार्यक्रम का प्रसारण

*605. **श्री समर गुह** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी द्वारा तिब्बत में तथा तिब्बत से बाहर रहने वाले तिब्बतियों के लिये कोई विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम में चीन द्वारा ल्हासा रेडियो से प्रसारित किये जाने वाले भारत विरोधी प्रचार का प्रत्युत्तर देने के लिए कोई विशेष प्रयत्न किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रमों का स्वरूप क्या है और उनके लिये कितना समय निर्धारित किया गया है; और

(घ) क्या उसके लिये तिब्बत के शरणार्थियों से सहायता ली जाती है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, हां

(ख) जी, हां।

(ग) आकाशवाणी का विदेश सेवा प्रभाग प्रतिदिन प्रातः 15 मिनट और सायंकाल 45 मिनट के लिये तिब्बती सेवा प्रसारित करता है। यह कार्यक्रम कुरसियांग केन्द्र द्वारा रिले किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह केन्द्र प्रतिदिन 40 मिनट के लिये तिब्बती में कार्यक्रम प्रसारित करता है। दिल्ली द्वारा प्रसारित कार्यक्रम गोहाटी द्वारा भी पुनः प्रसारित किया जाता है। इन कार्यक्रमों में समाचार बुलेटिन, कमेन्ट्रियां, समाचारपत्र रिव्यू, भारतीय तथा तिब्बती संगीत आदि होता है।

(घ) जी, हां, जब भी सम्भव हो।

श्री समर गुह : जब चीन ने तिब्बत को अधिकार में कर लेने की धमकी दी, तब एक दक्षिणी अमरीकी देश ने मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में विचाराधीन रखा, उस समय स्वर्गीय पण्डित नेहरू के संकेत पर, जिन्हें चीन से तिब्बत की स्वायत्तता का आदर करने का स्पष्ट आश्वासन मिल गया था, प्रस्ताव वापिस लिया गया था। तत्पश्चात् जो घटनाएं घटीं वे विदित ही हैं। क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार दलाईलामा को जोकि स्वतंत्र तिब्बत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकारी हैं, तिब्बत की स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए, आकाशवाणी के माध्यम से जनता को सम्बन्धित करने का अवसर देते हैं ?

श्री इ० कु० गुजराल : इस प्रश्न का अधिक सम्बन्ध वैदेशिक-कार्य मंत्रालय से है इसलिए माननीय सदस्य उस मंत्रालय को सम्बोधित करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह था कि क्या उन्हें आकाशवाणी से भाषण देने का अवसर दिया गया था।

श्री इ० कु० गुजराल : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय ने इस बारे में पूछताछ नहीं की कि दलाई लामा, जोकि तिब्बत की जनता के प्रतिनिधि हैं, को आकाशवाणी से भाषण देने का अवसर दिया गया अथवा नहीं।

क्या भविष्य में उन्हें ऐसा अवसर दिया जायगा ? क्या सीलगिरी के साथ-साथ श्रीनगर, लखनऊ तथा पटना प्रसारण-केन्द्रों से भी तिब्बती जनता के लिये प्रसारण रिले किये जायेंगे।

श्री इ० कु० गुजराल : अभी तक तीन केन्द्रों से ही तिब्बती कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। बहुत शीघ्र एक विशिष्ट-शक्ति-सम्पन्न प्रसार यंत्र कलकत्ता में कार्य करने लगेगा तथा हम उसका उपयोग उस उद्देश्य के लिये भी करेंगे।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मंत्री महोदय ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि क्या दलाई लामा को आकाशवाणी से भाषण देने के लिए आमंत्रित किया आयेगा अथवा नहीं।

श्री इ० कु० गुजराल : कार्यवाई करने के लिए यह एक सुझाव है।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

दिल्ली में नकली दवाइयां बेचने वालों का गिरोह

+

अ०सू०प्र०संख्या 7 श्री ए० श्रीधरन : **श्री देवेन सेन :**

श्री किकर सिंह : **श्री क० लकप्पा :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस ने 24 फरवरी, 1969 को दिल्ली में नकली तथा चोरी की गई दवाइयां बेचने वाले लोगों के एक बड़े गिरोह का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं;

(ग) पुलिस ने कितने मूल्य की दवाइयां बरामद की हैं; और

(घ) इसका ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा यह बतलाया गया कि 22 और 23 फरवरी, 1969 को उनके औषधि नियंत्रण विभाग ने संशयित नकली तथा चोरी की गई दवाइयों के बड़े भण्डारों का पता लगाया।

(ख) दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है ।

(ग) दिल्ली प्रशासन के औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा बरामद की गई संशयित नकली तथा चोरी की गई दवाइयों का बाजार मूल्य लगभग इस प्रकार है :

संशयित नकली औषधियां	10,000 रुपये
संशयित चोरी की गई औषधियां	5,000 रुपये

(घ) बरामद की गई सामग्री का ब्योरा दिखाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 417/69]

श्री ए० श्रीधरन : नकली औषधियों का वितरण एक विषम समस्या बन गया है और जिस सहज ढंग से मंत्री महोदय इस समस्या का सामना कर रहे हैं वह आश्चर्यजनक है । सहस्त्रों व्यक्ति इन नकली औषधियों के कारण अपना स्वास्थ्य खो बैठे हैं । कुछ दस्युवृत्ति के लोग जनता की जान के साथ खेल रहे हैं । हमारे देश में 2000 औषधि-निर्याता हैं । क्या मंत्री महोदय उन पर कोई नियंत्रण रख रहे हैं । ब्रिटेन में विशेषज्ञों के एक दल ने इस समस्या पर प्रकाश डाला और उनकी सिफारिशों के आधार पर वहां एक आयोग स्थापित हुआ । क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि उनके अनुभवों से लाभ उठाते हुए क्या वे भारत में एक औषधि आयोग की स्थापना करेंगे, जिसे औषधियों के लाइसेंस देने, उनकी सुरक्षा, विक्री तथा विज्ञापन के बारे में कानूनी अधिकार प्राप्त हों ।

श्री के० के० शाह : सम्भवत: सदस्य महोदय को पता नहीं कि इस समय कौन से संगठन कार्यरत हैं । एक केन्द्रीय संगठन है और राज्यीय संगठन भी विद्यमान हैं । राज्य लाइसेंस देते हैं, मूल्य निश्चित किये जाते हैं और उन पर नियंत्रण रखा जाता है । इन मामलों पर ध्यान देने के लिये प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं । विभिन्न राज्यों से विविध आवेदन प्राप्त होते हैं । दुर्भाग्य से दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में नकली औषधियों को रोका नहीं जा सका । आध्र-प्रदेश में पुलिस ने एक छापा मारा और वहां नकली औषधियों का निर्माण कम हो गया । नकली औषधियों का निर्माण आसाम में बढ़ नहीं रहा । गुजरात में ऐसी औषधियों के निर्माण की कोई सूचना नहीं मिली । केरल में नकली औषधियों का निर्माण भयानक रूप में बढ़ नहीं रहा । मध्य प्रदेश में ऐसा कोई मामला नहीं । मद्रास में यह कार्य बढ़ नहीं रहा और महाराष्ट्र में घट रहा है ।

श्री ए० श्रीधरन : मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार स्वतन्त्र औषधि-आयोग, जो कि सरकारी अभिकरण न हो, स्थापित कर रही है । जब नकली दवाइयां दिल्ली में पकड़ी जाने लगीं तब वे यहां से लुप्त हो गईं और केरल, मद्रास, उड़ीसा में दिखाई देने लगीं । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निजी औषधि-निर्माता केवल लाभ की दृष्टि से ही दवाइयां बनाते हैं, क्या सरकार औषधि-निर्माण के लिये के राष्ट्रीयकरण द्वारा उसे सुप्रवाही बनाएगी जिससे कि समस्या का स्थायी समाधान हो सके ?

श्री के० के० शाह : औषधि तथा उपकरण मानक समिति के नाम से 1965 में एक समिति नियुक्ति की गई थी। समिति में दो संसद् सदस्य थे। उनका प्रतिवेदन है कि ऐसी औषधियां इतने अधिक परिमाण में नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री बाद में पढ़कर सुना देंगे और क्या कर दिया गया है, इसकी भी सूचना दे देंगे। उनकी समझ में आ गया है तो वह उत्तर दे देंगे।

श्री किकर सिंह : मैं उनसे पूरा ब्योरा प्राप्त करना चाहता हूं तथा उनको उत्तर भी भेज दूंगा।

Shri Onkar Lal Berwa: There are now bogus doctors, spurious drugs and even 'fake' members of Parliament also. The actual member of Parliament does not ask anything. It is only the 'fake' member of Parliament who goes to Super Bazar and takes away goods valuing Rs. 8,000/-. Every thing is 'fake'. Even the Cabinet is also 'fake'. I want to know whether it is not a fact that medicines were stolen from the hospitals and were sold to the hospitals again after adulteration and mixing of fake compounds? It is an admitted fact that any M. P. who was admitted in Willingdon Hospital did not survive there. Mr. Lohia, who was admitted there died. I want to know action taken against those firms who distributed spurious drugs and injections, etc., the doctors who used these drugs and capsules, and also the names of those doctors. What action have been taken against Willingdon, Irwin and other hospitals which used such drugs and injections etc.? Certificates of those should be cancelled who do not know whether a medicine is real or spurious one.

श्री के० के० शाह : मेरे माननीय मित्र को सम्भवतः तथ्यों का पता नहीं है। हमारे पास गैर-सरकारी सूचना थी। गुप्तचर विभाग भी निगरानी कर रहा था। ज्योंही विक्रेताओं ने उत्तर प्रदेश में इन दवाइयों को बेचा, उन्हें पकड़ लिया गया। दिल्ली में भी 22 तथा 23 तारीख को इसी प्रकार के छापे मारे गए और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने उन अस्पतालों से पूछताछ की है जहां से दवाइयों की चोरी हुई। उनके स्थान पर कोई दवाई वहां नहीं रखी गई है। यह सच है कि दवाइयां चोरी हुईं। अतः उनके प्रयोग का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि हम सतर्क हो गए थे।

Shri Deven Sen: A spider was found in a syrup two to three years back. A dead fly was found in a bottle of a medicine. Whether it is not a fact that during the recent raids by Delhi Administration lables of well known manufacturers were found in a shop in Delhi? Whether it is also not a fact the most of the medicines seized from there were stolen from Delhi hospitals? Will he appoint any Officer or any Commission which could unearth link which is a root cause of this problem? Otherwise more people like Dr. Ram Manohar Lohia would die. I want to say this also that there are about 120 big firms, and sixty of them export 80% of the goods. They have monopoly over the business of medicines.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य स्वास्थ्य मंत्रालय की मांगों पर भाषण दे रहे हैं। वह मुख्य प्रश्न पर आएं।

Shri Deven Sen: I want to know whether Government propose to set up any enquiry committee to go into this issue and try to remove this problem.

श्री के० के० शाह : पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार केवल विक्रेता को ही गिरफ्तार नहीं किया गया है बल्कि उस ठिकाने को, जहां ये नकली दवाइयां बनाई जाती हैं, खोज लिया गया है। जहां तक डा० राम मनोहर लोहिया का सम्बन्ध है, हमें उनकी मृत्यु पर पूरा दुःख है, परन्तु उनके लिये हमने जर्मनी से भी दवाइयां हवाई जहाज द्वारा मंगवाई थीं। अतः यह नहीं कह सकते कि हम सावधान नहीं थे।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : हमें एक प्रचार-पत्र मिला है जिसमें बताया गया है कि संसद्-सदस्यों, मंत्रियों आदि के शव उनके जन्म स्थान पर निःशुल्क भेजे जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रचार-पत्र के मामले का विलिंगडन अस्पताल द्वारा खरीदी गई नकली दवाइयों से कोई सम्बन्ध है, तथा क्या वह उपचार से परहेज श्रेयष्कर हैं, के सिद्धान्त को मानते हैं ?

Shri Kanwar Lal Gupta: Now a days the technique of spurious drugs manufacturers is very sophisticated and the way of their operation is very scientific. This racket is not only operating in Delhi but it is also operating in the State of Uttar Pradesh and Punjab etc. and it has become inter state racket. What ever action Government have taken to root out this racket is not so effective. I want to know from the Hon. Minister whether he would get inquiries made by C. B. I. in order to detect this racket and also the employees in the hospitals who committed the theft. The Government inspectorate is also involved in such activities. Whether the Hon. Minister will take action against the inspectorate and take steps to reinforce it ?

Shri K. K. Shah: The Hon. Member will be glad to know that the racket has been unearthed and the persons involved have been arrested with the help of C. B. I. The Crime Branch of Delhi Administration is helping in this matter ; and that is why we have been successful to arrest the Owners of this factory. We are strengthening this Crime Branch in Delhi. We have also requested the concerned authorities in U. P. and Punjab to strengthen their Crime Branches and extend their help in this matter. We have also requested them to appoint inspectors as we have already appointed them.

Shri Shashi Bhushan Bajpai: I want to know from the Hon. Minister whether Delhi is the largest Centre where spurious drugs are manufactured. Whether the Hon. Minister is agreeable to the proposal that the property of spurious drugs manufacturers may be forfeited and the money got from the property may be distributed amongst the patients ? Whether he is going to punish such people heavily ?

श्री के० के० शाह : वर्ष 1965 में अधिनियम का संशोधन किया गया। अब कारावास दण्ड की अधिकतम अवधि 10 वर्ष और न्यूनतम एक वर्ष है। जहां तक अर्थ-दण्ड का सम्बन्ध है, यदि मैं आंकड़े दूं तो माननीय सदस्य को सन्तोष हो जायेगा ..

अध्यक्ष महोदय : आपको सारे आंकड़े पढ़कर सुनाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री के० के० शाह : अर्थदण्ड तथा कारावास दण्ड को और अधिक बढ़ा दिया है और ऐसे मामलों का पता लगाने के लिए पुलिस अधिक सतर्क हो गई है।

Shri Shashi Bhushan Bajpai : Minimum sentence should be 20 years for those who play with the lives of the people.

Shri Madhu Limaye : Whether attention of Government has been drawn to the fact that the racket for manufacturing spurious drugs exists on a very large scale because our drugs are much costlier and even three to five times more costlier in comparison to international prices of imported drugs and that is why spurious drugs manufacturers are getting considerable high profit, if so, whether Government would try to bring down the prices of the real drugs so as to keep them at par with international price level ?

श्री के० के० शाह : पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय के द्वारा संचालित दवाई-मूल्य-आदेश के अन्तर्गत दवाइयों के मूल्यों का विनियमन होता है। मूल्यों के निधारण के लिए आए आवेदन-पत्रों का लागत-निर्दिष्ट सिद्धान्त के आधार पर एक अन्तर्विभागीय समिति जांच करती है तथा उपयुक्त मूल्यों का अनुमोदन करती है। समिति में पैट्रोलियम, उद्योग तथा स्वास्थ्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि होते हैं। इनका यह सुझाव मैं उन तक पहुंचा दूंगा ।

श्री बलराज मधोक : यह कोई उत्तर नहीं है ।

Shri George Fernandes : Is it a reply ?

Shri Madhu Limaye : It means that Government do not intend to stop spreading the spurious drugs.

श्री वेदव्रत बरुआ : निःशुल्क वितरण अथवा जनसाधारण के उपयोग के लिए दवाइयों की अस्पतालों से चोरी हो जाती है क्योंकि उसका हिसाब-किताब रखने में कुछ दोष होते हैं। इसी कारण अस्पताल के कर्मचारियों का इस भ्रष्टाचार में गठजोड़ भी है। या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में और अधिक कठोर कदम उठाने का है जिससे हिसाब-किताब ठीक रहे तथा निःशुल्क वितरण के लिए रखी गई दवाइयों के वितरण के सम्बन्ध में उन पर पूरा नियंत्रण रखा जा सके जो मेरे विचार में नहीं होता जिससे ये दवाइयां बाजार में न बिकने पायें ?

श्री के० के० शाह : मैंने दिल्ली प्रशासन से सम्बन्ध स्थापित किया हुआ है। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वे नियंत्रण रखें।

श्री एस० के० सम्बन्धन : नकली दवाइयों में कुछ दवाइयां तथा शरबत यथा 'अरिष्ट' ऐसे हैं जो निषिद्ध शराब बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं यह तमिलनाडू में अधिक मात्रा में बेची जाती है। क्या सरकार अपनी नशाबन्दी की नीति के विरुद्ध होने वाले भष्टाचार को रोकने के लिए औषध नियन्त्रण अधिनियम में उपयुक्त संशोधन कदम उठायेगी ?

श्री के० के० शाह : यदि मेरे माननीय मित्र मुझे यह सुझाव देंगे तो मैं उसे तमिलनाडू सरकार के पास विचार के लिये भेज दूंगा ।

श्री एस० के० सम्बन्धन : औषध नियंत्रण अधिनियम एक केन्द्रीय अधिनियम है। क्या केन्द्रीय सरकार इस भष्टाचार को समाप्त करने के लिए इस अधिनियम में संशोधन करेगी ?

श्री के० के० शाह : उनसे मंत्रणा करने के पश्चात् ।

श्री हेम बरुआ : असम में नकली औषधियों के व्यापार के विषय में मंत्री महोदय ने कहा है कि यह बढ़ नहीं रहा है । यदि यह बढ़ नहीं रहा है तो घट भी नहीं रहा है ।

श्री राममूर्ति : उनको यह कैसे विदित है ?

श्री हेम बरुआ : माननीय मंत्री का नकली दवाइयों के व्यापार के सम्बन्ध में इतना अधिक ज्ञान होने पर मुझे उन्हें बधाई देनी चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : क्या वह स्वयं 'नकली' मंत्री हैं ?

श्री हेम बरुआ : मैं ऐसा नहीं समझता ।

उनका कहना है कि जहां तक नकली औषधियों के व्यापार का सम्बन्ध है असम में यथापूर्व स्थिति है । इस व्यापार की यथापूर्व स्थिति स्खलित करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ? दूसरे, क्या मंत्री महोदय को केन्द्रीय कक्ष में दिया गया वह सुझाव विदित है कि यदि आप उपचुनाव चाहते हैं तो एक संसद् सदस्य को विलिंगडन अस्पताल भेज दो तो तुम पा लोगे ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय का विलिंगडन अस्पताल की प्रथा का पालन करने का अथवा उसमें बाधा उपस्थित करने का विचार है जिससे इस आधार पर वहां उप-चुनाव न हो सकें ?

श्री के० के० शाह : मैं विलिंगडन अस्पताल को सुचारु रूप से चलाने के लिए अपनी ओर से भरसक प्रयत्न करूंगा ।

श्री हेम बरुआ : असम के सम्बन्ध में क्या किया ?

Shri Sheo Narain: Mr. Speaker, Sir, now ninety per cent of members do not want to go to Willingdon Hospital.

Mr. Speaker: It is all right.

श्री स० मो० बनर्जी : इस अस्पताल में हुई घटनाओं के परिपेक्ष में मैं इस सदन में कह चुका हूं कि यदि आप उपचुनाव चाहते हैं तो एक संसद् सदस्य को वहां भेज दो और छः मास के भीतर आप पा लोगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न नकली दवाइयों से सम्बन्धित है ।

श्री स० मो० बनर्जी : जो भी विलिंगडन अस्पताल में घटनाएं हुईं वे सब नकली दवाइयों के कारण हुईं । क्या अस्पताल के अधिकारियों तथा जनसामान्य को आदेश दिए गए हैं कि अधिक मात्रा में खरीदी गई उन दवाइयों, बोतलों तथा शीशियों को जो नकली दवाई बनाने में प्रयुक्त होती हैं, खुले बाजार में न बेचें । ऐसी चीजों पर रोक लगाने के लिए क्या कोई नियम बनाए गए हैं अथवा औषध अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था है ?

श्री के० के० शाह : औषध प्रयोग के पश्चात् उन शीशियों को अस्पतालों में केवल नष्ट ही नहीं करा जाता है बल्कि एक गैर-सरकारी संस्थान की नियुक्ति की गई है जो यह सुनिश्चित करता है कि जो रोगी ऐसी दवाइयां खरीदते हैं, उन खाली शीशियों को किसी और को न दे दें बल्कि उन्हें नष्ट कर दें ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

फिल्म वितरण कार्यालय

*606. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म वित्त निगम ने "न्यू सिनेमा मूवमेंट" के सहयोग से कम खर्च में बनी अच्छी फिल्मों का वितरण करने के लिए एक फिल्म वितरण कार्यालय स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी फिल्में वितरित की गई हैं अथवा करने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या वितरण कार्यालय खोलने के लिये सरकार ने कोई वित्तीय सहायता दी है ;

(घ) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि दी गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). फिल्म वित्त निगम के ऋण की सहायता से निर्मित फिल्म "दो दुनी चार" के बम्बई क्षेत्र में वितरण के लिये निगम ने प्रयोगात्मक आधार पर न्यू सिनेमा मूवमेंट नामक एक संस्था से एक करार किया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) करार के अनुसार न्यू सिनेमा मूवमेंट की सेवाओं के लिये कुछ प्रतिशत प्रदान किया जाएगा और इसलिये, किसी प्रकार की वित्तीय सहायता का प्रश्न नहीं है ।

Foreign Influence on Journalism

*607. **Shri Ranjit Singh :** **Shri R. Barua :**
Shri Brij Bhushan Lal : **Shri N. R. Laskar :**
Shri Jagannath Rao Joshi : **Shri Hardayal Devgun :**
Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3212 on the 4th December, 1968 and state :

(a) whether enquiry in regard to the efforts made to influence journalism in India by means of foreign capital has been concluded ; and

(b) if so, the result of the enquiry and the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). The matter is under enquiry.

Radio Kashmir

*608. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Radio Station Srinagar is still using the words "This is Radio Kashmir" instead of the words "This is All India Radio" ;

(b) if so, the reasons for this exemption being continued to be given to this station ; and

(c) whether Government propose to review their decision in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) It is not a question of any exemption. Radio Kashmir is an integral part of All India Radio. But since the nomenclature 'Radio Kashmir' has, by long usage, acquired wide listener allegience both in the State and outside including particularly Pakistan occupied areas of the State, Government has been of the view that there is advantage in retaining it.

(c) This has been reviewed several times. There is no objection in principle to giving up the use of this nomenclature. But on account of the considerations mentioned in (b) above, Government do not propose doing it at this stage.

आयातित खाद्यान्नों की आवश्यकता

*609. **श्री रामावतार शास्त्री** :
श्री वासुदेवन नायर :
डा० रानेन सेन :
श्री चन्द्र शेखर सिंह :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 के लिये आयातित खाद्यान्नों की कितनी आवश्यकता का अनुमान है और उनका मूल्य कितना होगा ;

(ख) क्या आवश्यक मात्रा में खाद्यान्नों के आयात के बारे में अन्य देशों के साथ कोई करार किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो किन-किन देशों के साथ करार किये गये हैं ; और

(घ) किये गये करारों की शर्तें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1969-70 में आयातित खाद्यान्नों की कुल अनुमानित आवश्यकता लगभग 52 लाख मीटरी टन है । इन आयातित खाद्यान्नों का मूल्य बताना सम्भव नहीं है क्योंकि उनकी जो कीमत तथा भाड़ा दिया जाना है वह अभी मालूम नहीं है ।

(ख) से (घ). 31 मार्च, 1969 के बाद निम्नलिखित प्रबन्धों के अधीन आयात होता रहेगा :—

(1) कनाडा से गेहूं सहायता ।

(2) ब्रिटेन से गेहूं सहायता ।

(3) 23 लाख टन गेहूं के लिए 23-12-68 का पी० एल० 480 करार जिसका भुगतान अंशतः रुपयों में और अंशतः उधार शर्तों पर परिवर्तनीय स्थानीय मुद्रा में किया जाएगा ।

(4) लगभग 203 हजार मीटरी टन चावल के लिए बर्मा के साथ 5-2-69 का करार जिसका भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जायगा ।

(5) 60 हजार मीटरी टन चावल के लिए संयुक्त अरब गणराज्य के साथ 18 फरवरी, 1969 का करार जिसका भुगतान रुपयों में किया जाएगा । इस राशि का उपयोग भारत से आयात करने के लिए किया जाना है ।

31 मार्च, 1969 के बाद आयात करने के लिए कोई अन्य प्रबन्ध अभी तक नहीं किए गए हैं ।

खेतिहर श्रमिकों इत्यादि की कार्य करने की शर्तें

*610. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खेतों, चाय बागानों और रबड़ बागानों में कार्य करने वाले श्रमिकों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने के लिए कानून बनाने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में इस समय कोई कानून बना हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिवर्तित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार उसमें संशोधन करने पर विचार कर रही है ;

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां, न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 और बागान श्रमिक अधिनियम, 1951 ।

(ग) राष्ट्रीय श्रम आयोग से सरकार को सिफारिशें प्राप्त होने के बाद इस पर यथा-संभव विचार किया जायेगा ।

Telephone Manufacturing Factory in Rajasthan

*611. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to establish the Telephone Equip-

ment Manufacturing Factory somewhere else, which was originally proposed to be set up in Rajasthan ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Information and Broadcasting and Communications (Shri Satya Narayan Sinha) : (a) and (b). No decision has so far been taken about the location of the proposed new factory for the manufacture of long distance transmission equipment.

हरियाणा में सूखा

*612. **डा० सुशीला नैयर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगातार सूखे के कारण हरियाणा के हिसार जिले के 400 से अधिक ग्रामों में खरीफ की फसल नष्ट हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हरियाणा राज्य ने खेतिहर मजदूरों के लिये किसी वित्तीय सहायता की मांग की है ; और

(ग) उसका ब्योरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1968 के सूखे से हरियाणा के हिसार जिले के 1068 ग्रामों की फसलें प्रभावित हुई हैं ।

(ख) और (ग). हरियाणा सरकार ने विशेषकर खेतिहर मजदूरों के लिए कोई भी वित्तीय सहायता नहीं मांगी है । तथापि, उन्होंने हरियाणा के बाढ़ व सूखे से प्रभावित क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है । अनुमान है कि इन योजनाओं पर लगभग 9 करोड़ रुपये व्यय होंगे ।

एक केन्द्रीय दल शीघ्र ही इन क्षेत्रों का दौरा करेगा और दल के प्रतिवेदन को ध्यान में रख कर हरियाणा को इन क्षेत्रों हेतु वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

गुजरात को चीनी का सम्भरण

*613. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से 1968 में कितनी चीनी की मांग की थी और केन्द्रीय सरकार ने गुजरात के लिये उक्त वर्ष के लिये कितना कोटा निर्धारित किया था ; और

(ख) पिछले वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात सरकार को वास्तव में कुल कितनी चीनी उपलब्ध कराई गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) गुजरात सरकार ने प्रतिमास 15,000 मीटरी टन लेवी चीनी की मांग की थी जबकि 1968 में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित उनका मासिक कोटा 10,073 मीटरी टन था।

(ख) 1968 में गुजरात को 1,26,493.4 मीटरी टन लेवी चीनी आवंटित की गई है।

Implementation of Recommendations of Wage Boards as Obligatory

*614. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether the views of the Standing Labour Committee and the National Labour Commission on making the implementation of recommendations of Wage Boards obligatory, have been obtain ; and

(b) if so, the details thereof and the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The views of neither body have so far been received by the Government.

(b) Does not arise.

कारखाना निरीक्षणालयों के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग का प्रतिवेदन

*615. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री, 19 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5143 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय श्रम आयोग ने कारखाना निरीक्षणालयों के गठन तथा उनके कार्य की स्थिति आदि के प्रश्न पर सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

Sugar Mills of Bajpur and Daurala in U. P.

*616. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the sugar mills of Bajpur and Daurala in U. P. have prepared any project for diffusing sugarcane instead of crushing it and if so, details thereof ;

(b) whether it is a fact that by adopting this process both the Sugar Mills will be able to prepare sugar from sugar beet also and sugar beet will be supplied from the farm of Rudrapur University ; and

(c) if so, whether Government have made arrangements to see that local farmers may also grow sugar beet and supply it to the Mills at reasonable rates ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) No concrete proposal in this behalf has yet been received from either of the Sugar Mills of Bajpur (Bazpur) and Daurala in U. P. though they have expressed their desire for setting up beet-cum-cane diffusion plant. However, pilot plant trials for the manufacture of sugar from beet under the coordinated Research Scheme of the National Sugar Institute, Kanpur, would be undertaken at the Daurala Sugar Works Daurala during 1969-70 season.

(b) By adopting diffusion process sugar factories which follow double carbonation process of juice purification are able to manufacture sugar from beet as well. This Department is not aware of any undertaking between the Rudrapur University and the sugar factories for the supply of sugar beet by the former. However, the farm of the University may be in a position to supply beet to these factories.

(c) The Government of India have formulated proposals for the development of sugar beet during the Fourth Five Year Plan in the State of Uttar Pradesh, Punjab, Haryana and Rajasthan.

बर्मा, श्री लंका तथा पूर्वी अफ्रीकी देशों से लौटने वाले व्यक्तियों का पुनर्वास

*617. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास विभाग ने श्रीलंका, वर्मा तथा पूर्वी अफ्रीकी देशों से लौटने वाले भारतीयों के पुनर्वास के लिये कुछ योजना तैयार की है ;

(ख) क्या लौटने वाले व्यक्तियों को लघु उद्योग स्थापित करने के लिये बैंक सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध की जा रही हैं ; और

(ग) क्या लौटने वालों को ऐसे उद्योगों की स्थापना के हेतु स्थान देने के लिये किन्हीं राज्यों ने कुछ स्थान निश्चित किये हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

विवरण

बर्मा तथा श्रीलंका से स्वदेश लौटे भारतीय

बर्मा तथा श्रीलंका से स्वदेश लौटे भारतीयों के पुनर्वास के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्न उपाय किये गये हैं :—

(i) आवास ऋणों, छोटे-मोटे कारोबार तथा व्यापार के लिये ऋणों, व्यापार के लिये स्थान बनाने के लिये सहायता तथा शैक्षिक रियायतों के लिए प्रतिरूप योजनायें मंजूर कर दी गई हैं और राज्य सरकारों को अधिकार दे दिये गये हैं कि उनके राज्यों में स्वदेश लोटे लोगों को इन योजनाओं के अधीन पुनर्वास सहायता दे दी जाये ।

(ii) स्वदेश लौटे लोगों में कृषि परिवारों के पुनर्वास के लिये, कृष्य योजनाएं हाथ में ली जाती हैं । बर्मा से स्वदेश लौटे कृषक परिवारों को तामिलनाडू में बसाने की एक योजना मंजूर कर दी गई है । 29.01 लाख रुपये की लागत से इस योजना के अधीन 745 परिवारों का पुनर्वास किया जा चुका है । नियमित आधार पर श्रीलंका से अभी तक प्रत्यावासन प्रारम्भ नहीं हुआ है । संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से लौटने वाले इन व्यक्तियों के लिये योजनायें विचाराधीन हैं ।

(iii) बागान कामगारों के लिये, बागान योजनायें हाथ में ली जाती हैं । 2.75 करोड़ रुपये की लागत में मैसूर में 8,000 एकड़ क्षेत्र पर बागान के विकास की योजना मंजूर कर दी गई है । इस योजना में लगभग 1,300 परिवारों का पुनर्वास किया जायेगा । नीलगिरी में 750 एकड़ भूमि पर 92.71 लाख रुपये की लागत की चाय बागान की एक अन्य योजना मंजूर कर दी गई है । इससे लगभग 400 परिवारों का पुनर्वास किया जायेगा ।

(iv) स्वदेश लौटे लोगों को रोजगार कार्यालयों के जरिये भी सहायता दी जाती है । केन्द्रीय सरकार के अधीन रोजगार के लिये आयु में छूट अनुमोदित कर दी गई है और अग्रताएं भी दे दी गई हैं ।

पूर्वी अफीका के देशों से भारत लौटे लोग

पूर्वी अफ्रीका के देशों से भारत लौटे व्यक्तियों को भारत सरकार ने उदार सीमा शुल्क तथा आयात व्यापार नियन्त्रण रियायतें प्रदान करने का निश्चय किया है । निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुये अन्य बातों के साथ-साथ कुछ मुख्य रियायतें-निजी संपत्ति का आयात, निजी रत्नाभूषण/जेवरात, व्यापार संबंधी माल 16,000 रुपये तक के मूल्य का, मशीनरी/औद्योगिक सामान 16,000 रुपये तक का है ।

मोजाम्बिक से स्वदेश लौटे भारतीय

स्वदेश लौटे व्यक्तियों को छोटे-मोटे कारोबार तथा व्यापार चालू करने के लिये ऋण दे दिये गये हैं और गुजरात सरकार द्वारा भूमि के आवंटन में भी अग्रता प्रदान कर दी गई है। उनको उदार सीमा-शुल्क तथा आयात-व्यापार नियन्त्रण रियायतें भी दी गई थीं।

स्वदेश लौटने वाले इन व्यक्तियों को 22.58 लाख रुपये की धनराशि का अनुग्रहपूर्वक अनुदान, 5,000 रुपये तक प्रति परिवार भी मंजूर कर दिया गया है।

(ख) अन्य भारतीय नागरिकों के समान, भारत लौटने वालों को बैंक संस्थाओं से लघु उद्योग स्थापित करने के लिये बैंक सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध हैं यदि वे ऐसी संस्थाओं द्वारा निर्धारित की गई शर्तों को पूरा करते हों। उसके अतिरिक्त, प्रत्यावासी सहकारी बैंक स्थापित करने का निश्चय किया गया है जो कि बर्मा तथा श्रीलंका से स्वदेश लौटे लोगों को छोटे मोटे कारोबार/व्यापार तथा अन्य लघु उद्योग स्थापित करने में वित्तीय सहायता उपलब्ध करेगा। योजना का ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, स्वदेश लौटे लोगों को उद्योग स्थापित करने के प्रयोजन के लिये स्थान विशेष रूप से निश्चित नहीं किये गये हैं। इस प्रकार की सहायता स्वदेश लौटने वालों को अन्य लोगों के साथ राज्य सरकारों की औद्योगिक योजनाओं में प्राप्य होगी। स्थानों की मांग तथा प्राप्यता तथा अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुये स्वदेश लौटने वालों के लिये किसी भी राज्य में औद्योगिक संपदाओं के विकास के प्रश्न पर उपयुक्त समय पर ही विचार किया जायेगा।

पूर्व पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों को पूर्निया में बसाना

*618. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **श्रम पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में पूर्व पाकिस्तान के शरणार्थियों के कुछ परिवारों को विभिन्न टुकड़ियों में सरकारी संरक्षकों के साथ पूर्निया भेजा गया था परन्तु वहां पहुंचने पर उन्हें बताया गया कि शिविर संचालक (कमांडेंट) अथवा किसी अन्य अधिकारी को उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिये कोई अनुदेश प्राप्त नहीं हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कुप्रबन्ध को रोकने और दुःखी शरणार्थियों के साथ अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) और (ख). जी, नहीं। यह सत्य नहीं है कि पूर्वी पाकिस्तान के जो परिवार पुनर्वास स्थलों को छोड़ कर चले आये थे, और जिन्हें अक्तूबर, 1968, से जनवरी, 1969 की अवधि के अन्तर्गत दिल्ली से जत्थों में वापिस भेजा गया था, उनके स्वागत तथा उन्हें आवश्यक सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में पूर्निया जिला में मरंगा शिविर के कैम्प कमाण्डेंट को आदेश

प्राप्त नहीं हुये थे। तथ्य यह है कि इस शिविर में अर्ध-स्थायी आवास, जो पहले इन प्रवासियों के कब्जे में थे, वह बर्मा से स्वदेश लौटे भारतीयों को दे दिये गये थे और इसलिये उनके वहां पहुंचने पर अभित्यागी परिवारों को तम्बुओं में आवास दिया गया जिसे उन्होंने अर्ध-स्थायी आवास की तुलना में घटिया समझा।

चारे का मूल्य

*619. **श्री जि० ब० सिंह :** **श्री श्रीगोपाल साबू :**

श्री शारदानन्द : **श्री कंवर लाल गुप्त :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में चारे के मूल्य बढ़ रहे हैं ;

(ख) चारे का उत्पादन बढ़ाने और मूल्य वृद्धि रोकने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है कि राजस्थान में बड़ी संख्या में मरने वाली गायों तथा अन्य पशुओं की संख्या को कम किया जा सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान में कुछ प्रकार के चारों की कीमतें चढ़ गई हैं जबकि कुछ दूसरे चारों की कीमतें कम हो गई हैं।

(ख) देश में चारे के उत्पादन को बढ़ाने के लिये, भारत सरकार और राज्य सरकारों ने निम्नलिखित विकास कार्यक्रमों को शुरू किया है :—

(i) पशु विकास और दुग्ध उत्पादन योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में चारा फसलों की बुवाई को लोकप्रिय बनाना।

(ii) उत्तर प्रदेश, झांसी में एक "भारतीय ग्रास लैंड और फाडर अनुसंधान संस्थान" की स्थापना की गई है।

(iii) यू० एन० डी० पी० की सहायता से "फोरेज प्रोडक्शन एण्ड डीमान्स्ट्रेशन" सम्बन्धी क्षेत्रीय स्टेशन स्थापित किये जा रहे हैं।

(iv) बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में चारा बैंकों की स्थापना की गई है।

(v) राज्य वन विकास और भूमि संरक्षण योजनाओं के अन्तर्गत घास के साधनों को विकसित करने की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। जहां तक चारे की कीमतों को रोकने का सम्बन्ध है, इस वस्तु को भी अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत ले लिया गया है। जब कभी आवश्यक हो भण्डारों, कीमतों और चारे के गमनागमन पर नियन्त्रण करने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है।

(ग) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

राजस्थान सरकार को 1955 के अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत चारे तथा खाद्यान्नों के भंडार, मूल्यों तथा उनके लाने ले जाने पर नियंत्रण रखने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं ताकि राज्य के अन्दर इन वस्तुओं का स्टाक जमा किया जा सके ।

राजस्थान सरकार ने राज्य के अन्दर तथा पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से चारे का समाहार करने की व्यवस्था की है ताकि चारे के डिपुओं के माध्यम से प्रव्रजन करने वाले पशुओं तथा अन्य पशुओं को सप्लाई किया जा सके ।

राज्य सरकार सूखाग्रस्त क्षेत्रों से ऐसे अन्य क्षेत्रों में पशु भेजने में सहायता करती रही है जहां चरागाह तथा पानी राज्य या पड़ोसी राज्यों में उपलब्ध हो ।

निम्नलिखित राज्य राजस्थान से पशुओं को चरागाह की सुविधायें प्रदान करने के लिये सहमत हो गए हैं :

मध्य प्रदेश	1,00,000	पशु
उत्तर प्रदेश	60,000	,,
पंजाब	10,000	,,

राजस्थान सरकार पशु शिविर स्थापित करने तथा पशुओं की देखभाल के लिये उन्हें राजसहायता देने के लिये स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहन दे रही है । राज्य पशु पालन विभाग शिविरों में पशु सुविधायें प्रदान कर रहा है ।

राजस्थान सरकार ने चारे के लिये घास काटने के बाद वन फिर नियत कर दिये हैं ।

राज्य सरकार कमी वाले क्षेत्रों में पशु पालने वाले व्यक्तियों को चारा खरीदने के लिये 100 रुपये से 500 रुपये तक तकावी दे रही है ।

रेलवे मंत्रालय राजस्थान में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर चारा भेज रहा है तथा उसने भाड़े की दरों में भी रियायत देनी आरम्भ कर दी है ।

कमी वाले क्षेत्रों से रेल द्वारा पशु बाहर भेजने के लिये प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से रेलवे मंत्रालय इन क्षेत्रों से भारत के किसी अन्य नगर में पशु भेजने के लिये भाड़े की दरों में 20 प्रतिशत की रियायत देने के लिये सहमत हो गया था । राजस्थान सरकार भाड़े की दरों में और राजसहायता दे रही थी ।

पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश को इन राज्यों से चारा खरीदने तथा उसका समाहार करने के मामले में राजस्थान सरकार को आवश्यक सुविधायें प्रदान करने के लिये प्रार्थना की गई थी ।

राजस्थान सरकार ने कुएं गहरे करके, नलकूप लगाकर तथा टैंकरों द्वारा पानी सप्लाई करके दूरस्थ गांवों को पेय जल की व्यवस्था में सुधार करने के लिये कार्यवाही की है ।

केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद् को राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशु सहायता कार्य के लिये 5,25,000 रुपये का अनुदान दिया ।

राजस्थान सरकार को नलकूप लगाने, खाद्यान्नों की राजसहायता प्राप्त दरों पर सप्लाई करने, तथा बीकानेर जिले में गहन पशु विकास क्षेत्रों के लिये एक ट्रैक्टर तथा एक ट्रक खरीदने के लिये 11,50,000 की राशि देनी मंजूर की है ।

वसूल की जाने वाली चीनी का मूल्य

*620. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले चीनी उद्योग के प्रतिनिधि उनसे मिले थे और उन्होंने मांग की थी कि अनेक मिलों को गन्ने से कम मात्रा में चीनी उपलब्ध होने के कारण वसूल की जाने वाली चीनी के मूल्य बढ़ाये जाने चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) यह सच है कि पायरेला से प्रभावित कुछ क्षेत्रों में अब तक बताए गये उपलब्धि के आंकड़े मूलतः अनुमानित आंकड़ों से अपेक्षाकृत कम हैं । जब लेवी मूल्य में पूर्व की भांति अगला संशोधन किया जायेगा तब इस ओर अन्य सभी संगत तथ्यों पर विचार किया जायेगा ।

खाद्य उत्पादों की क्रय-विक्रय व्यवस्था

*621. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने खाद्य-उत्पादों की क्रय-विक्रय व्यवस्था के बारे में कोई योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना अब तक किन-किन राज्यों में आरम्भ की गई है; और

(ग) क्या यह अन्य सब राज्यों में भी आरम्भ की जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां, भारतीय खाद्य निगम गेहूं और मक्का के पदार्थों के चुनिंदा खुदरा विपणन की एक योजना चला रहा है ।

(ख) केरल, मैसूर, मद्रास और दिल्ली ।

(ग) अन्य राज्यों में इस योजना के विस्तार का प्रश्न निगम के विचाराधीन है ।

राष्ट्रीय बीज प्रयोगशाला की स्थापना

*622. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जनवरी, 1969 को बम्बई में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के कृषि विज्ञान अनुभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर यू० एन० चटर्जी द्वारा दिये गये इस सुझाव की ओर दिलाया गया है कि भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने की अविलम्ब आवश्यकताओं को देखते हुये बीजों के क्रिया विज्ञान तथा जीव-रसायन का अध्ययन करने के वर्तमान अनुसंधान संस्थाओं से स्वतंत्र एक राष्ट्रीय बीज प्रयोगशाला की तुरन्त स्थापना की जानी चाहिये; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार वर्तमान स्थिति में यह आवश्यक नहीं समझती कि अनुसंधान संस्थानों से अलग स्वतंत्र रूप में एक राष्ट्रीय बीज प्रयोगशाला की स्थापना की जाये जैसा कि प्रोफेसर यू० एन० चटर्जी ने सुझाव दिया है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में हाल ही में एक तकनौलोजी का पूर्ण प्रभाग स्थापित किया गया है जहां पर बीज के शरीर क्रियात्मक, रोग विज्ञान सम्बन्धी, कीट विज्ञान सम्बन्धी और जीव रसायनी पहलुओं के अध्ययन के लिये सुविधायें प्रदान की गई हैं । अतः एक स्वतंत्र बीज प्रयोगशाला की स्थापना करना एक अनावश्यक और द्विरूपकरण करना होगा । बीज तकनौलोजी के नये प्रभाग के अलावा पौध शरीर क्रिया विज्ञान का एक प्रथक प्रभाग उसी संस्थान में पहले से ही विद्यमान है जो फसल उत्पादन से सम्बन्ध रखने वाली विभिन्न शरीर क्रियात्मक सम्बन्धी पहलू भी सम्मिलित हैं, अनुसंधान कर रहा है । इसके अतिरिक्त बीज परीक्षण करने वाली कितनी ही प्रयोगशालायें देश में स्थापित कर दी गई हैं, जिनमें से कुछ प्रयोगशालायें भविष्य में बीज-गुण और तकनौलोजी के अन्य पहलुओं पर अनुसंधान करने के लिये सम्भवतः सुविधायें प्रदान कर सकेंगी ।

भारत में कृषि अनुसंधान

*623. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाडा के अध्ययन दल ने, जिसने गत वर्ष देश के कुछ कृषि अनुसंधान संस्थान देखे थे, भारत में कृषि अनुसंधान क्षेत्र में हुई प्रगति को असंतोषजनक बताया है ;

(ख) इस सम्बन्ध में उसके क्या विचार और सुझाव हैं; और

(ग) उसके द्वारा दी गई सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जी नहीं। रिपोर्ट के उन भागों में जिनमें अनुसंधान की ओर निदेश है, अनुसंधान की वर्तमान जरूरतों को देखते हुए, कर्भचारियों, भौतिक साधनों, साज-सामान और विशिष्टीकृत सुविधाओं की कमी की ओर संकेत किया गया है। कतिपय सामने आने वाली कुछ समस्याओं का मुकाबला करने के लिये अनुसंधान करने की जरूरतों का भी हवाला है। कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में हुई प्रगति के प्रति कोई विरुद्ध समालोचना नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं होता।

अहमदाबाद में रेलवेपुरा डाकखाना

*624. **श्री द० रा० परमार** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदाबाद में रेवाड़ी बाजार में नये डाकखाने के खोले जाने के परिणामस्वरूप रेलवेपुरा डाकखाने के काम के घण्टों में कमी कर दी गई है;

(ख) क्या काम के घण्टों में कमी किये जाने के विरुद्ध, क्योंकि इससे जनता को असुविधा हुई है, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं / संघों और व्यापार मण्डल से सरकार को शिकायतें और अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) यह कमी 17 जुलाई, 1968 से की गई थी।

(ख) जी हां, इस सम्बन्ध में एक संसद् सदस्य और यूनियनों से शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ग) रेलवेपुरा डाक घर में पहले जिन सुविधाओं की व्यवस्था थी, वे 20 जनवरी, 1969 से दुबारा बहाल कर दी गई हैं।

क्षार का भूमि पर प्रभाव

*625. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 120 लाख एकड़ भूमि क्षार से प्रभावित है जिससे उत्पादिता को गम्भीर खतरा है और इसमें से 30 तथा 20 लाख एकड़ भूमि क्रमशः पंजाब और उत्तर प्रदेश में है;

(ख) भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं; और

(ग) इनका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अनुमान लगाया गया है कि लगभग 120 से 150 लाख एकड़ भूमि क्षारीयता, अमलीयता या जललग्नता से प्रभावित हुई है। पंजाब व उत्तर प्रदेश में लगभग तीस-तीस लाख एकड़ भूमि प्रभावित हुई है।

(ख) और (ग). पूर्व योजनाओं की अवधि में 1.5 लाख से भी अधिक भूमि में सुधार सम्बन्धी कदम उठाये गये हैं। चतुर्थ योजना की अवधि में लगभग 2.00 लाख एकड़ भूमि को सुधारने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने प्रभावित राज्यों के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में क्षारीय व अमलीय भूमि को सुधारने के लिये मार्गदर्शी योजनायें स्वीकार की हैं।

भारत के कृषि विशेषज्ञों का विदेशों को जाना

*626. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन कृषि विशेषज्ञों ने विदेशों में रोजगार प्राप्त करने के लिये गत वर्ष त्याग-पत्र दिया था, उनकी संख्या, उनके नाम, पद, वेतन तथा उनकी अर्हताएं क्या-क्या हैं;

(ख) उनके त्याग-पत्रों में क्या-क्या कारण दिये गये हैं और वे किस-किस देश को जाना चाहते हैं;

(ग) इन कृषि विशेषज्ञों को बाहर जाने से रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उन्हें देश भक्ति के आधार पर भारत में ही रखने के लिये भी प्रयत्न किये जा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला, यदि नहीं तो इसके कारण क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क), (ग) और (ङ). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जिन कृषि विशेषज्ञों ने विदेशों में रोजगार प्राप्त करने के लिये गत वर्ष त्याग-पत्र दिये थे उनके नाम तथा उनके बारे में पूछा गया ब्योरा इस प्रकार है :—

(एक) डा० एन० एल० धावन, एम० एस० सी०, पी० एच० डी०, एसोशिएट, आई० ए० आर० आई० प्रोजैक्ट कोआडिनेटर, मेज बीडिंग स्कीम, आई० ए० आर० आई०, नई दिल्ली। वेतन : 1360 रुपये प्रतिमास।

(दो) डा० दी० बी० सुखात्मे, एम० ए०, पी० एच० डी०, सीनियर प्रोफेसर आफ

स्टैटिटिस्क्स इन्स्टीयूट आफ एग्रीकल्चुरल रिसर्च स्टैटिस्टिक्स, नई दिल्ली। वेतन : 1250 रुपये प्रतिमास।

(ग) हमारी अनुसंधान संस्थाओं में रोजगार के पर्याप्त अवसरों तथा पर्याप्त उच्च वेतन-क्रमों के अभाव और पर्याप्त भौतिक सुविधाओं के न होने के कारण ही प्रायः युवा वैज्ञानिक विदेशों में रोजगार ढूंढ़ते हैं। हमारे युवा वैज्ञानिकों का अन्य देशों में विशेषकर अमरीका और पश्चिम यूरोपीय देशों में रोजगार ढूंढ़ने का एक मुख्य कारण यह भी है कि वहां पारिश्रमिक अधिक मिलता है जिसके अनुसंधान अनुभव तथा निष्पत्तियों के इस प्रक्रम पर भारत में मिलने की आशा नहीं की जा सकती। दुर्भाग्यवश यह सच है कि हमारा देश वैज्ञानिकों को उतना अधिक वेतन नहीं दे सकता जितना कि पश्चिमी देश देते हैं। इसलिये हमारे भारतीय कृषि वैज्ञानिकों की सेवा शर्तों में सुधार करने तथा उनके वेतन क्रमों को बढ़ाने के मामले में सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिये ताकि वे अन्य देशों में ऊंचे वेतन-मानों के प्रलोभन से बाहर न जायें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् युवा वैज्ञानिकों को अपनी अनुसंधान संस्थाओं की ओर आकर्षित करने तथा उन्हें खुश व संतुष्ट रखने के लिये बहुत से उपाय कर रही है जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

(एक) अनुसंधान कार्यक्रमों के निर्माण तथा निष्पादन में भाग लेना। कर्मचारी अनुसंधान परिषदें स्थापित करके ऐसा किया जाता है और प्रत्येक अनुसंधान संस्था के लिये ऐसी एक परिषद् स्थापित की जाती है। संस्था में चल रही प्रत्येक परियोजना विशेष रूप से तैयार की जाती है और उसमें भाग लेने वाले कनिष्ठ तथा वरिष्ठ वैज्ञानिकों के नाम शुरू से ही बताये जाते हैं। सभी परियोजनाओं के लिये संस्था कर्मचारी अनुसंधान परिषद् की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। परिणामों के प्रकाशन में परियोजना में भाग लेने वाले सभी वैज्ञानिकों के नाम प्रकाशन के लेखक के रूप में दिये जाते हैं। इस प्रकार, हमारे अनुसंधान वैज्ञानिकों को पूर्ण कार्य सन्तोष देने तथा उनके महत्वपूर्ण और उत्पादनशील अनुसंधान कार्यक्रमों में भाग लेने की भावना पैदा करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न किया जाता है।

(दो) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने इस परिषद के अनुसंधान संस्थाओं के योग्य कनिष्ठ एवं वरिष्ठ वैज्ञानिकों को योग्यता के आधार पर अगले उच्चतर वेतन क्रम में पदोन्नतियां देने तथा अग्रिम वार्षिक वृद्धियां देने की पद्धति चालू की है। इस प्रयोजनार्थ मामलों पर प्रतिवर्ष विचार किया जाता है।

(तीन) योग्य कनिष्ठ वैज्ञानिकों को देश में विचार-गोष्ठियों, परिसंवादों तथा वर्कशाप बैठकों में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है और अन्य देशों में अग्रेतर प्रशिक्षण के लिये उनका चयन करने के मामले पर भी विचार किया जाता है।

(चार) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद रफी अहमद किदवई स्मारक पुरस्कार जैसे विशेष योग्यता पुरस्कार भी देती है जिनके लिये सभी वैज्ञानिक, चाहे वे कनिष्ठ हों, अथवा वरिष्ठ, प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।

(पांच) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद में अपने अधीन वैज्ञानिक पदों पर भर्ती करने के लिये विदेशस्थ उन भारतीय वैज्ञानिकों के मामलों पर भी अब विचार किया जाता है जो इस देश में वैज्ञानिक पदों पर कार्य करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। इस परिषद में विभिन्न पदों के लिये ऐसे बहुत से वैज्ञानिकों का चयन किया गया है। विदेशों में काम करने वाले बहुत से भारतीय वैज्ञानिकों पर इसका नैतिक प्रभाव पड़ा है। हमारे रिक्त स्थानों के बारे में विदेशस्थ भारतीय दूतावासों के माध्यम से समुचित प्रचार किया जाता है।

इन उपायों के परिणामस्वरूप इस परिषद् के विभिन्न संस्थाओं में वैज्ञानिक वातावरण तैयार हुआ है तथा कनिष्ठ और वरिष्ठ वैज्ञानिकों में परियोजनाओं में भाग लेने की भावना पैदा हुई है।

(ङ) जहां तक इन दो विशेषज्ञों (डा० एन०एल० धावन तथा डा० वी० वी० सुखात्मे) का सम्बन्ध है, भारत सरकार ने ऐसा विशेषरूप से आवश्यक महसूस नहीं किया कि उन्हें भारत से बाहर पद स्वीकार करने से रोका जाये। डा० धावन के मामले में उन्होंने मैक्सिको में एक अनुसंधान संगठन में, जिसे "इन्टरनेशनल सेन्टर फार दि इम्प्रूवमेन्ट आफ मेज एन्ड ह्वीट" कहा जाता है, सीनियर मेज ब्रीडर के रूप में पद ग्रहण किया है। इस संगठन द्वारा तैयार की गई मक्की सामग्री भारत में मक्की अनुसंधान परियोजना को उपलब्ध की जायेगी, इस भावना से, मैक्सिकन अनुसंधान संगठन द्वारा डा० धावन को दिये गये रोजगार का प्रत्यक्ष लाभ भारत को होगा। पिछले बीस वर्षों में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर तैयार किया गया मक्की अनुसंधान कार्यक्रम अब ठोस नीव पर रखा गया है और पर्याप्त संख्या में अच्छे-अच्छे वैज्ञानिक पैदा किये गये हैं। इसलिये ऐसा महसूस किया गया कि हमारे देश से एक वैज्ञानिक के बाहर चले जाने से हमारी प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा विशेषत: उस स्थिति में जबकि डा० धावन ने एक ऐसा पद-भार ग्रहण किया है जो हमारे देश के हित में भी है।

जहां तक डा० सुखात्मे का सम्बन्ध है, मूलरूप से वह कुछ वर्षों के लिये विजिटिंग एसोशियेट प्रोफेसर के रूप में एक अमरीकी विश्वविद्यालय में काम करना चाहते थे। चूंकि वह कृषि अनुसंधान सांख्यिकी संस्था में एक सीनियर प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे थे, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ने उन्हें कार्य-मुक्त करने के प्रश्न पर काफी सोच-विचार किया था। चूंकि हमारा देश सांख्यिकी में अनुसंधान के क्षेत्र में काफी मजबूत है, ऐसा महसूस किया गया कि

एक वरिष्ठ वैज्ञानिक को विदेश में पद-ग्रहण करने की अनुमति देने से कोई नुकसान नहीं होगा ।

इसलिये, देशभक्ति के आधार पर इन दो वैज्ञानिकों को देश में रखने के प्रयत्न करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ख) डा० एन०एल० धावन ने मैक्सिको के अन्तर्राष्ट्रीय मक्का तथा गेहूं अनुसंधान केन्द्र के साथ एक करार करने हेतु अपना त्यागपत्र दिया है । डा० सुखात्मे ने अपने व्यक्तिगत कारणों से त्यागपत्र दिया है, परन्तु पता चला है कि उन्होंने ओवा विश्वविद्यालय (संयुक्त राज्य अमरीका) से एक करार किया है ।

(घ) और (च). प्रश्न नहीं होते ।

कुछ राज्यों में कृषि श्रमिकों की कमी

*627. **श्री शशि भूषण :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब और मद्रास जैसे राज्यों में फसल के समय पर खेतिहर मजदूरों का सामान्यतः अभाव रहता है जबकि अन्य राज्यों में उन्हें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) कुछ राज्यों में खेतिहर मजदूरों में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के लिये सरकार का किस प्रकार के प्रोत्साहन देने का विचार है जिससे कि वे एक राज्य से दूसरे राज्य में शीघ्रता से जा सकें ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). यह मामला राज्य से सम्बन्ध रखता है ।

सीलोन ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन को भारत से व्यावसायिक विज्ञापन

*628. **श्री अदिचन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विविध भारती से व्यापारिक प्रसारण शुरू होने के बावजूद भारत से कितने व्यापारिक विज्ञापन सीलोन ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के व्यापार विभाग को मिलते हैं; और

(ख) इसके फलस्वरूप अनुमानतः कितना वार्षिक राजस्व देश से बाहर चला जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ख) भारत के विज्ञापनों द्वारा सीलोन को प्रतिवर्ष 6 लाख रुपये के विज्ञापन देने की सीमा निर्धारित की गई है ।

Independent Department for Broadcasting Hindi Programmes of All India Radio

*629. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether the question of establishing an independent department for broadcasting of Hindi Programmes and Bulletins from All India Radio has been a matter of discussion for the last few years ;

(b) if so, the time when a final decision will be taken in this connection ; and

(c) whether it is also a fact that as there is no independent machinery some Hindi Programmes and Bulletins are merely translations of English Programmes and Bulletins which do not create good impression on the public in general ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir. This is not a fact ; Hindi programmes, including most of the news bulletins are prepared in Hindi.

उत्तर प्रदेश में नये टेलीफोन कनेक्शन

*630. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश राज्य में नये टेलीफोन कनेक्शनों की बहुत मांग है ;

(ख) यदि हां, तो 1 जनवरी, 1969 को टेलीफोन के लिये कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन थे ; और

(ग) टेलीफोन कनेक्शन शीघ्र दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 31,222.

(ग) अधिकांश शहरों की टेलीफोन व्यवस्था में समुचित विस्तार करने का प्रस्ताव है ताकि मौजूदा प्रतीक्षा सूचियों में दर्ज सभी लोगों को उत्तरोत्तर कनेक्शन दिए जा सकें । इसके लिए समूचे विभाग के लिये बनने वाली योजनाओं के अन्तर्गत ब्योरेवार विकास योजनाएं बनाई जा रही हैं ।

Devotional Songs Programmes of A. I. R.

3722. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the percentage of devotional songs of different religious sects broadcast over all the

stations of the All India Radio in its devotional songs' programmes ; and

(b) the percentage out of them of the Ved Mantras, Ayats of the Kuran and Hymns of of the Bible ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Memoranda by Programme Executives at Sangli Radio Station

3723. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Commnications** be pleased to state :

(a) whether Programme Executives of the Sangli Station of All India Radio have sent many memoranda to the Government in regard to the bad treatment meted out to them by the Station Engineers during last one year ; and

(b) if so, the reasons for which no action has so far been taken on these memoranda ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). No, Sir. But a complaint has recently been made by a Transmission Executive at Sangli Station of All India Radio against the alleged bad treatment meted out to the staff by the Station Engineer there, and it is under examination.

उर्वरक तथा खाद्यान्नों के आयात के लिये भाड़ा

3724. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरकों तथा खाद्य के आयात के लिये 1966-67 तथा 1967-68 में कितना भाड़ा दिया गया तथा यह भाड़ा किन नौवहन समुदायों को दिया गया और प्रत्येक को कितना-कितना मिला ;

(ख) विदेशी मुद्रा तथा रुपयों में वर्ष-वार कितनी राशि दी गई ;

(ग) कुल भाड़े में, वर्ष-वार भारतीय नौवहन समुदायों का हिस्सा कितना था;

(घ) क्या खाद्यान्न की सहायता और सम्भरण के साथ केवल विदेशी जहाजों के प्रयोग की शर्त जोड़ी जाती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो भारतीय जहाजों का अधिक प्रयोग न किये जाने का क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 418/69] जहां तक नौवहन कम्पनियों के नामों तथा प्रत्येक कम्पनी के शेयर का सम्बन्ध है, विदेशों में स्थित मिशनों से सूचना एकत्रित

की जा रही है । फिर भी इस सूचना को एकत्रित करने में जितना समय तथा श्रम लगेगा उसके अनुपात में उतना लाभ नहीं होगा ।

(घ) तथा (ङ). खाद्यान्न सहायता तथा सम्भरण के साथ विदेशी जहाजों के प्रयोग की शर्त नहीं जुड़ी होती है लेकिन पी० एल० 480 करार के अधीन खाद्यान्नों की 50 प्रतिशत मात्रा अमरीकी ध्वज पोतों में लानी पड़ती है । जरूरत के समय और स्थिति में जितने भी भारतीय पोत उपलब्ध होते हैं, उनका प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर हमेशा ही प्रयोग किया जाता है ।

पत्तनों में भीड़ के कारण उर्वरक और खाद्यान्न वाले जहाजों को रोका जाना

3725. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 और 1967-68 में उर्वरक और खाद्यान्नों से लदे कितने विदेशी और भारतीय जहाजों को बड़े पत्तनों पर स्थान के न होने के कारण रुकना पड़ा ;

(ख) गत दो वर्षों में, रोकने और विलम्ब शुल्क के रूप में कम्पनी-वार और वर्ष-वार कितनी देशी और विदेशी मुद्रा अदा की गई ; और

(ग) पत्तनों में भीड़-भाड़ की समस्या को जिसके कारण ऊपर के व्यय होते हैं, को निकट भविष्य में किस प्रकार हल करने का प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1966-67 में 381 खाद्यान्न से लदे जहाजों को और 123 उर्वरकों से लदे जहाजों को (कुल 504 जहाज) और 1967-68 में 130 खाद्यान्न से लदे जहाजों को और 75 उर्वरकों से लदे जहाजों को (कुल 205 जहाज) प्रमुख भारतीय बन्दरगाहों पर घाट न मिलने के कारण 4 दिन से अधिक समय तक रुकना पड़ा था । भारतीय बन्दरगाहों पर 4 दिन से कम समय के लिये औसतन प्रतीक्षा को एक सामान्य बात माना जाता है ।

(ख) विलम्ब शुल्क के रूप में दी जाने वाली राशि न केवल स्थानों के अभाव के कारण प्रतीक्षा के लिये दी जाती है बल्कि विवर्तन, जहाज के क्षतिग्रस्त होने से धीमी निकासी के कारण तथा अन्य कार्यचालक कठिनाइयों जैसे अन्य संबन्धित कारणों के लिये भी दी जाती है । अतः स्थानों के अभाव के कारण प्रतीक्षा के लिये विलम्ब शुल्क के रूप में कितनी राशि दी गई है यह ठीक-ठीक अलग से बताना सम्भव प्रतीत नहीं होता है ।

(ग) सरकार ने यथाशीघ्र खाद्यान्नों तथा उर्वरकों को जहाजों से उतारने के लिये सभी सम्भव पग उठाए हैं ताकि विलम्ब शुल्क या तो देना ही न पड़े अथवा कम देना पड़े । इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पग भी शामिल हैं :—

(1) जहाज से यथासम्भव तेजी से निकासी तथा उसको खाली करना ।

(2) यथा व्यवहार्य जहाजों को अधिक जमाव वाली बन्दरगाहों से कम जमाव वाली बन्दरगाहों की ओर मोड़ना ।

(3) आयात कार्यक्रम को इस प्रकार तैयार करना ताकि जहाजों के जमाव को यथा-सम्भव रोका जा सके ।

विदेशों से प्राप्त दुग्धचूर्ण

3726. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया से प्राप्त तथा अनन्तपुर में भेजा गया 200 मीटरिक टन दुग्ध चूर्ण मानवीय उपभोग के अयोग्य पाया गया था ;

(ख) यह दुग्ध चूर्ण भारत में कब पहुंचा, किस देश से आया, रुपयों में उसका मूल्य क्या है और पहुंचने के बाद अनन्तपुर भेजे जाने तक उसे कहां रखा गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि कई देश भारत को अपना फालतू तथा खराब दुग्ध चूर्ण तथा खाद्यान्न भेजते हैं और भारत बिना किसी शिकायत के उन्हें स्वीकार कर लेता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो विदेशी सम्भरणकर्ताओं से कितनी शिकायतें की गई हैं, सम्बन्धित बस्तुओं के नाम क्या हैं, उनका मूल्य कितना है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1968 में आंध्र प्रदेश में स्थिति अनन्तपुर को 200 मीटरी टन दुग्ध चूर्ण भेजा गया था जिसे अनन्तपुर पहुंचने पर मानव उपभोग के अयोग्य पाया गया था । यह दुग्ध-चूर्ण फ्रांस से प्राप्त हुआ था न कि आस्ट्रेलिया से । इस दूध को मूल लकड़ी के ड्रमों में बिना खोले अनन्तपुर भेजा गया था ।

(ख) दुग्ध चूर्ण फ्रांस से प्राप्त माल का एक भाग था जो कलकत्ता में 23 अगस्त, 1967 को प्राप्त हुआ था । अनन्तपुर को भेजने से पहले दुग्ध चूर्ण को कलकत्ता बन्दरगाह क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के डिपों में रखा गया था । दुग्ध चूर्ण का मूल्य लगभग 96,600 रुपये है ।

(ग) जी नहीं । बन्दरगाहों पर प्रचलित प्रणाली के अनुसार बन्दरगाह स्वास्थ्य अधिकारी पारगमन शेडों से बाहर भेजने से पहले ही विदेशों से प्राप्त सभी खाद्य पदार्थों (खाद्यान्नों को छोड़कर) की जांच करते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि माल अच्छी हालत में है और वह मानव उपभोग के योग्य है अथवा नहीं । बन्दरगाह स्वास्थ्य अधिकारी केवल अच्छी हालत के माल की पारगमन शेडों से सुपुर्दगी लेने की अनुमति देता है यदि बन्दरगाह स्वास्थ्य अधिकारी माल को दूषित घोषित करता है तो पोर्ट ट्रस्ट अधिकारी क्षतिग्रस्त माल को नष्ट करवा देते हैं ।

जहां तक खाद्यान्नों का सम्बन्ध है (गेहूं, चावल तथा माइलो) माल की जांच जहाजों पर लदाने से पहले ही प्रेषण स्थान पर की जाती है। यदि खाद्यान्न समुद्री यात्रा के दौरान क्षतिग्रस्त होता है तो स्वतंत्र सर्वेक्षण का प्रबंध किया जाता है। क्षतिग्रस्त माल का वर्गीकरण एक तकनीकी समिति करती है और यदि उसमें से किसी मात्रा को मानव उपभोग के अयोग्य पाया जाता है तो उसके मानव उपभोग के अलावा अन्य प्रयोजन के लिये बेचने हेतु प्रबन्ध किये जाते हैं।

विदेशों से क्षतिग्रस्त खाद्य पदार्थों तथा खाद्यान्नों को स्वीकार करने का प्रश्न ही नही उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारी

3727. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68 में उनके मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों का कोई सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो श्रेणी-वार कितने कर्मचारी फालतू हैं और क्या सरकार का विचार इनकी छंटनी करने अथवा इन्हें कहीं और काम पर लगाने का है ;

(ग) 1 अप्रैल, 1968 से 30 जून, 1968 की अवधि में उनके मंत्रालय ने कितने अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये तथा इसी अवधि में राजपत्रित अधिकारियों के कितने नये पद निकाले गये ; और

(घ) उनके मंत्रालय में, राज्य मंत्री तथा उपमंत्रियों के पास ऐसे फालतू कर्मचारियों का ब्योरा क्या है जिनके लिये उचित मंजूरी नहीं ली गई है।

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). श्रम रोजगार विभाग तथा पुनर्वास विभाग के सम्बन्ध में अलग-अलग विवरण, जिनमें अपेक्षित सूचना दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 419/69]

(घ) इस मंत्रालय के मंत्रियों के साथ ऐसा कोई फालतू कर्मचारी काम नहीं कर रहा है जिसके लिये उचित मंजूरी न ली गई हो।

मध्य प्रदेश को गेहूं की सप्लाई

3723. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से दिसम्बर, 1968 के लिये कितना गेहूं मांगा था ; और

(ख) सरकार ने उक्त मास के लिये कितना गेहूं देना निश्चित किया था और वास्तव में कितना दिया ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने दिसम्बर, 1968 के लिये कोई भी मांग नहीं की थी ।

(ख) मध्य प्रदेश स्थित आटा मिलों को दिसम्बर, 1968 में 3.4 हजार मीटरी टन गेहूं आवंटित किया गया था जिसमें से 2.3 हजार मीटरी टन की मात्रा वास्तव में सप्लाई की गई थी ।

मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का का मानचित्र

3729. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखा सम्बन्धी समस्याओं को स्थायी रूप से हल करने के लिये अग्रिम परियोजनाएं आरम्भ करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार से मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का कोई मानचित्र प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश सहित, सब राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई थी कि वे प्राय: सूखा रहने वाले अपने क्षेत्रों का 'क', 'ख', और 'ग' श्रेणियों के रूप में वर्गीकरण करें । मध्य प्रदेश सरकार से, चिरकालीन सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को प्रदर्शन करने वाला कोई मानचित्र प्राप्त नहीं हुआ है । अब निर्णय किया गया है कि परियोजना को 1-4-1969 से राज्य योजना का अंग समझा जाये, राष्ट्रीय विकास परिषद ने निर्णय किया है कि चिरकालीन सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को सम्बंधित राज्य की विशिष्ट समस्याओं में शामिल कर लिया जाये और राज्यों के लिये कुल केन्द्रीय सहायता का 10 प्रतिशत भाग ऐसी विशेष समस्याओं के लिये उद्दिष्ट किया जायेगा ।

Irrigation Schemes Sent by Madhya Pradesh Government

3730. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Government have sent nine irrigation schemes for the benefit of displaced persons being settled in Betul, Sarguja, Pamera and Hoshangabad Districts for the approval of Central Government ; and

(b) if so, the progress made so far in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b). The Government of Madhya Pradesh had sent, for the approval of the Government of India, the following schemes for providing irrigation facilities to 10,690 acres of lands belonging to the new migrants from East Pakistan and 19,680 acres of lands belonging to the local people in the three Rehabilitation Zones at Betul, Surguja and Panna, at an estimated cost of Rs. 7.32 crores :—

Name of Rehabilitation Zone	Name of irrigation schemes	Area estimated to be irrigated (in acres)			Estimated cost (Rs. in crores)
		Migrants, lands	Local people's lands	Total	
1. Betul ..	Bichhua Canal, Latia Reservoir Canal and Upper Tawa Dam.	7,800	17,680	25,480	6.88
2. Panna ..	Jamunhai and Hatupur	1,140	—	1,140	0.19
3. Surguja ..	Jhalpi Nala, Rajbandha and Sagati Tank.	1,000	250	1,250	0.16
4. Surguja ..	Chanan Diversion Scheme.	750	1,750	2,500	0.11
	Total..	10,690	19,680	30,370	7.32

The Superintending Engineer, Central Water and Power Commission, who had visited the Irrigation Project sites in Betul, suggested certain modifications in the Betul Schemes. The matter was discussed with the State Chief Irrigation Engineer and other technical experts of the State and Central Governments in a meeting held at New Delhi on the 9th January, 1969. The State Government's representatives assured that they would send the revised project reports in respect of Bichhua Irrigation Scheme by the middle of April, 1969, and Latia Reservoir Scheme by the 30th June, 1969. They assured that the Upper Tawa Scheme would be sent as expeditiously as possible.

Jamunhai and Hatupur Irrigation schemes in Panna Rehabilitation Zone and Jhalpi Nala, Rajbandha and Sagati Tank Irrigation schemes in Surguja Rahabilitation Zone have been sanctioned by the Government of India on the 13th February, 1969.

The Chanan Diversion Irrigation Scheme in Surguja Rehabilitation Zone was also discussed with the technical experts of the Cental and the State Governments in the meeting held at New Delhi on the 9th January, 1969. The State Government is drawing up the detailed project report in respect of this scheme and they have been requested to expedite its submission to the Government of India.

भारतीय खाद्य निगम को चने और जौ की सप्लाई करने के लिये आढ़ती

3731. **श्री नंजा गौडर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम ने चने और जौ की सप्लाई करने के लिए कुछ आढ़ती नियुक्त किये है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के किस्म निरीक्षिक नमूने लेते हैं, और किस्म निरीक्षक तथा आढ़ती दोनों इन्हें सील कर देते हैं, और नतीजों की सूचना आढ़ती को 15 दिन के अन्दर दे दी जाती है ;

(ग) यदि हां, तो टेन्डर संख्या डी / 2 (20-जी)/ 67-68/9393 दिनांक 5 मार्च, 1968, डी० /2 (20-बी) /67-68/9392 दिनांक 5/6 मार्च, 1968 तथा डी० /2 (20-बी)/ 67-68/8981 दिनांक 24/26 फरवरी, 1968 पर सप्लाई किये गये आनाज की कीमत में किस्मानुसार भारी कमी करने के क्या आधार थे ; और

(घ) आढ़तियों को नतीजों की सूचना किस तारीख को दी गई थी और किस्म निरीक्षक द्वारा लिये गये नमूनों की सीलें किन परिस्थितियों में तोड़ी गई थीं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं । भारतीय खाद्य निगम ने चने और जौ के लिये टेंडर मांगे थे और उसके लिये कोई भी खाद्यान्न व्यापारी इन अनाजों की सप्लाई के लिये पेशकश कर सकता था ।

(ख) टेंडर खरीदारी के लिये, भारतीय खाद्य निगम के स्थानीय प्रतिनिधि और विक्रेता (टेंडर देने वाला) नमूने लेते हैं और इकट्ठे सील लगाते हैं । यदि विक्रेता के पास अपनी सील न हो तो सिर्फ भारतीय खाद्य निगम की सील प्रयोग की जाती है और जो कि विक्रेता को मान्य होती है । विक्रेता को विश्लेषण रिपोर्ट भेजने के लिये कोई भी समय पाबन्दी नहीं दी हुई है ।

(ग) ठेके में कूड़ा करकट की विहित छूट की मात्रा से अधिक कूड़ा करकट के बारे में किस्म सम्बन्धी कटौती लगाई जाती है ।

(घ) परिणाम 23-5-68 और 24-5-68 को सूचित किये गये थे । शील भारतीय खाद्य निगम की प्रयोगशाला में नमूनों के विश्लेषण के समय तोड़ी गई थी ।

भारतीय खाद्य निगम के आढ़ती

3732. **श्री नंजा गौडर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम को टेंडरों पर अनाज सप्लाई करने के लिये इस निगम के आढ़तियों को जमानत की राशि जमा करवानी पड़ती है ;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम को यह अधिकार है कि वह कुछ परिस्थितियों में आढ़तियों द्वारा जमा करवाई गई जमानत की राशि न लौटाये ;

(ग) यदि इस राशि को इस प्रकार नहीं लौटाया जाता है तो क्या प्रत्येक मामले में कारणों की सूचना आढ़ती को दी जाती है ; और

(घ) यदि हां तो मैसर्स तिलक राज धर्मपाल, लुधियाना द्वारा टैंडर संख्या डी० / 2 (20-जी०)/ 67-68/9393 दिनांक 5 मार्च, 1968, डी० /2 (20-बी०) /67-68/9392, दिनांक 5/6 मार्च, 1968 तथा डी० /2 (20-बी०) / 67-68/8981 दिनांक 24/26

फरवरी, 1968 के लिये जमा करवाई गई जमानत की राशि को न लौटाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). जी हां ।

(घ) मैसर्स तिलक राज धर्मपाल, लुधियाना ने बेबाकी (प्रमाण) पत्र नहीं भेजा है जैसा कि ठेके की शर्तों में व्यवस्था है ।

आकाशवाणी में वर्क्स मुंशी

3733. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री 28 अगस्त, 1968 तथा 11 दिसम्बर, 1968 के क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 6177 और 4091 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक खण्ड में वर्क्स मुन्शियों के कितने पद बनाये गये हैं ;

(ख) वर्क्स मुन्शियों के कितने पद नियमित पदों में मिला दिये गये हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके विस्तृत कारण क्या हैं ; और

(घ) उस पर और कितना समय लगने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री ई० कु० गुजराल) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

Modern Rice Mills in Maharashtra

3734. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state

(a) whether Government extended loans to Maharashtra Government to set up modern rice mills in the State during the years 1967-68 and 1968-69 ;

(b) the total amount granted and the number of such mills to be established ; and

(c) the number of such mills as have started functioning ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise, in view of (a) above.

(c) Does not arise, in view of (a) above.

Bungling in Nav Ketan House Building Society, New Delhi

3735. **Shri P. M. Sayeed** : **Shri Narain Swarup Sharma** :
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri Om Prakash Tyagi** :
Shri M. L. Sondhi :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the names of the persons against whom action is being taken and enquiry is being made in the case of bungling of lakhs of rupees in Nav Ketan Co-operative House Building Society, 7 Jantar Manter Road, New Delhi ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : According to the information furnished by Delhi Administration, a statutory enquiry under the Co-operative Law into the affairs of the Nav Ketan Co-operative House Building Society, New Delhi, is in progress. The irregularities and the persons who are responsible for them will be known only on the completion of the enquiry.

Agricultural University in Garhwal

3736. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Arjun Singh Bhadoria :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no Agricultural University in the Pauri-Garhwal District of Uttar Pradesh, whereas the neighbouring Kumaon area has got one ;

(b) whether it is also a fact that although the Garhwal District is an agriculture based area, Government are not paying any attention towards the agricultural development in that area ;

(c) if so, whether Government propose to set up an agriculture university there ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, it is a fact that there is no Agricultural University in the Pauri-Garhwal District of Uttar Pradesh and that the Uttar Pradesh Agricultural University is located at Pantnagar, Nainital which happens to be a district of Kumaon region. This University, however, irrespective of its location is expected to serve the whole State of Uttar Pradesh including the Pauri-Garhwal area.

(b) According to the information furnished by the State Government of Uttar Pradesh it does not appear to be a fact that adequate attention is not being paid to Garhwal District for developing its agriculture. Garhwal, Nainital, Almora and other hilly Districts are contiguous and form part of the hilly region of the State. The hill region has better potential for horticultural development and also needs provision of soil conservation measures. The Director, Fruit Utilization, Ranikhet assisted by the Deputy Director of Horticulture, Pauri, is executing programmes of horticulture development in all the districts of this hill region. As regards soil conservation, the number of Sub-divisional units operating in each district is given below, which indicates the intensity at which the problem of soil erosion is being tackled in this region:

S. No.	Name of district.	No. of Soil Cons. Units.
1.	Pauri-Garhwal	1
2.	Tehri-Garhwal	3
3.	Nainital	1
4.	Almora	1
5.	Uttar Kashi	1
6.	Chamoli	1
7.	Pithoragarh	—
8.	Dehradun (Chakrata)	1
	Total	9

(c) The State Government do not propose to set up an Agriculturel University in Garhwal district, as the benefits accruing from the Agricultural University, Pantnagar, District Nainital are available to the entire State.

(d) There is no need to set up another University in Garhwal, as the out-turn of Agricultural Graduates and Post Graduates in the existing institutions of the State is not only sufficient to meet the State's requirement, but also leaves some surplus. Hence, it would not be advisable to establish another Agricultural University.

नारवे से मछली पकड़ने वाली नौकाओं तथा उपकरणों का आयात

3737. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नारवे से मछली पकड़ने वाली नौकाओं तथा उपकरणों के आयात के लिये 157.50 लाख रुपये का ऋण प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या ऐसे आयात की अनुमति है और यदि हां, तो क्या यह आयात सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में किया जायेगा ; और

(ग) नारवे से जिस शीर्षक के अन्तर्गत यह ऋण मिला है उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) कुछ निश्चित शर्तों के अनुसार मछली पकड़ने के लिये 30 पोतों के आयात की एक योजना के अधीन आयात लाइसेंस जारी करने हेतु पोतों के आयात के लिये प्राप्त हुए आवेदन विचाराधीन हैं। इस योजना का सम्बन्ध सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर मछली पकड़ने से है।

(ग) नारवे की सरकार विभिन्न करारों के अन्तर्गत भारत में मछली विकास के लिये तकनीकी अनुभव, पोतों और उपकरणों के रूप में 1952 से सहायता प्रदान करती रही है। 17 मार्च, 1967 को हुये एक करार के अन्तर्गत नारवे की सरकार ने भारत में उपलब्ध न होने वाली तकनीकी सहायता, उपकरणों व मशीनों के रूप में 400 लाख क्रोनर्ज (नार्वे की मुद्रा) देना स्वीकार कर लिया था। इसके अतिरिक्त नार्वे की सरकार ने मशीनों व उपकरणों (जिनमें पोत और फालतू पुर्जे व पोतों के काम आने वाली अन्य चीजें भी शामिल हैं) ऋण देना स्वीकार कर लिया था ताकि भारतीय मछली उद्योग को विकसित किया जा सके। कुल 400 लाख क्रोनर्ज (420.00 लाख रुपये) की कुल सहायता में से 150 लाख क्रोनर्ज (157.50 लाख रुपये) की रकम 16 सितम्बर, 1968 को हुये एक अनुपूरक करार की शर्तों के अनुसार ऋण के रूप में प्रदान की थी।

Publication of Books, Magazines and Reports

3738. **Shri Ramji Ram** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of magazines and books and annual, monthly and fortnightly reports which are being published by his Ministry ;

(b) the number out of them published in English and Hindi, separately ;

(c) whether there is any proposal to publish all these magazines and books in Hindi ;

(d) if so, when ; and

(e) if not, the use of these books for the Indian people who do not know English and the propriety of spending public money on these publications ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) and (b). On an average 240 books, pamphlets, magazines and journals are brought out by the Ministry of Information and Broadcasting in English, Hindi and other languages in a year.

Out of 19 programme journals published by All India Radio, two are in English and one is in Hindi.

The Publications Division bring out 5 magazines in English and 4 in Hindi. Out of 210 books, pamphlets and albums brought out by the Publications Division in 1968, 50 were in English and 40 were in Hindi.

The Annual Report of the Registrar of Newspapers, entitled "Press in India" (Part I) is published in English and Hindi.

The journals of All India Radio carry programme details and are intended to give advance information about them to listeners in various linguistic regions/foreign countries. The publication of all the journals in Hindi would not serve the purpose in view.

It is not feasible to bring out all the publications of the Publications Division in Hindi also. It is not necessary to produce publications meant largely for readership abroad, such as INDIAN AND FOREIGN REVIEW, etc. in Hindi. Efforts are being made to bring out more and more publications in Hindi. In pursuance of this objective, the Hindi Section of the Division has been strengthened by the appointment of a senior officer of the rank of Deputy Director. The Children's literature produced by the Division is brought out mostly in Hindi. This includes such titles as BHARAT KE GAURAV ; BHARAT KE AMAR CHARITRA ; GYAN SAROVAR ; BHARAT KI LOK KATHAIN ; SARAL PANCHTANTRA etc.

The language of a book is determined by factors such as the readership aimed at, its sales potential both within the country and abroad, etc.

Part II of the book "Press in India" (Annual Report of Registrar of Newspapers) is a catalogue of newspapers and periodicals published in the country and the need for bringing it out in Hindi has not been felt.

बम्बई में टेलीविजन स्टेशन

3739. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत बम्बई के निकट टेलिविजन स्टेशन स्थापित करने के लिये विदेशी सहायता प्राप्त करने की सम्भावना का पता लगा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो किन देशों ने सहायता की पेशकश की है और उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) स्टेशन के किस तारीख तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री ई० कु० गुजराल): (क) और (ख). जर्मनी की संघीय गणतंत्र सरकार ने भारत को बम्बई में एक टेलिविजन स्टेशन स्थापित करने के लिये सहायता देने की इच्छा व्यक्त की है किन्तु अभी तक सहायता के प्रस्ताव की पुष्टि नहीं की गई है।

(ग) इस स्थिति में कोई भी निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती यथापि बम्बई में टेलिविजन स्टेशन की स्थापना के प्रस्ताव को चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में सम्मिलित कर लिया गया है।

मंत्रालय में फालतू कर्मचारी

3740. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 के दौरान उनके मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों का कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो वर्गवार कितने फालतू कर्मचारी थे और क्या सरकार ने उनकी छंटनी कर दी अथवा उन्हें अन्य स्थानों पर काम पर लगा दिया गया;

(ग) 1 अप्रैल, 1968 से 30 जून, 1968 की अवधि में मंत्रालय द्वारा वर्गवार कितने अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किये गये और इस अवधि में कितने राजपत्रित अधिकारियों के पद बनाये गये; और

(घ) मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप-मंत्रियों के साथ सम्बद्ध फालतू कर्मचारियों, जिनके लिये स्वीकृति नहीं ली गयी है, का ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Rice Mills in Rajasthan

3741. **Shri Meetha Lal Meena** . Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to paucity of rains production of rice decreased in 1968 in Rajasthan;

(b) if so the quantity of total rice production in Rajasthan in 1968 and how much less it was than the production in previous years;

(c) whether it is a fact that due to less production of rice, the rice mills of Rajasthan are threatend with closure;

(d) whether Government have received some complaints from the rice mills regarding the closure; and

(e) if so, the reaction of Government in regard thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). Due to paucity of rains, production of rice in Rajasthan during 1968-69 is likely to be considerably lower than that during 1967-68. The All-India Final Estimate of Rice for 1968-69, giving State-wise break-up has not yet been formulated.

(c) to (e). A request was made by the Chawal Mill Sangh, Gangapur City, Rajasthan, to allow movement of paddy from other States on the plea that the rice mills in Rajasthan were reported to be facing closure on account of failure of rice crop in Rajasthan. Later, in December, 1968, the Government of Rajasthan reported that they had no information of any crisis in rice mills in Rajasthan due to non-availability of paddy and that no representation had been received by them from the rice mill owners or their association.

Development of Communication System in Rajasthan

3742. **Shri Meetha Lal Meena:** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) the outlines of scheme proposed to be formulated by Government for the development of Communication system and telephone service in Rajasthan in the year 1969-70;

(b) whether it is a fact that no development is being made in telephone service in Jaipur and Bharatpur divisions of Rajasthan; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) The schemes proposed for the development of communication system and telephone services in Rajasthan in the year 1969-70 have been broadly indicated in the Annexure. **[Placed in Library. See No. LT-420/69].** Besides schemes for expansion of Coaxial and Microwave network in this area to provide large blocks of stable circuits are in progress.

(b) No Sir, this is not a fact. The developments that are being made in Communication system in these two divisions of Jaipur and Bharatpur have also been given in the Annexure. **[Placed in Library. See No. LT-420/69]**

(c) Does not arise.

Repatriates from Ceylon

3743. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 35,000 Indians are expected to come to India from Ceylon this year under the 15 years' repatriation programme;

(b) whether it is also a fact that almost an equal number of Indians are expected to come to India from Ceylon next year also;

(c) the details of the programme chalked out for their rehabilitation; and

(d) estimated expenditure likely to be incurred on their rehabilitation?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b). Under the Indo-Ceylon Agreement, 1964, 5.25 lakhs persons of Indian origin are to be repatriated to India over a period of 15 years. This works out to an average of about 35,000 persons per year. It is, however, not possible to indicate accurately at this stage the number of repatriates who might come this year and next year.

(c) A statement, showing the measures taken for their rehabilitation, is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-421/69.]**

(d) A budget provision of Rs. 120.23 lakhs has been proposed for the year 1969-70 for schemes of rehabilitation of repatriates from Ceylon. It is not possible at this stage to give an estimate of expenditure beyond this period.

Improvement in Telegraph Services

3744. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether there was any improvement in the telegraph services in the country during last year ;

(b) whether it is also a fact that letters are delivered expeditiously as compared to telegrams ;

(c) if so, whether improving the telegraph service is under consideration of Government ; and

(d) the time by which final decision will be taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) During the year 1968, 35,466 complaints were filed against the Telegraph Service whereas 43,947 in the previous year bringing down the complaints from 9 to 8 per 10,000 telegrams booked. This indicates that there has been improvement. By and large the telegraph service has improved in other respects also.

(b) No. Telegraphs service is faster than postal service. However, some telegrams may be delayed in exceptional circumstances beyond human control such as break-downs to telegraph circuits.

(c) To improve the telegraph service further, a Departmental Committee has been set up to study the working of the Telegraph branch with a view to devising measures for bringing about ;

(i) Economics consistent with efficiency, and

(ii) reduction in the costs by improved methods of working and application of technological advancements.

(d) The Committee is likely to submit its report in July/August, 1969. It is too early to indicate a target date regarding implementation of a report which is not available as yet. Best of efforts will be made to adopt measures to improve the service.

राज्य कर्मचारी बीमा योजना के औषधालयों का कार्य-संचालन

3745. **श्री रा० की० अमीन :**

श्री द० रा० परमार :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य कर्मचारी बीमा योजना के औषधालयों के कार्य चालन के सम्बन्ध में गम्भीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने जांच की थी;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और उस पर क्या कार्यवाही की गई थी; और

(घ) यदि कोई जांच नहीं की गई है, तो इसके कारण क्या हैं और क्या सरकार का विचार कोई जांच करने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ). कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा लाभ की सांविधिक जिम्मेवारी दिल्ली को छोड़कर सभी राज्य सरकारों की है। दिल्ली में यह जिम्मेवारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ले ली है। दवाइयों की अपर्याप्त सप्लाई, कर्मचारियों की कमी, कुछ मामलों में प्रमाण-पत्र जारी न करना तथा विशेषज्ञों एवं ऐम्बुलेंस सेवाओं के अभाव के बारे में समय-समय पर सामान्य किस्म की शिकायतें प्राप्त होती हैं। सम्बंधित राज्य सरकारों द्वारा इन शिकायतों की जांच की जाती है। दिल्ली में इस प्रकार की शिकायतों की जांच कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा की जाती है और उसी द्वारा उचित कार्यवाही की जाती है।

सोयाबीन की उपज

3746. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य के सात जिलों में गैर-सरकारी क्षेत्र के एक समवाय द्वारा प्रोटीन की अधिक मात्रा वाले सोयाबीन उगाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और इस बारे में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) गुजरात सरकार ने हमें सूचित किया है कि 1969-70 की अवधि में सोयाबीन की शुद्ध फसल के रूप में 1,420 हैक्टेअर भूमि में और कपास के साथ मिश्रित फसल के रूप में

4,000 हैक्टेअर भूमि में बोने का प्रस्ताव है। सोयाबीन को मुख्यतः सहकारी समितियों द्वारा उनके सदस्यों के माध्यम से उगाने का प्रस्ताव है।

(ख) शुरू किये जाने वाला प्रस्तावित कच्चा कार्यक्रम निम्न प्रकार है :

	जिला	शुद्ध फसल (क्षेत्रफल हैक्टेअरों में)	मिश्रित फसल
1.	बुलसर	400	—
2.	सूरत	—	2,000
3.	भरौच	—	2,000
4.	बड़ौदा	100	—
5.	पंचमहल	120	—
6.	राजकोट	400	—
7.	अमरेली	400	—
	कुल ...	1,420	4,000

राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र की एक कम्पनी ने वाणिज्यिक स्तर पर ठेके के आधार पर सोयाबीन की खेती करने का प्रायोजन किया है।

केन्द्रीय सरकार का मत है कि सोयाबीन एक बड़ी अच्छी फसल है और वह इसे बड़े स्तर पर शुरू करने के कार्य को प्रोत्साहन दे रही है। उदाहरण के तौर पर गुजरात में किये गये अनुसंधान से पता चलता है कि विशेषकर मध्य तथा दक्षिणी गुजरात में कपास के साथ सोयाबीन की मिश्रित खेती करने से बड़ी अच्छी उपज होती है।

गुजरात को गेहूं की सप्लाई

3747. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने 1968 के दौरान केन्द्रीय सरकार से कितनी मात्रा में गेहूं की मांग की और सरकार द्वारा गेहूं का कितना कोटा नियत किया गया; और

(ख) उक्त वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार ने गुजरात को वास्तव में कितना गेहूं सप्लाई किया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). 1968 में, गेहूं की मांगी, आवंटित तथा सप्लाई की गई मात्रा के संबंध में स्थिति इस प्रकार थी :—

	(हजार मीटरी टन में)
मांगी गई मात्रा	510.0
आवंटित की गई मात्रा	322.0
सप्लाई की गई मात्रा	210.0

गुजरात में भूमि बन्धक बैंक

3748. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68 में गुजरात में भूमि बन्धक बैंकों को सरकार द्वारा कोई सहायता दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक बैंक को कितनी-कितनी राशि दी गई थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) गुजरात सरकार ने निम्नलिखित सहायता दी है :—

1. **गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक :**

(1) गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक को इनके लिए उपदान-अलाभकारी शाखाओं, ग्रामीण ऋण-पत्र एकत्र करने के लिए एजेन्टों को कमीशन और खोपरा विकास योजना के लिए विशेष कर्मचारी —रु० 69,931

(2) गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के साधारण ऋण-पत्रों में सरकारी अंशदान —रु० 479 लाख

(3) गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के विशेष ऋण पत्रों में सरकारी अंशदान —रु० 2 लाख

2. **प्राथमिक भूमि विकास बैंकों को उपदान :**

(1) सूरत जिला सहकारी भूमि विकास बैंक —रु० 2,138.00

(2) बड़ौच जिला सहकारी भूमि विकास बैंक —रु० 5,043.50

1967-68 में गुजरात सरकार को गुजरात राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के साधारण ऋण पत्रों में अंशदान देने के लिए 312 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता सुलभ की गई थी । इस राशि के अलावा, राज्य सरकार ने 167 लाख रुपए अपने निजी साधनों से दिए । इस प्रकार राज्य सरकार ने साधारण ऋण-पत्रों में कुल 479 लाख रुपए का अंशदान दिया ।

आन्ध्र प्रदेश में अधिक फसल देने वाली किस्म के बारे में कार्यक्रम

3749. **श्री सरजू पाण्डेय :** **श्री अदिचन :**
श्री ईश्वर रेड्डी : **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में रबी की फसल के लिये अधिक उपज देने वाली किस्म के कार्यक्रम के बारे में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ख) इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केन्द्र द्वारा राज्यों को क्या सहायता दी जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) आन्ध्र प्रदेश में रबी-ग्रीष्म, 1968-69 के लिये अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत 4.03 लाख एकड़ भूमि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) क्षेत्र स्तर पर पर्यवेक्षण और तकनीकी पथ प्रदर्शन प्रदान करने के लिये खण्ड और जिले के स्तरों पर अधिक उपज देने वाली किस्म के कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त केवल अतिरिक्त कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय सहायता उपलब्ध है। आवश्यकता पड़ने पर भारत सरकार तकनीकी सलाह प्रदान करती है।

लक्कदीव में मत्स्यपालन का विकास

3750. **श्री प० मु० सईद :**
श्री वीरभद्र सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में लक्कदीव में मत्स्यपालन के विकास के लिये वर्षवार कितनी राशि नियत की गई और व्यय की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : जानकारी इक्ट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Telephone and Post Office Facilities in U. P. and Madras

3751. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 843 on the 19th December, 1968 and state :

(a) the time by which telephone connection is likely to be given to village Chawli ;

(b) the number of Post Offices in Uttar Pradesh and Madras separately, where there are no telephone connections ; and

(c) whether Madras is given preference in the matter of installation of telephone connections as compared to U. P. ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No proposal for providing a telephone exchange or a Public Call Office at Chawli has been approved so far. The nearest telephone exchange is at Etmadpur which is 14 Kms from Village Chawli.

(b) Uttar Pradesh .. 11,345

Madras .. 8,799

(c) No.

Buffer Stock of Foodgrains

3752. **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri Hem Raj :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the quantity of each variety of imported as well as indigenous foodgrains left in balance in the buffer stock with Government after distribution in the year 1968 ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : The physical stocks of imported as well as indigenous foodgrains both with the Centre and State Governments after distribution in the year 1968 were about 3.78 million tonnes consisting of 10.8 lakh tonnes of rice, 21.3 lakh tonnes of wheat and 5.7 lakh tonnes of coarse grains.

वसूली के मूल्यों का विलम्ब से भुगतान करने पर ब्याज

3753. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :**
श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषकों को वसूली के मूल्य की देर से भुगतान करने पर भारतीय खाद्य निगम को ब्याज देना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1967-68 में और 1 मार्च, 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 के बीच की अवधि में राज्य-वार, कितना ब्याज दिया गया;

(ग) वसूली मूल्य के भुगतान में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) विलम्ब न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास शीघ्र भुगतान करने की व्यवस्था है।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

रेडियो लाइसेंस

3754. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967, 1968 और 1969 में अब तक कितने रेडियो लाइसेंस जारी किये गये;

(ख) इससे कितनी राशि प्राप्त हुई;

(ग) उक्त अवधि में कितने रेडियों लाइसेंसों का नवीकरण किया गया; और

(घ) इससे कितनी राशि प्राप्त हुई ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) नये जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या :

	1967	23,72,881
	1968	31,33,706
	1969	सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।
(ख)	1967	2,16,10,716 रुपये
	1968	3,60,50,744 रुपये
	1969	सूचना इकट्ठी की जा रही और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) नवीकृत किये गये पुराने लाइसेंसों की संख्या :

	1967	52,06,587
	1968	61,48,649
	1969	सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।
(घ)	1967	7,60,81,918 रुपये
	1968	8,45,85,029 रुपये
	1969	सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

बर्मा से स्वदेश लौटने वाले व्यक्तियों को व्यापार के लिये ऋण

3755. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा से दिल्ली लौटते हुए व्यक्तियों को व्यापार के लिये ऋण की राशि बढ़ाने के बारे में सरकार को कोई नये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर को नई हिदायतें दे दी गई हैं, और व्यापार ऋणों के लिये वित्तीय सहायता की राशि बढ़ा दी गई है;

(ग) यदि हां, तो कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और कितने मामलों में बड़ी मात्रा में ऋण की राशि दे दी गई है; और

(घ) क्या आरम्भ में जिनको दो किस्तों में 2,000 रुपयों का ऋण मंजूर किया गया था उनमें और जिनको 4,000 रुपये से 5,000 रुपये के ऋण मंजूर किये गये हैं उनमें कोई भेद किया जा रहा है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उनको दिल्ली में बर्मा से स्वदेश लौटे किसी भी व्यक्ति का व्यापार के लिये दिये गये ऋण की राशि बढ़ाने के बारे में कोई नया अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिये कोई नई हिदायतें जारी नहीं की गईं; न ही डिप्टी कमिश्नर, दिल्ली, के वित्तीय बटवारे में व्यापार ऋण को बढ़ाने के लिये वृद्धि की गई है ।

दिल्ली प्रशासन ने आगे बताया है कि 18.5.1968 तक बर्मा से स्वदेश लौटे केवल 5 व्यक्तियों से अतिरिक्त ऋण के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से दो मामलों के अतिरिक्त ऋण मंजूर कर दिये गये थे और दो अन्य आवेदन-पत्र इस आधार पर अस्वीकृत कर दिये गये थे कि ऋण पाने वालों का व्यापार भली प्रकार से चल रहा था और जांच-पड़ताल करने पर यह पाया गया कि उन्हें ऋण की वृद्धि की आवश्यकता नहीं थी। पांचवें आवेदक को सूचित किया गया था कि अतिरिक्त ऋण के लिये उसकी प्रार्थना पर तब विचार किया जायेगा जबकि उसको पूर्व मंजूर की गई ऋण की द्वितीय किश्त दे दी जायेगी और उसका उपयुक्त प्रयोग कर लिया जायेगा ।

(घ) जी नहीं । तथापि अब 2,000 रुपये के ऋण की धनराशि एक किश्त में दे दी जाती है ।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के टोकन न जारी करना

3756. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा गत दो वर्षों में दर्ज की गई पंजीयन संख्या के अनुसार प्रार्थियों को दूध के लिये टोकन नहीं जारी किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) बारी के अनुसार टोकन जारी करने का सिद्धांत क्यों नहीं अपनाया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) (क) बहुत ही विशिष्ट मामलों को छोड़कर, प्रतीक्षा सूची में पंजीयन के अनुसार दूध के टोकन जारी किये जाते हैं ।

(ख) पारी के बिना दूध संसद् सदस्य, दूतावास के कार्मिकों को और संसद् सदस्यों तथा अन्य बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सिफारिशों पर विशिष्ठ योग्य मामलों में दिया जाता है ।

(ग) बहुत ही विशिष्ट मामलों को छोड़कर "प्रथम आये प्रथम पाये" के सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है ।

स्वतन्त्रता संग्राम के कुछ सेनानियों की स्मृति में डाक टिकट

3757. **श्री शिव चंडिका प्रसाद** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय उनके मंत्रालय में स्वतन्त्रता संग्राम के महान् सेनानियों तथा शहीदों

यथा स्वर्गीय प्रोफेसर अब्दुल वारी और बिहार के बिरसा महाराज की स्मृति में चालू वर्ष में डाक टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं । अब तक ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) यह प्रस्ताव डाक-टिकट सलाहकार समिति के सम्मुख इसकी अगली बैठक में रखा जाएगा ।

कृषि योग्य भूमि

3758. **श्री एम० नारायण रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत, जो वर्ष 1885 में 52.8 था अब घट कर 47.2 रह गया है जबकि इस अवधि में नये क्षेत्रों में खेती की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह निराशाजनक स्थिति तीन पंचवर्षीय योजनाओं तथा दो वार्षिक योजनाओं में कार्य ठीक न होने के कारण हुई है ; और

(ग) "युद्ध स्तर" पर कृषि की भी भूमि का प्रतिशत बढ़ाने तथा यथार्थवादी तरीके से समस्या हल करने के लिये अब क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से(ग).ब्रिटिश भारत में 1885-86 में कृषिगत क्षेत्र और रिपोर्टिंग क्षेत्र का अनुपात 43.5 प्रतिशत आता था जबकि 1965-66 में भारत संघ के लिये इन का अनुपात 48.8 प्रतिशत था । फिर भी इन वर्षों के लिये आंकड़ों की भूगोलिक क्षेत्रों, सांख्यिकीय मूल्यांकन और आधार आदि की तबदीली के कारण तुलना नहीं की जा सकती ।

काश्त योग्य भूमि बनाने और विकास कार्यक्रमों के आधीन पहली पंचवर्षीय योजनाओं में 98 लाख एकड़ भूमि को काश्तयोग्य बनाया गया और बाद के दो वर्षों में 1966-67 और 1967-68 में 5.9 लाख एकड़ को काश्त योग्य बनाया गया । तीन योजनाओं में भूमि प्रयोग संख्यिकी के अधीन काश्त क्षेत्र की रिपोर्टिंग क्षेत्र से प्रतिशत नीचे दी गई है :

वर्ष	**काश्त क्षेत्र की रिपोर्टिंग क्षेत्र से प्रतिशत**
1950-51 (प्रथम योजना का शुरू)	45.5

1955-56	
(प्रथम योजना का अन्तिम वर्ष)	48.2
1960-61	
(दूसरी योजना का अन्तिम वर्ष)	48.4
1965-66	
(तीसरी योजना का अन्तिम वर्ष)	48.8
	(अस्थाई)

यथासम्भव काश्त योग्य भूमि योजनाओं को अपनाने द्वारा और दो फसलों और बहु फसलों को आरम्भ करके देश में फसल अधीन क्षेत्र को बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। पिछले तीन सालों में पहली बार विभिन्न राज्यों में मुख्य नदी घाटी परियोजनों के क्षेत्रों में कृषि अपव्यय भूमि और सूखी खेती भूमि के विकास के लिये साधन अपनाने शुरू किये गये हैं।

भूमि संरक्षण

3759. **श्री एम० नारायण रेड्डी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रामीण कृषि संस्था, बीचपुरी, आगरा द्वारा व्यक्त किये गये इन विचारों का पता है कि देश में भूमि संरक्षण उपाय न किये जाने के कारण भूमि के ऊपरी भाग की मिट्टी तेजी से बहती जा रही है।

(ख) भूमि संरक्षण के लिये इस दिशा में क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ग) क्या इस योजना को कोई प्राथमिकता दी गई है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). आगरा विश्वविद्यालय की जनवरी, 1959 की पत्रिका में प्रकाशित एक लेख में ग्रामीण कृषि संस्था, बीचपुरी, आगरा के एक विद्वान ने यह बतलाया था कि भूक्षरण उन कारणों में से एक है जो भूमि की उत्पाद्यता को ह्रास की ओर अग्रसर कर रहा है। सरकार इस समस्या के बारे में प्रथम विकास योजना के प्रारम्भ से ही सचेत रही है और तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भूमि संरक्षण संबंधी उपायों को समस्त देश की लगभग 58 लाख हैक्टेयर भूमि में अपनाया गया है। और इस वर्ष के अन्त तक अन्य 40 लाख हैक्टेयर भूमि में आवरित करने की संभावना है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य और केन्द्रीय क्षेत्रों में कार्यक्रम को गतिमान करने का प्रस्ताव है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

Bogus Ration Cards in Delhi

3760. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of bogus ration cards detected in Delhi during 1967-68 ; and

(b) the number of persons against whom cases were registered and the number of bogus ration cards cancelled ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) 23,606 bogus ration cards were either detected or surrendered voluntarily.

(b) 81 persons. A total number of 4,25,579 cereal and 2,32,058 sugar units were cancelled.

Wheat Import from U. S. A.

3761. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleaesed to state :

(a) the quantity and value of wheat imported from U. S. A. from January 1968 to date ; and

(b) the target of import of wheat upto June, 1969, its cost and number of instalments in which payment will be made ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : The total quantity of wheat imported from U.S.A. during January, 1968 to February, 1969 amounted to 45.63 lakh metric tons valued at approximately Rs. 13.53 crores.

(b) A quantity of 8.52 lakh tonnes of wheat is expected to be imported from U. S. A. from March, 1969 to June, 1969. It is not possible to indicate the cost of this wheat at this stage as the prices and the freight which may have to be paid therefor are not yet known. Regarding the payment of this wheat, which will be coming under the P.L. 480 Agreement with U.S.A., the Rupee equivalent of the Dollar cost of foodgrains is deposited in the U. S. Government title account in India except for the quantities imported under credit terms. In the latter case, the repayment is to be made in 31 instalments, the first instalment falling due ten years after the date of last delivery of the commodity in each Calendar year.

वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन

3762. **श्री अदिचन :** **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री महराज सिंह भारती : **श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ाने तथा वर्तमान कारखानों तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में नये कारखानों में उनका उपयोग करने के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित अविलम्बनीय कार्यक्रम विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आरम्भ किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम पर कितना व्यय होगा तथा इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) वाणिज्यिक फसलों के विकास के लिये यदि केरल सरकार ने चौथी पंचवर्षीय

योजना में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के एक अंश के रूप में क्रियान्वित करने हेतु कोई योजना बनाई है तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) निर्यात/आयात के प्रतिस्थापन के लिये कपास, मूंगफली, तम्बाकू, लाख, काली मिर्च, काजू, नारियल, पटसन, अरण्डी, सुपारी तथा मसाला आदि नकदी की फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिये चतुर्थ योजना की अवधि में विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को जारी रखने का प्रस्ताव है । यह बढ़ा हुआ उत्पादन चतुर्थ योजना की अवधि में मौजूदा कारखानों की मांग को पूरा करने के लिये काम में लाया जायेगा ।

(ख) 1969-70 तक कार्यक्रम का ब्योरा सभा-पटल पर रखे गये नोट में दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०** 422/69] पूर्ण चतुर्थ योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है । चतुर्थ योजना की अवधि में इन योजनाओं के लिये 14.50 करोड़ रुपये की अन्तिम व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

(ग) भारत सरकार का प्रस्ताव है कि चतुर्थ योजना की अवधि में केरल राज्य में नारियल, काजू, काली मिर्च, अदरक तथा सुपारी के विकास के लिये केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को कार्यरूप दिया जाये । अभी केरल सरकार से योजना का ब्योरा प्राप्त होना है ।

शरणार्थियों का आर्थिक दृष्टि से पुनर्वास

3763. **श्री समर गुह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के आर्थिक दृष्टि के पुनर्वास के लिये व्यापार व्यवसाय तथा उद्योग के क्षेत्रों में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) इन क्षेत्रों में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है ;

(ग) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों का आर्थिक दृष्टि से पुनर्वास अब भी सरकार के लिये एक भयंकर समस्या है और इन शरणार्थियों का आर्थिक स्तर पर पुनर्वास न हो सकने के कारण भारत के पूर्वी भाग में काफी राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक तनाव है ; और

(घ) यदि हां, तो पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के आर्थिक स्तर पर पुनर्वास के मामले में नये सिरे से कार्यवाही करने तथा समूची योजना को अधिक कारगर बनाने के लिये अधिक संसाधनों से योजना में आमूल परिवर्तन करने का सरकार का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) . अब तक पूर्वी पाकिस्तान से भारत आये विस्थापित व्यक्तियों की कुल संख्या 50.23 लाख है । इनमें से 41.17 लाख व्यक्ति 31 मार्च, 1958 तक आये थे । उनके मामले में

पश्चिम बंगाल में कुछ अवशिष्ट मदों के अतिरिक्त, जिनका पुनरीक्षण, श्री एन० सी० चटर्जी संसद् सदस्य जी की अध्यक्षता में समीक्षा समिति द्वारा किया जा रहा है, प्राय: सभी पुनर्वास कार्य 1960-61 तक पूर्ण हो गया था। छोटे-मोटे कार्य व्यापार तथा उद्योग के क्षेत्र में सरकार द्वारा सुगम शर्तों पर ऋण दिये गये थे। विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से निजी उद्योगपतियों को सहायता प्रदान की गई थी और सार्वजनिक क्षेत्र में, नये गद्योग स्थापित करने तथा निजी उद्योगपतियों को ऋण देने के लिये पुनर्वास उद्योग निगम का गठन किया गया था। छोटे-मोटे कार्य, व्यापार तथा उद्योग इत्यादि के माध्यम से आर्थिक पुनर्वास की योजनाओं की मुख्य-मुख्य बातें तथा उनके लिये 1960-61 तक पूर्वी क्षेत्र में मंजूर की गई धनराशि निम्न में दी गई है :

योजना	लाभ पाने वालों की संख्या	मंजूर की गई धनराशि (रुपये लाखों में)
(i) मध्यम उद्योग योजनायें (रोजगार संभाव्य)	11,400	419.00
(ii) लघु/कुटीर उद्योग (रोजगार संभाव्य)	18,377	136.10
(iii) पुनर्वास उद्योग निगम (रोजगार संभाव्य)	4,500	120.00
(iv) पुनर्वास वित्त प्रशासन (विस्थापित व्यक्ति जिन्हें व्यापार के लिये ऋण दिये गये हैं)	6,000	429.32
(v) परिवार, जिन्हें शहरी क्षेत्रों में छोटे-मोटे कार्य व्यवसायिक धन्धों इत्यादि में बसाया गया।	1,85,000	1,213.00(अनुमानत:)
(vi) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार	65,000	

2. जहां तक 1-1-1964 और उसके बाद आये नये प्रवासियों का सम्बन्ध है, पुनर्वास सहायता केवल उनके लिये ही स्वीकार्य है जिन्होंने शिविरों में प्रवेश प्राप्त किया था। लगभग 35,321 परिवार इस समय पुनर्वास स्थलों में हैं तथा 10,332 परिवार शिविरों में (1-3-1969 को) पुनर्वास की प्रतिक्षा में हैं। नये प्रवासियों को व्यापार, छोटे-मोटे कार्य तथा व्यवसायिक धन्धों के लिए ऋण भी दिये गये हैं। अब तक 4,464 परिवारों को इस प्रकार की सहायता दी गई है। उद्योग के क्षेत्र में, लघु तथा माध्यम उद्योगों में नये प्रवासियों को रोजगार दिलाने के लिये योजनायें मंजूर की गई हैं। इन औद्योगिक योजनाओं में 2,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार पर लगाने की संभावना है।

3. पश्चिम बंगाल के मामले में उसी राज्य में रह रहे नये प्रवासियों द्वारा उत्पन्न की गई समस्या के स्वरूप तथा महत्ता की जांच समीक्षा समिति द्वारा की जा रही है। समिति अन्य बातों के साथ-साथ, उनके तकनीकी प्रशिक्षण के लिये वित्तीय सहायता रोजगार तथा औद्योगिक योजनाओं इत्यादि के सम्बन्ध में भी सिफारिशें करेगी। समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा है।

4. पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के राहत तथा पुनर्वास पर कुल 278.45 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं। विस्थापित व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आर्थिक दृष्टि से पुनर्वास के उपायों का उपयुक्त रूप से विस्तार कर दिया गया है और इसलिये आर्थिक दृष्टि से उनका पुनर्वास न हो सकने तथा उसके फलस्वरूप पूर्वी भाग में राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक तनावों का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

Fulton Sugar Works Limited, Bombay

3764. **Shri Sharda Nand :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the date on which the Fulton Sugar Works Limited, Bombay, applied for a licence and when it started functioning ;

(b) the conditions on which this concern was to function and the type of production work done by it ; and

(c) the extent of production of the concern since its inception ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). There is no Company in the name of Fulton Sugar Works Limited. But there is a company in the name of the 'The Phaltan Sugar Works Limited.' The particulars regarding this Company as far as available are as under :—

The Phaltan Sugar Works Limited is a joint stock company registered under the Indian Company's Act. The Company started its sugar factory at Sakharwadi, District Satara (Maharashtra) in 1934. When the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 came into force in 1952, it got itself registered under this Act, on 29th September, 1952. Later, this Company applied in August, 1959 for the grant of licence under the said Industries Act for increasing the daily cane crushing capacity from 800 tons to 1200/1500 tons. This application was considered by the Government and a licence was issued in July, 1961 for increasing the daily cane crushing capacity from 800 tons to 1000 tons. The expansion was completed during 1964-65 season. The undertaking again submitted an application in July, 1963 for obtaining another licence under the said Industries Act for further increasing the daily cane crushing capacity to 2000 tons and a licence was issued in May, 1966 for increasing the daily cane crushing capacity from 1000 tons to 1500 tonnes. This expansion is yet to be completed.

The undertaking is engaged in the manufacture of sugar at its sugar factory located at Sakharwadi, District Satara (Maharashtra).

(c) The figures for the production of sugar from the very inception of the factory are not readily available. However, the quantity of sugar produced since 1950-51 is given below :—

Season	Sugar produced (tonnes)	Season	Sugar produced (tonnes)
1950-51	11191	1959-60	14659
1951-52	13374	1960-61	15545
1952-53	12759	1961-62	14974
1953-54	11613	1962-63	15988
1954-55	13875	1963-64	14519
1955-56	16235	1964-65	14850
1956-57	16616	1965-66	18683
1957-58	16077	1966-67	16134
1958-59	14776	1967-68	15500

Belapur Sugar Company Limited, Bombay

3765. **Shri Bansh Narain Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the date on which the Belapur Sugar Company Ltd., Bombay applied for a licence and when it started functioning ;

(b) the conditions on which this concern was to function and the type of production work being done by it ; and

(c) the quantum of production of the concern since its inception ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). There is no Company in the name of Belapur Sugar Company Ltd. But there is a company in the name of 'The Belapur Company Ltd.' The particulars regarding this company as far as available are as under :

The Belapur Company Ltd. was registered in 1919 under the Company's Act, 1913 and it started its sugar factory at Harigaon, District Ahmednagar (Maharashtra) from the cane crushing season 1924-25. When the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 came into force in 1952 it got itself registered under the said Act on 17-9-1952. Later this Company applied in October, 1959 for the grant of a licence under the said Act for increasing the daily cane crushing capacity from 1000 tons to 1200 tons. A licence was accordingly issued in July, 1961. This expansion was completed during the season 1964-65. The undertaking again submitted an application in October, 1963, for obtaining another licence under the said Industries Act for further increasing the daily cane crushing capacity to 1500 tons and a licence was granted in June, 1965. This expansion has yet to be completed. Another application has also been received in December, 1965, for increasing the daily cane crushing capacity from 1500 to 2000 tonnes. The same is pending consideration.

The undertaking is engaged in the manufacture of sugar at its sugar factory located at Harigaon, District Ahmednagar.

(c) The quantity of sugar produced by the Belapur Company Ltd. from 1924-25 is given below :

Season	Sugar produced (tonnes)	Season	Sugar produced (tonnes)
1924-25	2100	1946-47	10902
1925-26	2034	1947-48	13770
1926-27	3479	1948-49	13112
1927-28	3684	1949-50	14502
1928-29	2694	1950-51	14112
1929-30	4652	1951-52	17257
1930-31	6432	1952-53	18611
1931-32	7188	1953-54	16298
1932-33	7436	1954-55	19596
1933-34	8715	1955-56	20379
1934-35	10889	1956-57	22816
1935-36	11504	1957-58	20184
1936-37	13282	1958-59	17615
1937-38	12933	1959-60	22260
1938-39	13495	1960-61	25583
1939-40	12068	1961-62	21914
1940-41	11797	1962-63	23493
1941-42	10597	1963-64	25438
1942-43	11651	1964-65	23807
1943-44	11981	1965-66	28254
1944-45	10895	1966-67	23221
1945-46	9791	1967-68	20458

बांड फिल्मों का आयात

3766. **श्री क० लकप्पा :**

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विदेदी :

श्री समर गुह :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बांड फिल्मों को जो बुराइयों से भरी हैं, भारत में आयात करने की अनुमति दी थी; और

(ख) यदि हां, तो 1967 और 1968 के दौरान ऐसी आयात की हुई फिल्मों की संख्या कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :

(क) फिल्मों का आयात अमेरिका की मोशन पिक्चर्स एक्सपोर्ट एसोसियेशन के साथ पारस्परिक करार से नियन्त्रित होता है जिसके अनुसार सारी फिल्मों का कानूनी सेन्सरशिप किया जाता है ताकि आपत्तिजनक फिल्मों को दिखाने पर रोक लगाई जा सके।

1965 तक एक्सपोर्ट इनटायटलमेन्ट योजना के अन्तर्गत गैर-सरकारी आयातकर्ताओं द्वारा कुछ अपराध तथा जासूसी फिल्में आयात की गई थीं। उसके उपरान्त जन भावना का ध्यान करते हुए सरकार ने इस योजना को समाप्त करने का निश्चय किया।

(ख) 'बांड' नामक फिल्मों का कोई अलग वर्गीकरण या श्रेणी नहीं है। अतएव, ऐसी कितनी फिल्में आयात हुई हैं, इसकी संख्या उपलब्ध नहीं है।

देश में डाक डिवीजन

3767. **श्री विश्वनाथ पान्डेय :**

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार डाक-डिवीजनों की संख्या कितनी है ;

(ख) इनमें से कितनी डिवीजनों में डिवीजनल डाक समितियां स्थापित की गई हैं और उन्होंने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) क्या इन समितियों ने कोई सिफारिशें की हैं और यदि हां, तो राज्यवार उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) देश में राज्यवार डाक डिवीजनों की संस्था दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रख

विवरण

राज्यवार डाक डिवीजनों की संख्या

राज्य का नाम	डाक डिवीजनों की संख्या
आन्ध्र	18
असम, त्रिपुरा, मनीपुर, नागालैंड	10
बिहार	15
दिल्ली	3
गुजरात	12
केरल	9
तमिलनाडु और पांडिचेरी	22
महाराष्ट्र और गोआ	22

राज्य का नाम	डाक डिवीजनों की संख्या
मध्य प्रदेश	11
मैसूर	15
उड़ीसा	7
पंजाब, हरियाना, हिमाचल प्रदेश	15
जम्मू तथा कश्मीर	2
राजस्थान	9
उत्तर प्रदेश	23
पश्चिमी बंगाल	18
जोड़ ...	211

(ख) कोई नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गन्ने की पेराई

3768. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में गन्ने की पेराई के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ;

(ख) क्या इस बात के संकेत मिले थे कि सभी राज्यों में मिलों द्वारा अथवा अन्यथा इस वर्ष उत्पादित सब गन्ना पेरा जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) विभिन्न राज्यों में चीनी कारखानों द्वारा पहली अक्तूबर, 1968 से 15 फरवरी, 1969 तक पेरे गए गन्ने की मात्रा बताने वाला एक विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण

1968-69 के मौसम में पहली अक्तूबर, 1968 से 15 फरवरी, 1969 तक की अवधि में चीनी कारखानों द्वारा राज्यवार पेरी गई गन्ने की मात्रा

राज्य	गन्ने की पेरी गई मात्रा (हजार मीटरी टन में)
उत्तर प्रदेश	6068
बिहार	1578

राज्य	गन्ने की पेरी गई मात्रा (हजार मीटरी टन में)
हरियाणा	344
पंजाब	291
असम	30
उड़ीसा	80
पश्चिमी बंगाल	78
मध्य प्रदेश	134
राजस्थान	81
महाराष्ट्र	4610
गुजरात	336
आन्ध्र प्रदेश	1668
मद्रास	1333
मैसूर	977
केरल	96
पांडिचेरी	91
अखिल भारत	17795

(ख) और (ग). देश में गन्ने की कुल पैदावार का केवल लगभग 30 प्रतिशत चीनी कारखानों द्वारा चीनी बनाने के लिये प्रयुक्त किया जाता है और शेष गन्ना गुड़, खण्डसारी आदि बनाने या चूसने और बीज प्रयोजन के लिये इस्तेमाल किया जाता है। देश के कुछ भागों में अब भी इतना गन्ना खड़ा है कि खारखानों को मई के आखिर तक पेरना पड़ेगा। यह बहुत ही आवश्यक है कि यह सारा गन्ना यथा शीघ्रपेरा जाये और सरकार इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्थिति का अध्ययन कर रही है।

Late Crushing of Sugarcane by Sugar Mills

3769. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that several sugar mills started crushing sugar-cane very late during the current season;

(b) the number of mills in each State which started crushing late;

(c) the impact thereof on the production of sugar and price of sugarcane; and

(d) the action taken by Government against these mills?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) A statement giving the Statewise position of number of factories which started late as compared to that in 1967-68 season, is laid on the table of the House.

Statement

State	No. of factories which started late in 1968-69 season as compared to the date of start in 1967-68 season.
Uttar Pradesh	66
Bihar	24
West Bengal	1
Assam	1
Haryana	3
Punjab	5
Rajasthan	2
Madhya Pradesh	1
Orissa	1
Maharashtra	12
Mysore	3
Kerala	2
Andhra Pradesh	9
Madras	3
Total ..	133

(c) Late start of factories in the North is likely to be partly compared by prolongation of the crushing season. Crushing in May, however, will result in substantial loss of recovery. Sugar production up to the 7th March in this season was higher by 2.34 lakh tonnes as compared with corresponding production in 1967-68. As regards sugarcane price, all mills are paying price higher than the statutory price fixed by Government.

(d) As factories are trying to crush as much cane as possible, the need for any action has not arisen so far.

पुरी उड़ीसा में बानपुर लोक कार्य क्षेत्र

3770. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के पुरी जिले में बानपुर लोक कार्य क्षेत्र को वर्ष 1965-66, 1966-67 और 1967-68 में उसके कार्य के लिये सरकार से कुल कितनी धनराशि मिलनी है ;

(ख) क्या उसे इन वर्षों के लिये सीधे अथवा भारत सेवक समाज के माध्यम से कोई धनराशि दी गई है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी राशि दी गई है ;

(घ) क्या सरकार को इस बात का पता लगा है कि भारत सेवक समाज ने उसे वह धन-राशि नहीं दी है ;

(ङ) लोक कार्य क्षेत्र को अब तक कितनी धनराशि दी जानी शेष है ; और

(च) क्या सरकार उसकी बकाया राशि का पूरा भुगतान करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करेगी ताकि लोक कार्य क्षेत्र अपना उपयोगी कार्य जारी रख सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (च). जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

ट्रंक काल मिलाने में विलम्ब

3771. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई के टेलीफोन केन्द्रों में ट्रंक काल मिलाने में विलम्ब के कारण राजस्व की बड़ी हानि होती है ;

(ख) यदि हां, तो अबिलम्ब ट्रंक काल मिलाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) यह ठीक है कि इन चार बड़े टेलीफोन एक्सचेंजों में बुक की गई कालों का कुछ प्रतिशत देरी के कारण रद्द कर दिया जाता है जिससे आय में कुछ कमी होती है ।

(ख) पर्याप्त परिपथों के न होने, कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने और लाइनों पर गड़बड़ी रहने के कारण ट्रंक कालों के निपटान में विलम्ब हुआ है ।

(ग) कार्यभार के मार्गों पर पर्याप्त ट्रंक परिपथों की व्यवस्था करने, शनैः शनैः ऊपर की लाइनों को भूमिगत केबिलों या सूक्ष्मतरंग में बदलने, गड़बड़ी को कम करने के लिए तांबे के तारों को तांबे के झले और एलमुनियम के तारों में बदलने और कर्मचारियों की गैर-हाजिरी कम करने के लिए विभाग द्वारा कदम उठाये जा रहे हैं ।

कोयला, अभ्रक तथा लोह अयस्क श्रमिकों के लिये संयुक्त कल्याण संस्थाएं

3772. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला, अभ्रक तथा लौह अयस्क श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा स्थापित संयुक्त कल्याण संस्थाएं अच्छी तरह कार्य नहीं कर रही हैं ;

(ख) इस योजना की क्रियान्विति में क्या कठिनाइयां आ रही हैं तथा क्या इन तीन श्रमिक संगठनों पर लागू करने के लिए विशिष्ट योजनाएं बनाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

श्रम तथा रोजगार, पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). जो प्रस्ताव विचाराधीन है वह तीनों निधियों के उच्च स्तर के कर्मचारियों को मिलाने के बारे में है—इस समय निधियों के अलग-अलग संगठन हैं। यह महसूस किया जाता हैं कि कर्मचारियों द्वारा ऐकीकृत निदेश और नियन्त्रण के अधीन कार्य करने से कल्याण कार्य कम खर्च पर और अधिक कुशलतापूर्वक तथा सम्बन्धित रूप से नियोजित और क्रियान्वित किये जा सकते हैं।

हैवी इंजीनिवरिंग उद्योग के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग का प्रतिवेदन

3773. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हैवी इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्ययन ग्रुप के प्रतिवेदन की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). सरकार को मालूम हुआ है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा स्थापित भारी इंजीनियरी उद्योग सम्बन्धी अध्ययन दल ने आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस समय सरकार इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और आयोग की सिफारिशें प्राप्त होने पर ही इस पर विचार करेगी।

जटनी, उड़ीसा में डाक तथा तार विभाग की इमारत और क्वार्टरों का निर्माण

3774. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जटनी, उड़ीसा में डाक तथा तार विभाग की इमारत तथा क्वार्टरों के निर्माण में और कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) ये कब तक तैयार हो जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) डाकघर की इमारत का इस समय निर्माण-कार्य चल रहा है।

जहां तक कर्मचारियों के क्वार्टरों का सम्बन्ध है, 1.57 लाख रुपये की लागत पर 12 क्वार्टरों के निर्माण की मंजूरी जारी कर दी गई है।

(ख) डाकघर की इमारत के निर्माण-कार्य की जून, 1969 में पूरा होने की सम्भावना है।

कर्मचारियो के क्वार्टरों का निर्माण-कार्य पूरा होने में लगभग दो वर्ष लगेंगे, बशर्ते कि इसके लिए धनराशि उपलब्ध हुई।

केरल के बागान मजदूरों की न्यूनतम मजूरी

3775. **श्री के० अनिरुद्धन :**
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री श्रीनिवास मिश्र :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री क० लकप्पा :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल सरकार से कहा है कि राज्य में बागान मजदूरों की न्यूनतम मजूरी न बढ़ाई जाये ;

(ख) यदि हां, तो यह सुझाव किस आधार पर दिया गया था ; और

(ग) इस बारे में केरल सरकार का क्या रवैया है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). राज्य सरकार से प्रार्थना की गई कि वह मजूरी में संशोधन न्यूनतम मजूरी अधिनियम की धारा 5 (1) (ख) के अन्तर्गत अधिसूचना की बजाए धारा 5 (1) (क) के अन्तर्गत समिति नियुक्त करके करे।

(ग) सरकार से मालूम हुआ है कि राज्य सरकार ने इस कार्य के लिये तदर्थ त्रिपक्षीय समिति स्थापित की है।

सुपर बाजार, नई दिल्ली

3776. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री प० राममूर्ति :
श्री के० रमानी :
श्री पी० पी० एस्थोस :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के सुपर बाजारों के कुछ विभाग ठेकेदारों द्वारा चलाये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से विभाग हैं ; और

(ग) इन विभागों को ठेकेदारों को देने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) सुपर बाजार में कुछेक विभाग तथा सेवाएं संभरकों तथा अन्य पार्टियों के साथ किये गये विशेष प्रबन्धों के अन्तर्गत एजेन्सी अथवा कमीशन के आधार पर चलाये जा रहे हैं, किन्तु प्रकार, मूल्यों, विक्रय तथा सेवा प्रभार पर सुपर बाजार का नियंत्रण है ;

(ख) इनमें इस प्रकार के विभाग शामिल हैं, जैसे कैफिटेरिया और वे जो खाद्य पदार्थ, फल, सब्जियां, मांस, बनारसी साड़ियां, रेडियो, मोटरों के पुर्जे व फोटोग्राफिक वस्तुएं बेचते है और ड्राई क्लिनिंग, सिलाई, घड़ी मरम्मत, आप्टिकल्स तथा दंत-क्लिनिक जैसी सेवाएं सुलभ करते हैं। एक सब्जी फार्म भी एजेन्सी आधार पर चलाया जा रहा है।

(ग) ये प्रबन्ध उन विभागों के बारे में किये गये हैं जो सीधे विभागीय प्रबन्ध के अन्तर्गत अलाभकर पाये गये थे अथवा जिनके लिए वाणिज्यिक अनुभव तथा विशेषज्ञता चाहिए, जो सुपर बाजार को उपलब्ध नहीं है और जो विशिष्ट तथा तकनीकी सेवाएं हैं।

इन्जीनियर प्रशिक्षु की नियुक्ति

3777. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार इस आशय का एक कानून बनाने का है जिससे उद्योग के लिये अनुबद्ध अवधि के लिये इंजीनियर प्रशिक्षुओं को नियुक्त करना अनिवार्य होगा ; और

(ख) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कानून बनाने से पूर्व उद्योगों से परामर्श करेगी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) विषय विचाराधीन है।

(ख) जी हां।

गुजरात राज्य में अनुसूचित जातियों के भूमिहीन श्रमिकों को बंजर भूमि का आवंटन

3778. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने कोई ऐसा कानून पास किया है जिसमें अनुसूचित जातियों के भूमिहीन श्रमिकों को सरकारी बंजर भूमि आवंटित करने का उपबन्ध है, परन्तु पंचायतें उस बंजर भूमि को गोचर भूमि में बदल देती है और इसके परिणामस्वरूप गुजरात राज्य में यह बंजर भूमि हरिजनों को नहीं दी जाती ;

(ख) यदि हां, तो गांवों की पंचायतों द्वारा बिना किसी प्रकार बाधा उत्पन्न किये

हरिजनों के लिये बंजर भूमि का आवंटित सुनिश्चित करने के लिये केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही करने का विचार नहीं है तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). भूमि राज्य का विषय है। केन्द्रीय सरकार ने कोई ऐसा कानून पास नहीं किया है जिसमें अनुसूचित जातियों के भूमिहीन श्रमिकों को सरकारी वंजर भूमि आवंटित करने का उपबन्ध है। जहां तक गुजरात राज्य का सम्बन्ध है, सरकार द्वारा बंजर भूमि के आवंटन में अनुसूचित जातियों के भूमिहीन श्रमिकों को प्रमुख प्राथमिकता दी जाती है। जहां कहीं भी इस प्रकार की भूमि उपलब्ध है, उनसे करार किये जा रहे हैं। जहां पंचायतों का गठन हो चुका है, समस्त सरकार भूमि, जिसमें गोचर भी सम्मिलित है, जन-कार्यों के प्रयोग के लिये पंचायतों के अन्तर्गत आती है।

राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रसारण

3779. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
कुमारी कमला कुमारी :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यावधि चुनाव में आकाशवाणी के प्रादेशिक केन्द्रों ने विभिन्न राजनैतिक दलों को अपने-अपने विचारों के प्रचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं दी थीं ; और

(ख) यदि हां, तो दी गई सुविधाओं तथा राजनैतिक दलों द्वारा जिन सुविधाओं का लाभ उठाया गया उनका स्वरूप क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

आकाशवाणी द्वारा प्रधान मंत्री के निर्वाचन सम्बन्धी भाषणों के अंशों का प्रसारण

3780. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी ने गत मध्यावधि चुनावों के दौरान प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए निर्वाचन सम्बन्धी भाषणों को प्रसारणों में बहुत अधिक महत्व दिया था ;

(ख) क्या प्रसारणों में शामिल किए गए अंशों का उद्देश्य मतदाताओं को कांग्रेस के दृष्टिकोण से किसी प्रकार प्रभावित करने का था ; और

(ग) यदि हां, तो यह कहां तक उचित था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

विमान द्वारा धान की बुवाई

3781. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विमान से बुआई, विशेष कर धान की बुआई की वांछनीयता, जिसके आस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे परिणाम निकले हैं, के बारे में विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । धान तथा अन्य फसलों की, जैसे चारे की घासें विमान द्वारा बुवाई की जा सकती हैं । यह विधि आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में अपनाई गई है । अन्य फसलें प्रायः मृदा में गहरी बोई जाती हैं जहां अपेक्षित नमी उपलब्ध होती है और उनकी बुवाई विमानों द्वारा होनी संभव नहीं है ।

(ख) वर्तमान परिस्थितियों में विमानों द्वारा बुवाई करना व्यवाहर्य नहीं है, क्योंकि यहां भूमि काफी छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटी हुई है ।

भूमि सुधार व्यवस्था का लागू किया जाना

3782. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री एम० मेघचन्द्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भूमि सुधार व्यवस्था के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है, विशेषतः (एक) भू-जोतों के केन्द्रीकरण को कम करने ; (दो) भूमि की चकबन्दी ; (तीन) पट्टेदारी सुरक्षा ; (चार) बरगादारों की सुरक्षा (विशेषतः पश्चिम बंगाल में) ; (पांच) लगान सुधार ; (छः) भू-जोतों की अधिकतम सीमा तथा (सात) भूमिहीन श्रमिकों तथा निर्धन किसानों में फालतू भूमि के वितरण के सम्बन्ध में ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : भू-जोतों के केन्द्रीकरण को कम करने और कृषि उत्पादन की वृद्धि में कृषि ढांचे के कारण उत्पन्न अवरोधों को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों और संघ क्षेत्रों द्वारा भूमि सुधारों

को लागू करने के लिये उपाय किये गये हैं, इन उपायों में मध्यवर्ती पट्टेदारों, पट्टेदारी की प्रणाली के सुधार सम्मिलित हैं जैसे कि समुचित किराये का निर्धारण और काश्त करने वाले पट्टेदार, उप-पट्टेदार, और शेयर क्रौपर्स के पट्टे की सुरक्षा और स्वामित्व प्राप्त करने का अधिकार, अधिकतम जोत निर्धारण और फालतू भूमि पर भूमिहीन कृषि मजदूरों और अनार्थिक जोतस्वामियों के पुनर्स्थापन, भूमि की चकबन्दी और भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यों को कार्यान्वित करने के लिये राजस्व एजेंसियों को सुदृढ़ बनाना है, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इन उपायों के सम्बन्ध में हुई प्रगति संलग्न विवरण में दी जा रही है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 423/69]**

शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये पुनर्वास वित्त निगम द्वारा पश्चिमी बंगाल में स्थापित किये गये उद्योग

3783. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वास वित्त निगम ने अपनी स्थापना से अब तक पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को लाभप्रद रोजगार देने के लिये पश्चिम बंगाल में लघु तथा मध्यम उद्योग स्थापित किये ;

(ख) इस निगम द्वारा स्थापित उद्योगों में कितने शरणार्थियों को रोजगार देने का प्रस्ताव था ; और

(ग) वास्तव में कितने शरणार्थियों को रोजगार दिया गया ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : पुनर्वास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में पुनर्वास वित्त निगम नाम का कोई निगम नहीं है। संभवतः प्रश्न पुनर्वास उद्योग निगम, लिमिटेड, कलकत्ता, के सम्बन्ध में है जो कि इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। यदि हां, तो प्रश्न का उत्तर निम्न है :—

(क) पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा अब तक स्थापित किये गये लघु तथा मध्यम उद्योगों की संख्या 18 है।

(ख) निगम द्वारा स्थापित किये गये उद्योगों में रोजगार संभाव्य 2517 है।

(ग) रोजगार पर लगे शरणार्थियों की वास्तविक संख्या इस समय 2177 है।

पूर्वी बंगाल में कारखाना कर्मचारियों का बेरोजगार होना

3784. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में फरवरी, 1966 से जनवरी, 1969 तक बन्द, हड़ताल, तालाबन्दी जबरी छट्टी के परिणामस्वरूप प्रत्येक महीने कितने कारखाना कर्मचारी बेरोजगार हुए ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।

पश्चिमी बंगाल के पटसन मिल कर्मचारियों में रहन-सहन की दशा की जांच

3785. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में पटसन मिल के कर्मचारियों के रहन-सहन की दशा के बारे में हाल ही में जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों के रहन-सहन की दशा के बारे में जांच करवाने का है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

इंजीनियरी मंजूरी बोर्ड में पंचाट की क्रियान्विति

3786. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में इंजीनियरी उद्योग के उन फर्मों, कारखानों के नाम क्या हैं जिन्होंने इंजीनियरी कर्मचारियों सम्बन्धी मंजूरी बोर्ड का पंचाट क्रियान्वित नहीं किया है ;

(ख) नियोजकों ने मजूरी बोर्ड का पंचाट क्रियान्वित करने के क्या कारण बताये हैं ; और

(ग) पंचाट को क्रियान्विति न करने के लिये सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग). इंजीनियरी उद्योगों से संबंधित मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट सरकार को हाल ही में प्राप्त हुई है और सिफारिशों पर अभी विचार किया जा रहा है।

सन् 1967 में सरकार ने बोर्ड द्वारा इस उद्योग के श्रमिकों को अंतरिम सहायता देने की सिफारिश स्वीकार की थी। पश्चिमी बंगाल के ऐसे प्रतिष्ठानों की संख्या के बारे में, जिन्होंने इस सिफारिश को क्रियान्वित नहीं किया है, सूचना उपलब्ध नहीं है। सिफारिशों की क्रियान्विति राज्य सरकारों द्वारा अनुनय और परामर्श से की जाती है।

मत्स्यपालन का विकास

3787. **श्री बदरुद्दुज्जा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पश्चिम बंगाल के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में मछली विकास के परिव्यय तथा विनियोजन का लक्ष्य क्या है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल योजना में गहरे समुद्र और तट पर मछली पकड़ने की योजनायें शामिल हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) चतुर्थ योजना के प्रस्ताव लगभग तैयार हो चुके हैं और मत्स्यउद्योग(राज्यों सहित) के व्यय और पंजीनियोजन के लक्ष्यों का निर्धारण किया जा रहा है ।

(ख) राज्य योजना के अन्तर्गत गहरे समुद्र तथा तट के निकट मछली पकड़ने की योजनाओं पर विचार किया गया है । नियतनों के विषय में विचार होने के पश्चात्, योजनाओं की अन्तिम सूची तैयार की जायेगी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

Pay Scale of Staff Artistes of All India Radio

3788. **Shri Ram Gopal Shalwale**: Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the percentage of the increase effected in the pay scale and the pay of the staff Artistes of All India Radio during the last three years ;

(b) whether such an increase has also been made in the pay scales of the regular Transmission Executives ;

(c) if not, the reasons therefor ; and

(d) whether the percentage of increase in the pay scales of both the aforesaid categories of staff, effected in pursuance of Masani Committee's report is just the same ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The fee scales of staff artistes were last increased in 1964. There has been no further increase after that.

(b) No, Sir.

(c) Government have imposed a ban on revision of pay scales.

(d) The report of the Study Team is yet under consideration. No increase in the pay scales of these categories of staff has been effected.

Broadcast of Election Speeches by Prime Minister and other Ministers

3789. **Shri Raghuvir Singh Shastri**: Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government had decided not to broadcast the mid-term election speeches

of the Prime Minister and other Ministers from All India Radio; and

(b) if so, the extent to which this decision was adhered to?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes, Sir.

(b) The decision was scrupulously adhered to by A. I. R.

Earning of Foreign Exchange through Indian Graded Wool

3790. **Shri Bhola Nath Master:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prospects of earning a substantial amount of foreign exchange through the Indian graded wool have increased, according to the United Nations Development Programme;

(b) whether the contribution of Rajasthan in this grade wool is the largest; and

(c) whether it is also a fact that Rajasthan is not getting the required assistance in preparing the graded wool inspite of its largest contribution?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c). The requisite information is being collected and will be placed on the table of the Sabha on receipt.

कीट नियंत्रण समिति

3791. **श्री अदिचन :**

श्री जगेश्वर यादव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार एक समेकित कीट नियंत्रण समिति स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के कौन-कौन सदस्य होंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

राजस्थान में बेरोजगारी

3792. **डा० कर्णी सिंह :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में वर्ष 1967-68 के अन्त तक कितने व्यक्ति बेरोजगार थे और इस समय उनकी संख्या कितनी है ;

(ख) यदि बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई है तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इन बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिये कोई नई योजना तैयार की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). ठीक ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं है । इस सम्बन्ध में जो जानकारी उपलब्ध है वह नौकरी चाहने वाले उन व्यक्तियों की संख्या के बारे में है जिनका नाम राजस्थान के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज था वे संख्यायें निम्न प्रकार हैं :

31-3-1968	73,321
31-1-1969	87,816

रोजगार-रजिस्टर में नामों की संख्या सारे भारत में बढ़ी है ; विशेष रूप से केवल राजस्थान में नहीं । इसके कुछ कारण निम्न प्रकार हैं :

(i) श्रमिक बल का विकास ;

(ii) लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में आकर बसना ;

(iii) पिछले कुछ वर्षों के दौरान औद्योगिक विकास का गति कम होना ;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना तथा केन्द्र व राज्यों की वर्ष 1969-70 की वार्षिक योजना में कृषि उद्योगों, ग्राम उद्योगों तथा लघु उद्योगों, सिंचाई, बिजली, परिवहन, संचार तथा सामाजिक सेवाओं के विभिन्न विकास-कार्यक्रमों को शामिल कर लेने से आने वाले वर्षों में बेरोजगार लोगों को रोजगार प्राप्ति के अधिक अवसर मिलने की सम्भावना है ।

Communication system between Barvani and Khargon, West Nimar, M. P.

3793. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether Government are preparing any scheme for development of Communications system between Baravani and Khargon (District West Nimar) at district levels keeping in view the entire communication system ;

(b) if so, the details thereof and if not the reasons therefor ; and

(c) the steps taken by Government to develop communications system in tribal areas of West Nimar ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) There is no scheme for providing a direct trunk circuit between Barvani and Khargon.

(b) At present, trunk calls between the two places are routed through Anjad, Sendhwa and Indore centres. There is a proposal to provide a trunk circuit Khargon to Sendhwa and this will eliminate transisting at Indore for Baravani-Khargon Calls. Present traffic does not justify connecting Baravani direct with Khargon.

(c) There are 11 Telephone Exchanges and 7 Public Call Offices in the West Nimar

District. Opening of more exchanges and P. C. O's in the tribal areas of the District would be duly considered as and when demands for the same are received.

कूंडापुर में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के यूनिट

3794. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कूंडापुर में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का एक यूनिट, जिसके टाइल के 13 कारखाने हैं और 7 आरा मिलें हैं और जो लगभग 3000 कर्मचारियों को रोजगार दे रही हैं, न स्थापित किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या ऐसा कोई रिकार्ड है कि इन कर्मचारियों को, मंगलौर स्थित कर्मचारी राज्य बीमा योजना के यूनिट, जो कूंडापुर से 63 मील दूर है, के कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली सुविधाएं उपलब्ध हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो गत पांच वर्षों या इससे अधिक समय से इन कर्मचारियों से अंशदान लेने के क्या कारण हैं ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था करना राज्य सरकारों का सांविधक दायित्व है। किसी क्षेत्र में इस योजना को तब लागू किया जाता है जब राज्य सरकार चिकित्सा सुविधा की आवश्यक व्यवस्था कर देती है। मैसूर सरकार ने अभी तक कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कूंडापुर में लागू कराने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(ख) जी नहीं। वे कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ पाने के अधिकारी नहीं हैं क्योंकि योजना अभी तक कूंडापुर में लागू नहीं की गई है।

(ग) अभी तक कूंडापुर के कर्मचारियों से कोई अंशदान नहीं लिया गया है।

न्यूनतम मजूरी सम्बन्धी सलाहकार बोर्ड, मनीपुर के बारे में संघों का अभ्यावेदन

3795. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 12 दिसम्बर, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 720 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पन-बिजली विभाग की यूनियन को दिये गये कारण बताओ नोटिस का उत्तर अब प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो मनीपुर सरकार ने पन-बिजली विभाग, मनीपुर के कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि को मनीपुर न्यूनतम मजूरी सम्बन्धी सलाहकार बोर्ड में शामिल करने के बारे में क्या निर्णय किया है ; और

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मनीपुर बिजली कर्मचारी संघ ही पन-बिजली विभाग, मनीपुर के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है, क्या सरकार का विचार संघ के एक प्रतिनिधि को उक्त मनीपुर न्यूनतम मजूरी सम्बन्धी सलाहकार बोर्ड में शामिल करने का है ?

श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) पी० ; डब्ल्यू० डी० मनीपुर के बिजली प्रभाग के कर्मचारियों की दो मजदूर यूनियनें हैं जिनके नाम हैं—टेक्नीकल वर्कर्स यूनियन और मनीपुर एलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज यूनियन । पहली यूनियन ने वार्षिक विवरणियां नहीं भेजी, अतः उन्हें "कारण बताओ नोटिस" दिया गया । चूंकि यह नोटिस का पालन नहीं कर सकी, इसलिए इसकी रजिस्ट्रेशन 30 जनवरी, 1969 से रद्द कर दी गई । दूसरी यूनियन को कोई "कारण बताओ नोटिस" नहीं दिया गया ।

(ख) मनीपुर प्रशासन ने सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन के सम्बन्ध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है ।

(ग) सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 की धारा 9 के अनुसार किया जायगा । उक्त धारा में यह व्यवस्था है कि बोर्ड में सम्बन्धित सरकार द्वारा नामित अनुसूचित रोजगारों के नियोजकों और कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति तथा स्वतंत्र व्यक्ति शामिल होंगे ।

Assistance for Gandak Project

3796. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the World Food Programme has declared to grant assistance for Gandak Project ;

(b) if so, the extent thereof and the time by which it would be available ; and

(c) the mode of assistance thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c). A proposal for using foodgrains to be supplied by World Food Programme for paying in kind the wages of labour employed on earthworks of the Gandak Irrigation Project is under the consideration of World Food Programme authorities in Rome.

Since the proposal has not yet been approved, it is not possible to furnish the details.

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीजों का निर्यात

3797. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री रणजीत सिंह :**
श्री वेणी शंकर शर्मा : **श्री सीताराम केसरी :**
श्री हरदयाल देवगुण : **श्री बलराज मधोक :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम का विचार विदेशों में मंडियों का पता लगाने और बीजों का

निर्यात बढ़ाने के प्रयास करने का है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में क्या प्रयास किये गये हैं और अब तक क्या सफलता प्राप्त हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय बीज निगम बीजों के लिए एक निर्यात मण्डी के विकास हेतु भरसक प्रयत्न कर रही है और विभिन्न देशों में सरकारी तथा गैर-सरकारी पार्टियों से पत्र-व्यवहार कर रही है । उन्होंने इण्डोनेशिया, जापान, मलेशिया, नेपाल, फिलिपीन्स, पाकिस्तान, ताइकान, थाइलैंड, लंका, कोरिया, इराक, संयुक्त अरब गणतन्त्र, अदन, लेबिनान, सूडान, इथोपिया, नाईजीरिया, यूगाण्डा, सेनिगल, घाना, तनजानियां, कैनाडा, बेनिजुला, कोलम्बिया, इण्डियाना (यू० एस० ए०), ज्योर्गिया, वर्जीनिया (यू० एस० ए०) मैक्सिको, रोमानिया, रूस, ईरान, यू० के०, डेन्मार्क, हालैंड तथा जर्मनी को विभिन्न बीजों के नमूने भेजे हैं । निगम ने एक विशेष निर्यात विवरणिका बनाई है तथा उसे हमारे दूतालयों, राजकीय व्यापार निगम के विदेशी क्षेत्रीय कार्यालयों, बीज कम्पनियों, बीज आयात करने वालों आदि को परिचारित करने हेतु भेजा है । राष्ट्रीय बीज निगम का एक अधिकारी भारतीय बीजों के लिये मण्डी खोजने के लिए लंका भी गया है । निगम ने मक्का, ज्वार और साग-सब्जियों के बीज लंका, मक्का के बीज मलेशिया, साग-सब्जियों के बीज घाना, और गेहूं के बीज डेन्मार्क की एक गैर-सरकारी पार्टी को चाहे थोड़ी मात्रा में ही क्यों न हो, इनके निर्यात करने की शुरूआत भी कर ली है ।

कृषि अनुसन्धान संस्थाओं को प्रयोगशाला सम्बन्धी सुविधायें

3798. **श्री दी०चं० शर्मा :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री रणजीत सिंह :
श्री बलराज मधोक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत देश में कार्य कर रही कृषि अनुसंधान संस्थाओं का विचार ऐसे उद्योगों तथा संस्थाओं के साथ, जिनके पास अनुसंधान कार्य के लिये प्रयोगशाला की सुविधाएं हैं, सहयोग करने का है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस समय मामला किस स्थिति में है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत कार्य कर रही कृषि अनुसंधान

संस्थाओं का विचार ऐसे उद्योगों तथा संस्थाओं के साथ जिनके पास अनुसंधान कार्य के लिये प्रयोगशाला की सुविधायें हैं, सहयोग करने का कोई विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

मनीपुर में भूमि बन्दोबस्त

3799. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में मनीपुर में कृषि के लिये भूमिहीन व्यक्तिगों को कुल कितनी भूमि दी गई हैं ;

(ख) उक्त अवधि में सहकारी फार्मिंग समितियों को कितनी भूमि दी गई ; उनके नाम क्या हैं और समितिवार कितनी भूमि देने का बन्दोबस्त किया गया ; और

(ग) गत दो वर्षों में मनीपुर के संघ राज्य क्षेत्र में खेती के लिये कुल कितनी भूमि का आरक्षण समाप्त किया गया और उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-424/69**]

New Post Offices in certain Districts of Madhya Pradesh and Bihar

3800. **Shri Yashwant Singh Kushwah:** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the number of new post-offices opened in Bhind and Datia districts of Madhya Pradesh between 1967 and end of January, 1969 and the locations thereof as also the places where existing post offices have been upgraded ; and

(b) the number of post offices opened during the above period or proposed to be opened in Darbhanga, Muzaffarpur and Saharsa districts of Bihar ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh):

Statement

(a) and (b). The following post offices were opened in Bhind District during the period from January '67 to Jan., 69.

1. Basantpura
2. Laukel
3. Sunarpura
4. Khitoli
5. Lavan (Sitaramki)
6. Barakalan
7. Sangoli.

No post office was opened in the District of Datia.

Amagan and Indergarh branch post offices in the District of Bhind and Datia respectively were upgraded into Departmental Sub Post Offices during the said period.

During the same period 29 post offices in Darbhanga, 41 post offices in Muzaffarpur and 9 post offices in Saharsa Districts were opened.

Cultivation of Soyabean in Madhya Pradesh

3801. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Madhya Pradesh Government have decided to undertake sowing soyabean crop on a large scale during the coming kharif crop season ; and

(b) if so, the co-operation being extended by the Central Government to the State Government for such a step furthering national interest ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir. Government of Madhya Pradesh proposes to take up an area of 10,000 acres under Soyabean Cultivation during Kharif, 1969.

(b) National Seeds Corporation will supply 250 tonnes of Soyabean seeds to the State Government. Arrangements are also being made to supply imported bacterial culture.

भारतीय खाद्य निगम द्वारा उड़ीसा में अनाज की खरीद

3802. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अक्तूबर, 1968 से 31 जनवरी, 1969 के बीच भारतीय खाद्य निगम ने उड़ीसा में कुल कितना अनाज खरीदा था ; और

(ख) यह अनाज किन मूल्यों पर खरीदा गया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय खाद्य निगम उड़ीसा में एजेंटों के माध्यम से केवल धान ही खरीद रहा है । उक्त अवधि में चावल के हिसाब से खरीदों गई मात्रा लगभग 107 हजार मीटरी टन है ।

(ख) धान की खरीदारी निम्नलिखित दर पर की गई है :

धान की किस्म	मूल्य रुपयों में प्रति क्विंटल उचित औसत किस्म
साधारण/मोटा	48.00
बढ़िया	53.00
बहुत बढ़िया	60.00

सुपर बाजार, नई दिल्ली

3803. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली के उप-राज्यपाल द्वारा 9 फरवरी, 1969 को दिये गये एक वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने सुपर बाजार के प्रबन्धकों पर गरीब व्यक्तियों को लाभ से वंचित करने का, विशेषकर ठेकेदारों को खेती के लिये सुपर बाजार को दी गई भूमि देने का, आरोप लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो ये टिप्पणियां किस संदर्भ में की गई थीं और इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने वर्ष 1966 में कोआपरेटिव स्टोर लि० (सुपर बाजार), नई दिल्ली को लगभग 167 एकड़ भूमि सब्जी फार्म के रूप में खेती करने के लिये आवंटित की थी । सुपर बाजार को इस फार्म में लगातार दो वर्ष हानि हुई और इस पर उन्होंने यह भूमि नियत राशि पर एक प्रबन्ध एजेन्ट को खेती तथा प्रबन्ध करने हेतु दे दी । उप-राज्यपाल के विचार में सब्जी उगाने में जनता द्वारा वास्तविक रूप से भाग लेना व्यावसायिक प्रबन्ध एजेन्सियों को यह काम सौंपने से कहीं अच्छा था । सुपर बाजार अधिकारियों, जोकि इस मामले से सम्बन्धित हैं, ने उप-राज्यपाल की टिप्पणी नोट कर ली है ।

अधिक उपज देने वाली किस्मों सम्बन्धी कार्य

3804. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्ष तक अनाज तथा अन्य कृषि उत्पादों के लिए अधिक उपज देने वाली किस्मों सम्बन्धी कार्यक्रम के अन्तर्गत और अधिक एकड़ भूमि में इन किस्मों की खेती करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं की खेती और अधिक एकड़ भूमि में की जायेगी और वह किन-किन राज्यों में की जायेगी ; और

(ग) इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये केन्द्र से प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता मिलेगी और इस योजना पर राज्य-वार कुल कितना खर्च होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम अब तक केवल खाद्य फसलों, अर्थात् धान, गेहूं, मक्का, ज्वार और बाजरे के लिये है ।

(ख) आगामी वर्ष के दौरान लगभग 2 करोड़ 70 लाख एकड़ के एक अतिरिक्त क्षेत्र को अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है । इस क्षेत्र के फसल-वार और राज्यवार विवरण को अभी अन्तिम रूप देना है ।

(ग) क्षेत्र स्तर पर पर्यवेक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिये खण्ड और जिले के स्तर पर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अतिरिक्त कर्मचारियों के लिये केन्द्रीय सहायता के सिवाय, अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध नहीं है ।

जहां तक योजना की कुल कीमत का सम्बन्ध है, यह कार्यक्रम साधारण कृषि कार्यक्रम का एक अंग है । अतः विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों के लिये अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम की कीमत को बताना सम्भव नहीं है ।

समुद्र में मछलियां पकड़ने के कार्य को प्रोत्साहन देने के लिये मत्स्य नौका का निर्माण

3805. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के कार्य को प्रोत्साहन देने के लिये कलकत्ता की एक इंजीनियरिंग फर्म ने इस्पात के गहरे समुद्र मे मछलियां पकड़ने वाली नई मत्स्य नौका बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी मत्स्य नौकाएं बनाई गई हैं और क्या उनका प्रयोग किया जा रहा है ; और

(ग) मछलियां पकड़ने के तरीकों का आधुनिकीकरण करने के परिणामस्वरूप विभिन्न तटवर्ती क्षेत्रों में वर्ष 1969-70 तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक गहरे समुद्र में मछलियों को पकड़ने में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कलकत्ता की एक इंजीनियरिंग फर्म ने पश्चिम बंगाल की सरकार के लिये मछली

पकड़ने के कार्य के लिये एक इस्पात का पोत तैयार करके समुद्र में उतार दिया है ।

(ख) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) तट से दूर मछली पकड़ने के कार्य का विचार करने के लिये 200 अश्व शक्ति के 57 फुट की लम्बाई के मछली पकड़ने के 40 इस्पात ट्रालरों के देश में ही तैयार करने वाली फर्म को आदेश दिये गये थे। आशा है 1970 के मध्य तक खेपों में इन ट्रालरों के निर्माण का कार्य पूर्ण हो जायगा । इनमें से 20 ट्रालर कलकत्ते की एक पोत निर्माण करने वाली फर्म तैयार कर रही है । इन ट्रालरों का उपयोग केन्द्रीय संस्थायें तथा कुछ राज्य सरकारें करेंगी ।

इसके अतिरिक्त क्रियान्वित हो रही एक योजना के अधीन सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में वाणिज्यिक आधार पर मछली पकड़ने के कार्य के लिये 30 ट्रालरों को आयात किया जायेगा । इस योजना के अधीन वाणिज्यिक आधार पर मछली पकड़ने के लिये देश में 15 ट्रालर निर्माण करने का भी विचार है ।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने हेतु माध्यम तथा बड़े आकार के कुल 300 ट्रालरों से काम लेने का प्रस्ताव है ।

आशा है इन ट्रालरों के कार्य शुरू करने पर चतुर्थ योजना के अन्त में मछली का 1.5 लाख टन प्रति वर्ष अतिरिक्त उत्पादन हो जायेगा ।

Transmission Executives in All India Radio

3806. **Shri Ram Gopal Shalwale:** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the posts of Transmission Executive is the basic post in the unit of the programme staff in All India Radio; and

(b) the method adopted for the appointment of Transmission Executives and the qualifications which are taken into consideration while making appointments to these posts?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes.

(b) Recruitment Rules provide for 75% direct recruitment on the basis of written test and interview and 25% by promotion, on selection basis, from amongst Programme Secretaries, Studio Executives, Junior Librarians and Announcers belonging to the former Part 'B' States, with five years' service in their respective grades and Senior Librarians with three years' service in that grade. The qualifications prescribed for direct recruitment are:

Essential:

(1) Degree of a recognised University.

(2) Good culture background and general knowledge.

(3) Knowledge of at least one Indian literature or music or dramatics.

Desirable ;

Some experience of participation in or making arrangements for cultural programmes.

Loans for Rehabilitation

3807. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the categories of persons to whom rehabilitation loans are granted and the manner in which the amount of loans is recovered from them and whether repayment of such loans is partially exempted or is exempted in full ;

(b) the purposes for which such loans are granted ;

(c) whether any category of such persons are not able to get these loans expeditiously; and

(d) if so, the reasons therefor and steps taken for expeditious sanction of loans to such people ?

The Minister of State in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b). Rehabilitation loans are granted to eligible categories of displaced persons from Pakistan, repatriates from Burma and Ceylon, persons affected in Jammu and Kashmir, Punjab and Rajasthan as a result of Indo-Pak. Conflict of August-September, 1965, and persons affected by the proposed transfer of Indian Enclaves to Pakistan.

Loans are granted through the State Governments, or through central organisations as may be implementing the rehabilitation schemes, for purposes of housing, settlement in agriculture, small trades, business, agro-industries and other non-agricultural occupations. The loans are recovered through the lending authorities according to the terms and conditions of loans, which vary according to the main purpose for which the loan is granted.

Loanees are not exempted from the repayment of loans in full or in part thereof, except in individual cases where the loanee represents that he is not able to repay the loan, in which case his request is considered by the competent authority on merits. Remission in full or in part, however, is allowed by Government in respect of certain types of loans and in respect of some categories of loanees, wherever the circumstances warrant such remission.

(c) and (d). By and large, the loans are disbursed expeditiously. Where any delay is brought to the notice of Government, appropriate action is taken to have the payment expedited.

ट्रैक्टरों तथा विद्युतचालित हलों की मांग

3808. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ट्रैक्टरों तथा विद्युत चालित हलों की मांग कितनी है और देशी उत्पादन से इस आवश्यकता को कहां तक पूरा किया जाता है ;

(ख) हमारे उत्पादन संयंत्रों का पूरा उपयोग न करने तथा नये संयंत्र स्थापित न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) आयातित ट्रैक्टरों और विद्युत चालित हलों का हमारे देश में पहुंचने पर कितना मूल्य होता है और उनकी तुलना में देशी ट्रैक्टरों और विद्युत चालित हलों का विक्रय मूल्य कितना है ; और

(घ) क्या इस बात का ध्यान रखते हुए, कि अब तक सिंचाई के लिये निर्धारित क्षेत्र के केवल 1/8 भाग में खेती होती है, तुंगभद्रा क्षेत्र के लिये मैसूर सरकार की 1,000 ट्रैक्टरों की मांग को पूरा किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). ट्रैक्टरों और शक्ति हलों के बारे में स्थिति इस प्रकार है :

(i) सन् 1968-69 के लिये लगभग 60,000 ट्रैक्टरों की मांग है। पांच देशीय कृषि ट्रैक्टर बनाने वालों को ट्रैक्टर बनाने के लिये लाइसेंस मंजूर किये गये हैं जिनकी प्रति वर्ष 30,000 ट्रैक्टर बनाने की क्षमता होगी और उनकी ट्रैक्टर बनाने की वर्तमान क्षमता 15,300 ट्रैक्टर है। इसकी तुलना में यह आशा की जाती है कि 15,000 ट्रैक्टर तैयार किये जायेंगे। वर्तमान एकक अपनी लगी क्षमता में वृद्धि करके मंजूर शुदा संख्या तक पहुंच सकेंगी। अधिकतम क्षमता के प्रयोग के उपयोग में विलम्ब के बड़े कारण हैं जिनमें अधिक महत्वपूर्ण ये हैं—बनाने की मंद गति, तालाबन्दी विदेशी मुद्रा की कमी आदि हैं। इन्डस्ट्रीज (डी एण्ड आर) एक्ट 1951 के अधीन ट्रैक्टर और शक्ति हल बनाने वालों पर यह शर्त लागू थी कि वे क्रमागत बनाने के कार्यक्रम के अनुसार कार्य करेंगे। शीघ्र विकास सुनिश्चित औपचारिताओं को कम करने के लिये 7-2-68 से इस उद्योग को इस ऐक्ट के लाइसेन्स के उपबन्धों से छूट दी गई है।

(ii) 1968-69 में 6,500 शक्ति हलों की मांग का अनुमान है। यह निर्णय किया गया है कि 8वें यैन ऋण या अन्य साधनों से उपलब्ध विदेशी मुद्रा के साथ 4,000 शक्ति हलों का आयात किया जाये। 26,000 प्रति वर्ष की कुल वार्षिक क्षमता के साथ 4 देशीय निर्माताओं को शक्ति हल बनाने के लिये मंजूरी दे दी गई है। इनमें से केवल मैसर्स कृषि इंजन लिमिटेड, हैदराबाद ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है। इन्होंने 1968 में 185 शक्ति हल बनाये हैं। बाकी फर्मों द्वारा शक्ति हल बनाने में अभी विलम्ब इस कारण है कि वे अभी बनाने के आधार स्तरों पर हैं जैसाकि भूमि अधिग्रहण, भारी साज सामान का आयात आदि। जैसे ऊपर पहले ही बताया गया है कि और निर्माताओं को आकर्षित करने के लिये शक्ति हल उद्योग को लाइसेंस से छूट दे दी गई है।

(ग) आयातित ट्रैक्टरोंऔर शक्ति हलों के बारेमें सूचना देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

क्रम संख्या	बनावट	क्रय मूल्य, बीमा और भाड़ा मूल्य	अनुमानित सीमा विक्रय मूल्य
1.	डी० टी० 14 बी० 14 एच० पी०	6050.00	8,000.00
2.	वाईलेरिस एम० टी० जेड०-5 एम०एस० 50 एच० पी०	12785.00	16,500.00
3.	जेटर-2011चैक-ट्रैक्टर 20 एच०पी०	10397.29	12,935.00
4.	यू० टी० ओ० एस०-50 एच० पी० (रूमानिया ट्रैक्टर)	15686.00	अभी निर्धारित करनी है।
5.	आर० एस०-09 ट्रैक्टर 20 एच० पी० (जी० डी० आर०)	10227.20	माल अभी तक जहाज द्वारा भेजा नहीं गया है।
6.	मितासुबीशी शक्ति टीलर 8-10 एच० पी०	5232.81 (सी० के० डी० पैक्स)	7,036.00
7.	कुबुटा शक्ति टीलरस 9-12 एच०पी०	7626.51	यह राज्य सरकारों द्वारा निश्चित मूल्यों पर बेचे जाते हैं।

एक विवरण, जिसमें देशीय बनाये गये ट्रैक्टरों/शक्ति हलों के मूल्य दिखाये गये हैं, सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

देश में बनाये ट्रैक्टरों और शक्ति हलों के मूल्य

बनाने वाले का नाम	मूल्य रुपये
ट्रैक्टर	
1. मैसर्स ईचर ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड, फरीदाबाद—26.5 एच०पी०	17,480
2. मैसर्स इन्टरनेशनल ट्रैक्टर कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड, बम्बई-35 एच०पी०	19,570
3. मैसर्स ट्रैक्टर तथा फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, मद्रास-35 एच०पी०	21,140
4. मैसर्स एसकोर्ट्स लिमिटेड, फरीदाबाद : एसकोर्ट्स-37 -34.5 एच०पी०	17,910
एसकोर्ट्स-27 डबिल्यू-28.0 एच०पी०	13,840
5. मैसर्स हिन्दुस्तान ट्रैक्टर लिमिटेड, वारोदा	
50 एच०पी०	22,350
35 एच०पी०	15,710
शक्तिहल	
6. मैसर्स कृषि इंजिन पराइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	4,790
5-7 एच०पी०	(कारखाने में मूल्य)

(घ) कुल आयातित 15,000 ट्रैक्टरों में से इस मंत्रालय ने पहले ही मैसूर राज्य को 1050 ट्रैक्टर नियत कर दिये हैं। इस प्रकार यह देखा जायेगा कि मैसूर को पहले ही एक बड़ी संख्या नियत कर दी गई है और इन ट्रैक्टरों को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बांटने में प्राथमिकता देना राज्य का काम है।

Complaint Regarding Misuse of Telephones by Speculators in Delhi

3809. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) the number of complaints received by the Government about the misuse of telephones by speculators in Delhi during the last two years ;

(b) whether Government have succeeded in checking such misuse and the number of telephones disconnected as a result thereof;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the number of such officers involved in the complaints about misuse of telephones and awarded punishments ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) There are no such complaints.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

(d) No such punishments have been awarded.

Delhi-Kanpur Telephone Line

3810. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the fact that the Delhi-Kanpur line remains extremely busy due to illegalised speculation prevalent in Delhi ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) We have no such information.

(b) Does not arise.

Connection of Telephones of Speculators to other Metres in Delhi

3811. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to several complaints made to the effect that the telephones of speculators in Delhi are connected with the meters of some prominent persons or firms in telephone exchanges ;

(b) the action taken by Government to stop this malpractice;

(c) the number of cases in regard to connecting the wires of one telephone with other telephone or reducing the number of calls in telephone meters detected by Government during the last two years and the number of persons found guilty for it ; and

(d) the reasons for not disconnecting the telephones which are used for such illegal acts?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh): (a) No, Sir. No such complaints have come to our notice. However, cross connections can also occur, but very rarely during installations, additions to existing installations and overhauls to the existing exchange equipment.

(b) Does not arise. The meter rooms are well-secured and locked, and all precautions are taken to safeguard against possible mistakes or malpractices.

(c) Recently one such case had come to the notice of the General Manager Telephones, Delhi. It could not so far be established whether it is due to a mistake that occurred during installation or during addition of the equipment, or due to malpractice. Matter is still under investigation.

(d) Does not arise in view of (c) above.

चण्डीगढ़ में पोल्ट्री ड्रैसिंग प्लांट

3812. **श्री न० कु० सांघी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीकी सहायता से चण्डीगढ़ में स्थापित किये जा रहे पोल्ट्री डैसिंग प्लांट में कितनी प्रगति हुई है और इसके कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ; और

(ख) इस प्लांट की अनुमानित क्षमता कितनी होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) आवश्यक पुर्जे प्राप्त होते ही संयन्त्र को चालू कर दिया जायेगा ।

(ख) संयन्त्र की क्षमता 600 ब्रोयलर प्रति घन्टा है ।

Buffer Stock in Rajasthan

3813. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Central Government have approved a proposal to create a buffer stock in Rajasthan at the cost of rupees one crore;

(b) whether it is also a fact that approval was sought to create a buffer stock at Bundi and Banra also ; and

(c) if so, the reasons for not according approval to the proposal ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) No, Sir.

(b) No Sir.

(c) Does not arise.

Scheme for Control of Growth of Cattle Population

3815: **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal under consideration for the control of the growth of cattle population on an all-India level;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) if not, the objections of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) No Sir. For the control of the growth of the population of uneconomic cattle following Schemes are in operation:—

(i) Mass Castration of Scrub bulls/other undesirable young calves.

(ii) Pilot Project for sterilization of uneconomic cows.

(b) and (c). Do not arise.

Complaints against Braj Bhasha Programme

3816. **Shri Shiv Charan Lal**: Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) whether some serious complaints have been received against the appointment of writers for Braj Bhasha Programme; and

(b) if so, the details of the complaints and the action taken by Government thereon?

The Minister of State in the Ministry of information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes, Sir.

(b) The allegations are that the person selected did not (i) know Braj, (ii) belong to Braj area and (iii) write good scripts. On enquiry, these were found to be without substance.

चूहों द्वारा अनाज की क्षति

3817. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का पता लगाया गया है कि देश में कितने चूहे हैं और वर्ष 1967-68 में तथा चालू वर्ष में अब तक चूहों ने कितना अनाज तथा अन्य खाद्य पदार्थ खाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है और प्रत्येक राज्य में तथा समस्त देश में चूहे और मनुष्य किस अनुपात में हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). देश में समग्र रूप से चूहों की आबादी के निर्धारण के लिये कोई भी सुविस्तृत कार्य नहीं किया गया है। चूहों की आबादी व उनके द्वारा खाये जाने वाले अन्न के सम्बन्ध में अनेकों अनुमान हैं। राष्ट्रीय कृन्तक नियंत्रण समिति ने इस विषय पर विचार किया और बताया कि क्षेत्र की अति विशालता व अन्य सम्बन्धित घटकों की बहुलता के कारण चूहों द्वारा की जाने वाली हानि का व्यापक अनुमान परिशुद्ध रूप से देना कठिन था। देश में चूहों की वर्तमान आबादी व मनुष्यों की जनसंख्या के अनुपात में उनकी संख्या के सम्बन्ध में कुछ कहना संभव नहीं है। किन्तु इस तथ्य को कोई भी अस्वीकार नहीं करता कि चूहे खड़ी फसलों व भंडार में रखे खाद्यान्नों को बड़ी हानि पहुंचाते हैं।

भेड़ की नस्ल का विकास

3818. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में स्वदेशी पशुधन की उन्नति के लिए केन्द्र द्वारा बागवानों को विदेशी किस्म के कितने पशुओं (भेड़ों) का वितरण किया गया ;

(ख) बागवानों द्वारा कितनी दोगली नस्लों का विकास किया जा रहा है ;

(ग) 1967-68 में कितने प्रजनन केन्द्र खोले गये हैं ;

(घ) 1967-68 में रूस, अमरीका तथा आस्ट्रेलिया से कितने दुम्बे तथा भेड़ों का आयात किया गया ; और

(ङ) क्या और अधिक भेड़ प्रजनन केन्द्र तथा अनुसन्धान फार्म स्थापित करने के प्रस्ताव हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ङ). राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बम्बई की अहमद ग्रुप की मिलें

3819. **श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1956 में श्री राजनाथ द्वारा किया गया प्रस्ताव जिसके प्रत्युत्तर में बम्बई की अहमद ग्रुप की मिलों की सम्पत्ति 68.11 लाख रुपये में उनके हाथ बेच दी गई थी, लिखित था अथवा मौखिक ;

(ख) यदि प्रस्ताव लिखित था, तो उसमें राशि के भुगतान के तरीके अथवा समय के बारे में क्या लिखा गया था और यदि प्रस्ताव मौखिक था तो यह प्रस्ताव कब और किस प्राधिकार को किया गया था ;

(ग) क्या सरकार को पूरा विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो उस पर यदि कोई ब्याज देय हुआ है तो उस सहित अब कितनी राशि बकाया है, तथा अब तक किये गये प्रत्येक भुगतान की राशि कितनी है, भुगतान कब किया गया तथा राशि कब देय हुई ; और

(ङ) बकाया राशि की वसूली के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 425/69]

दिल्ली प्रशासन में खजांचियों को विशेष वेतन का भुगतान

3820. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के रोजगार, प्रशिक्षण तथा तकनीकी शिक्षा निदेशालय में खजांची के रूप में काम करने वाले बहुत से निम्न श्रेणी लिपिकों को वर्ष 1967-68 और वर्ष 1968-69 में उनका विशेष वेतन नहीं दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) कर्मचारियों को कब तक विशेष वेतन का भुगतान किये जाने की सम्भावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख). एक खजांची को उसके द्वारा भुगतान की गई धनराशि के आधार पर ही विशेष वेतन दिया जाता है । इसके अनुसार, यह निश्चय करके कि वर्ष 1967-68 के दौरान कुल कितनी धनराशि का हिसाब-किताब किया गया है, दिल्ली प्रशासन ने अपने वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की है तथा अब दिल्ली प्रशासन द्वारा यह मामला भारत सरकार को अनुमोदनार्थ भेजा जा रहा है । सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा गत वर्ष सम्भाली गई धनराशि का निश्चय करने के बाद ही वर्ष 1968-69 के लिये स्वीकृति दी जायेगी ।

(ग) आवश्यक स्वीकृति प्राप्त हो जाने के तुरन्त बाद ही उन लोगों को इस वेतन का भुगतान कर दिया जायेगा ।

गोरक्षा समिति

3821. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरक्षा समिति के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) इस समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अभी तक समिति की 12 बैठकें हुई हैं और समिति के सम्मुख मौखिक साक्ष्य देने के लिए कुल 123 बुलाये गये व्यक्तियों में से 53 व्यक्तियों की गवाही ली। 230 व्यक्तियों को लिखित ज्ञापन भेजने के लिये प्रार्थना की गई थी, जिनमें से 120 व्यक्तियों से लिखित ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त 15 व्यक्तियों ने स्वेच्छा से ज्ञापन प्रस्तुत किया है। 17 राज्य सरकारों और 11 केन्द्रीय शासित क्षेत्रों की प्रश्नावलियां भेजी गई थीं। समिति को सब राज्य सरकारों और केन्द्रीय शासित क्षेत्रों से उत्तर प्राप्त हो चुके हैं।

(ख) कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती है फिर भी गोरक्षा समिति का वर्तमान कार्यकाल 28 जून 1969 तक है।

(ग) सर्वदलीय गोरक्षा महाभियान समिति द्वारा अपने तीन सदस्यों को हटाने के कारण, अगस्त 1968 से समिति की कोई बैठक नहीं हो सकी है। सरकार ने समिति से प्रार्थना की है कि वे गोरक्षा समिति से सहयोग करें और इसके विचार-विमर्श में भाग लें।

अनुशासन संहिता

3822. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोलहवें श्रम सम्मेलन में पास की गई अनुशासन संहिता तथा मजदूर संघों की मान्यता के सिद्धांत अब भी मान्य हैं ;

(ख) क्या उस सम्मेलन के घटक उसका पालन कर रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि सभी दल उस संहिता और उन सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करें ?

श्रम, रोजगर तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां।

(ख) यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाय तो सम्बन्धित पक्ष इसका पालन कर रहे हैं, यद्यपि कहीं-कहीं नियोजनों और श्रमिकों द्वारा कुछ उल्लंघन हुए होंगे।

(ग) सरकार त्रिपक्षीय सम्मेलनों और बैठकों समेत सभी उचित अवसरों पर अनुशासन संहिता के पालन की आवश्यकता पर बल देती है। जब सरकार को संहिता के अतिक्रम की शिकायतें प्राप्त होती हैं तब उनकी जांच की जाती है और सही सिद्ध होने पर उन्हें सम्बन्धित

पक्ष/और/या उस केन्द्रीय संगठन, जिससे वह सम्बद्ध हो, के ध्यान में लाया जाता है और उससे यह प्रार्थना की जाती है कि वह भविष्य में इस प्रकार के अतिक्रमण न करे ।

मनीपुर में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून को क्रियान्वित न करना

3823 **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 18 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7654 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यद्यपि मनीपुर भूमि राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम 1960 पारित हो गया था और वर्ष 1960 से लागू था, यद्यपि मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून के उपबन्ध क्रियान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या मनीपुर सरकार का विचार इस अधिनियम के उपर्युक्त उपबन्ध को क्रियान्वित करने का नहीं है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (घ). अधिकारों के रिकार्डों की तैयारी पूर्ण होने पर मणिपुर भू-राजस्व तथा भू-सुधार अधिनियम 1960 के भूमि की अधिकतम सीमा से सम्बन्धित उपबन्धों को लागू कर दिया जायेगा । रिकार्डों के उपबन्ध लगभग तैयार हो चुके हैं ।

मनीपुर के कुछ समाचार पत्रों के लिये अखबारी कागज

3824. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर के 'खोलाओ' और 'प्रजातन्त्र' नामक समाचार पत्रों का अखबारी कागज का वर्तमान कोटा क्या है ;

(ख) इन समचारपत्रों की बिक्री की संख्या कितनी है और उनका इस बारे में क्या दावा है ;

(ग) क्या उनकी बिक्री की सही स्थिति जानने के लिये कोई सत्यापन किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो यह कब किया गया था और यह किस एजेन्सी के द्वारा किया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जानकारी नीचे दी गई है :

(i) **खोलाओ, मणिपुरी दैनिक, मणिपुर**—

वर्ष 1968-69 के लिये 8.36 मीट्रिक टन

(ii) **प्रजातन्त्र, मणिपुर दैनिक, इम्फाल**—

क्योंकि इस पत्र की ओर से आवेदन-पत्र केवल फरवरी, 1968 में ही प्राप्त हुआ है, और वह भी अपूर्ण ही था, वर्ष 1968-69 के लिये उन्हें अखबारी कागज का कोई कोटा नहीं दिया गया। वर्ष 1968-69 के अखबारी कागज के कोटे के लिये आवेदनपत्र देने की अन्तिम तारीख 16 अगस्त, 1968 थी। वर्ष 1967-68 के लिये प्रजातंत्र पत्र को 10 मीट्रिक टन अखबारी कागज दिया गया था।

(ख) वर्ष 1967 के दौरान पत्र की बिक्री का जो दावा किया गया है वह निम्न प्रकार है :—

(i) खोलाओ—1650 (विक्रय—1500+निशुल्क—150)

(ii) प्रजातंत्र—1962 (विक्रय—1929+निशुल्क—33)

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में डाकघर

3825. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय महाराष्ट्र राज्य में कितने डाकघर हैं ;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 1969-70 में उनकी संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 13 मार्च, 1969 तक की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में शहरी क्षेत्रों में 873 डाकघर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 7417 डाकघर हैं।

(ख) जी हां।

(ग) 1969-70 के दौरान महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में 19 शहरी और 70 ग्रामीण

डाकघर खोले जाने हैं। उनका ब्योरा निम्न प्रकार है :

	शहरी	ग्रामीण	योग
1. चांदा	—	5	5
2. भंडारा	—	2	2
3. पूना	1	5	6
4. नागपुर	—	1	1
5. सांगली	1	4	5
6. शोलापुर	2	3	5
7. उस्मानाबाद	—	2	2
8. अहमदनगर	2	4	6
9. भिड़	1	3	4
10. थाना	2	2	4
11. कोलाबा	—	2	2
12. बम्बई	8	—	8
13. घुलिया	—	3	3
14. नान्देद	—	2	2
15. परभानी	—	2	2
16. अकोला	—	2	2
17. बुलडाना	—	1	1
18. औरंगाबाद	—	4	4
19. कोल्हापुर	—	5	5
20. नासिक	—	3	3
21. सतारा	—	2	2
22. रतनागिरि	—	2	2
23. अमरावती	1	2	3
24. वर्धा	—	2	2
25. यवतमाल	1	3	4
26. जलगांव	—	4	4
	19	70	89

Scheme for Development of Cotton

3826. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have drawn up a comprehensive scheme for the development,

production, sale, purchase and consumption of the cotton ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annashib Shinde) : (a) and (b). No Comprehensive scheme for the development, production, sale, purchase and consumption of cotton has been drawn up. The following Centrally Sponsored Schemes for the development and production of Cotton in major cotton growing States will be continued during the Fourth Plan period :—

(i) Intensive Cultivation (Central Package areas) in irrigated and assured rainfall areas, over nearly 4.70 lakh hectares annually.

(ii) Organisation of Mass Plant Protection Campaigns in unirrigated areas.

(iii) Production of Nucleus and Foundation seed of Cotton.

(iv) Organisation of Varietal Demonstration Plots.

(v) Grading of Kapas in Central Package Areas.

(vi) Development of Sea Island Cotton in Andhra Pradesh and Mysore.

Kaushalpuri Cooperative Society Farm in Achhalda, Etawah

3827. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2486 on the 28th November, 1968 and state :

(a) whether information asked for in respect of Kaushalpuri Cooperative Society Farm, Achhalda, Etawah, has since been collected and if so, the details thereof ;

(b) whether veracity of information supplied by the State Government has been looked into by the Central Government and if not, the reasons therefor ; and

(c) the legal difficulties before Government in regard to conducting high level enquiry into this affair and recording the evidence of the members and manager of the Kaushalpuri Society ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) Yes, Sir. A statement is laid on the Table of the Houses **[Placed in Library. See No. LT-426/69.]**

(b) Cooperation is a state subject. The Government of U. P. have said that the information furnished is based on the records consigned in the Record Room of the District Planning Officer, Etawah.

(c) Does not arise.

State Trading in Foodgrains

3828. **Shri Deorao Patil :**
Shri K. M. Madhukar :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the extent of loss suffered in 1966-67 in state trading of foodgrains and the extent of net cumulative loss thereof ;

(b) the details of losses and the causes of such substantial losses;

(c) the steps taken to reduce the extent of losses on the Scheme for the purchase of foodgrains ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) The total loss for the year 1966-67 is Rs. 93.28 crores and the cumulative loss since the introduction of the Scheme in 1943-44 is Rs- 235.90 crores.

(b) The details of losses incurred in 1966-67 are as follows:—

		Rs. Crores
Wheat	..	23.18
Rice	..	34.29
Other grains	..	23.16
Total indirect expenses and interest on capital	..	12.65
		93.28

The causes for the above loss were mainly devaluation of the rupee and the policy of the Government not to pass on the entire burden to the consumer. There was also a sharp increase in the international prices of rice.

(c) The issue prices of foodgrains supplied from the central stocks have since been gradually raised to reduce the losses in the State Trading of Foodgrains.

Destruction of Crops by Insects in Bihar

3829. **Shri K. M. Madhukar**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that wheat crop in Bihar was attacked by a new kind of insect recently;

(b) if so, whether Government propose to take effective large scale measures to check this crop disease and set up such Research Institute which could develop new insecticides and widely propagate them amongst the farmers; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) The wheat crop in Bihar was attacked recently by the leaf blight disease (Alternaria triticina) and not by any new kind of insect. The incidence of this disease has been recorded in the past.

(b) and (c). Control measures for the disease have been worked out and Zineb spray has been found to be very effective. So far about 500 acres in the affected areas have been treated with fungicides. The State Department of Agriculture has undertaken a wide publicity campaign through special bulletins, radio and local newspapers and extension workers for advising the farmers about the control measures to be adopted for arresting this disease.

दिल्ली दुग्ध योजना के उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

3830. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री विभूति मिश्र :**
श्री रा० बरुआ : **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री सीताराम केसरी :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना ने दूध के अतिरिक्त अन्य सब उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि की है जबकि स्वयं सरकार मूल्यों के स्तर को नीचा बनाये रखने के उद्देश्य से गैर-सरकारी व्यापारियों द्वारा बेचे जाने वाली सभी वस्तुओं के मूल्यों को नियन्त्रित करने के लिए कार्यवाही कर रही है;

(ख) यदि हां, तो दुग्ध पदार्थों के मूल्यों में लगातार वृद्धि किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का अनुगमन करते हुए निजी व्यापारियों ने भी घी तथा अन्य दुग्ध पदार्थों के मूल्य काफी हद तक बढ़ा दिये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । 22 जनवरी, 1969 से घी और मक्खन की कीमतें बढ़ा दी गई थीं ।

घी	**विक्रय कीमत (वृद्धि के पश्चात्)**
1—किलोग्राम टिन	15.05 रु० (बिक्री कर सहित)
2—किलोग्राम टिन	29.50 रु० ,,
4—किलोग्राम टिन	57.50 रु० ,,
16—किलोग्राम टिन	225.00 रु० ,,

टेबल मक्खन	**थोक कीमत (फी किलोग्राम)**	**खुदरा कीमत**
25—ग्राम का पैकट	13.00 रु०	0.35 रु० प्रति
100—ग्राम का पैकट	12.25 रु०	1.30 रु० ,,
250—ग्राम का पैकट	11.07 रु०	2.90 रु० ,,
श्वेत मक्खन		
250—ग्राम का पैकट	11.70 रु०	3.10 रु० प्रति

(ख) दूध की क्रय कीमत में वृद्धि होने और उसके फलस्वरूप हुई बहुत हानि होने के कारण योजना को अपने दूध की विक्रय कीमत बढ़ानी पड़ी है ।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और मिलने पर सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

रामकृष्णपुरम के सैक्टर संख्या 12 में दूध का डिपो

3832. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में रामकृष्णपुरम के सेक्टर संख्या 12 में दिल्ली दुग्ध योजना का एक दूध का डिपो खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) 22-3-69 से प्रातः की पारी में एक दुग्ध केन्द्र शुरू किया जा रहा है ।

Production of Sugar from Beet

3833. **Shri K. M. Madhukar**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the International Development Agency of U. S. A. is carrying on studies in India for producing sugar from beet and developing beet cultivation in North India;

(b) if so, the outcome thereof and whether it is a fact that Agricultural University, Pant Nagar, has achieved much success in the beet root cultivation ;

(c) whether Government have ascertained the places in North India where the beet root cultivation would be profitable ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) No, Sir.

(b) Pantnagar was one of the centres, in the coordinated tests conducted on the cultivation of sugarbeet at a number of centres in the country by the Indian Institute of Sugarcane Research, Lucknow. The results obtained from the coordinated tests have provided useful information.

(c) and (d). The experiments conducted in India have shown that sugarbeet can be successfully cultivated as a winter crop in the States of Punjab, Haryana, Rajasthan and Western and Terai areas of Uttar Pradesh.

Post Offices in Bihar

3834. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) the progress made in achieving the target of providing one post office in each of the Panchayats in Bihar during the last year ;

(b) the target fixed for opening new post-offices in Bihar during the year 1969-70, district-wise ;

(c) whether Bihar would continue to lag behind in this respect or whether some scheme for special and rapid development in this regard has been drawn up by Government ;

(d) if so, the nature thereof ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) to (e). A statement is laid on the Table of the Lok Sabha. **[Placed in Library. See No. LT-427/69.]**

Jandaha Sub-Post Office, District Muzaffarpur, Bihar

3835. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Jandaha Sub-Post Office in Muzaffarpur district of Bihar functioning for about last sixty years was housed in a private building at a monthly rent of Rs. 35 only during all this period ;

(b) whether it is also a fact that the place where it has now been shifted is not easily accessible to the public as was the case with the previous location and that it was shifted by the Post Master without the permission of the Post Master General or any other officer ;

(c) whether it is also a fact that the rent of the new location is proposed to be raised to Rs. 100 per month whereas it was only Rs. 35 for the previous location ;

(d) if so, the reasons for which the location was changed involving the rent of Rs.100 instead of Rs. 35 earlier ;

(e) whether an enquiry has ever been made in the matter ;

(f) if not, the reasons therefor ; and

(g) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Yes.

(b) No. The location of the building is quite satisfactory. The Post Office was not shifted without permission of competent authority.

(c) Yes.

(d) The previous post office building was an old thatched house and due to lack of proper periodical maintenance by the landlord its condition had deteriorated and it became unsuitable for holding a public office like a post office. The post office was therefore, shifted to a newly built pucca building which suits the present needs of the Department including location etc.

(e) Yes.

(f) Does not arise.

(g) The enquiry showed that the shifting of the office to its present premises was fully justified.

Committee for Change in Food Habits

3836. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the fact that an institution in Delhi known as Committee for change in Food Habits has demonstrated such food articles as were not made by wheat and rice and contain all the vitamins ;

(b) if so, whether Government have conducted a research to ascertain whether the food articles prepared without the use of wheat and rice can be a good substitute for daily food ; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government to implement the said scheme on a large scale ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture ,Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir. The non-cereal food preparations demonstrated by the Committee for Change of Food Habits are nutritious.

(b) and (c). The Government is already aware of the fact that non-cereal foods could be used judiciously in partial substitution of cereals in the daily diet. The Government are popularising subsidiary foods and other nutritious foods and promoting diversification of the diet through the Mobile Food and Nutrition Extension Units and the Institutes of Catering Technology and Applied Nutrition.

Shortage of Batteries in Madhya Pradesh

3837. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Radio sets distributed by the Public Relations Department in Madhya Pradesh are lying idle due to non-availability of batteries ; and

(b) if so, whether Central Government have given any assistance to the Madhya Pradesh Government in this regard to bring about an improvement in the situation ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Information is being ascertained from the Government of Madhya Pradesh and will be laid on the Table of the House.

(b) Maintenance of Community Listening Sets is the responsibility of the State Government.

Number of Landless Labourers in the Country

3838. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of landless labourers in the country ; and

(b) the number of Harijans and Muslims out of them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) According to 1961 Census, there were 31,521,641 agricultural labourers in the country. Of them 4,068,861 had cultivation as their secondary occupation. Hence the derived figures for Agricultural labourers without land or cultivation are 27,452,780.

(b) According to 1961 Census 10,453,364 agricultural labourers belong to the scheduled castes. Separate figures for Muslim landless labourers are not available as the economic characteristics of the population were not cross-classified according to religion.

केन्द्रीय भाण्डागार निगम

3839. **श्री क० लकप्पा :**

श्री ए० श्रीधरन :

डा० सुशीला नैयर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने 500 रुपये प्रति मास से अधिक वेतन पाने वाले पदों में भर्ती के लिये नियम तथा विनियम बनाये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ऐसे नियम बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो कब ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय भाण्डागार निगम ने 4, 3 और 2 श्रेणी के पदों, जिनका वेतन 900 रुपये तक होता है, की भर्ती के लिए नियम बनाये हैं । केन्द्रीय भाण्डागार निगम में श्रेणी 1 के पदों को या तो केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों से प्रतिनियुक्ति पर लेकर या निगम के श्रेणी 2 के अधिकारियों में से पदोन्नति करके भरा जाता है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Cooperative Sugar Mills in Sriganganagar

3841. **Shri P. L. Barupal:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the causes for delay in the setting up of two Sugar Mills in Sriganganagar District (Rajasthan) on cooperative basis for which necessary funds were also deposited by local citizens; and

(b) when these Mills are expected to be set up ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) A proposal for setting up sugar mills on cooperative basis in the Ganganagar district (Rajasthan) was rejected in 1965

after an on-the-spot study by experts on the ground of inadequate sugarcane production in the area. Another proposal was to convert an existing sugar factory in the same district into a cooperative one, for which some share capital from members was collected. The State Government subsequently decided that prospects of establishing a cooperative sugar factory were not bright and consequently action was taken to refund share capital. Upto July, 1968 an amount of Rs. 3,20,345/- was refunded to 1691 members.

(b) Question does not arise.

Replies to Letters sent by M. Ps.

3842. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of letters sent by Members of Parliament to him, the Deputy Minister and Secretary during the last six months and the number of letters to which replies were sent and not sent, respectively ;

(b) the reasons for not sending replies to Members of Parliament ;

(c) whether it is a fact that replies are sent only after repeated reminders ;

(d) whether Gevernment would arrange to send replies to letters sent by Members of Parliament within fifteen days of their receipt ; and

(e) if not, the reasons thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(c) No, Sir.

(d) and (e). Instructions already exist suggesting that all communications from Members of Parliament should be acknowledged suitably and whenever necessary, an interim reply should be sent to letters which cannot be answered in full promptly, also, that communications received from Members of Parliament should receive priority. These instructions are being followed and no further arrangement is considered necessary.

Steps to Increase Milk Production

3844. **Shri Achal Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the per capita average of milk consumption in U. S. A., New Zealand and Holland is two pounds per day while it is two ounces in India ; and

(b) if so, the steps taken by Government for increasing the production of milk during the last three years ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha as soon as available.

(b) The need for improving the quality of Cattle and buffaloes and increasing the production of milk for meeting the requirement of increasing human population is well-

recognised. Both the central and the State Governments are paying increasing attention for the development of cattle and buffaloes. The more important cattle development schemes which have a direct bearing on milk production are :

1. All India Key-Village Scheme.
2. Intensive Cattle Development Scheme.
3. Cross Breeding Scheme.
4. Feed and Fodder Development Scheme.
5. Goshala Development Scheme.
6. Calf Rearing Scheme
7. Strengthening and expansion of Livestock Farms.
8. Cattle Shows and MilkYield Competition.
9. Wild and Stray Cattle Catching Scheme.
10. Disease Control Programme.

All these Schemes aim at improving the productivity (quality) of cattle/buffalo through scientific breeding, improved feeding, effective disease control and marketing etc.

ग्रामदान में प्राप्त गांवों का विकास

3845. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ग्रामदान में प्राप्त गांवों के चौथी पंचवर्षीय योजना काल में विकास के लिये एक वृहत योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका विशेष रूप से ग्रामदान वाले गांवों के अतिरिक्त गांवों के लिए कार्यक्रम की तुलना में ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय के अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना में केन्द्र की ओर से ग्रामदान गांवों के विकास के लिए इस प्रकार की कोई विशेष योजना नहीं होगी । इस बारे में कोई भी योजना राज्य योजनाओं का अंग बनेगी; यह राज्य सरकारों का काम है कि राज्य योजना क्षेत्र के भीतर ऐसी उपयुक्त योजनाएं शुरू करें जिन्हें वे आवश्यक समझें ।

आकाशवाणी के 'टूडे इन पार्लियामेंट' और 'संसद् समीक्षा' कार्यक्रम

3846. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी से 'टूडे इन पार्लियामेंट' और 'संसद् समीक्षा'

शीर्षकों के अधीन आकाशवाणी, नई दिल्ली से प्रसारित की जाने वाली वार्ता के संसदीय कार्य वृतान्त के बारे में एक ही समाचार सामग्री होती है;

(ख) यदि नहीं, तो इन दोनों कार्यक्रमों में पृथक्-पृथक् समाचार सामग्री दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इन प्रसारणों को सामान्य समाचार प्रसारणों की भांति एक के बाद दूसरे को प्रसारित करने की योजना बनाने वाली है जिससे दोनों कार्यक्रमों को शाम के साढ़े आठ बजे एक ही साथ प्रसारित करने की व्यवस्था बदल जाये; और

(घ) यदि हां, तो कब से, और यदि नहीं, तो क्यों ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). यद्यपि 'टुडे इन पार्लियामेन्ट' तथा 'संसद्-समीक्षा' कमेन्ट्रियां दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाही पर आधारित होती है पर, क्योंकि ये विभिन्न पत्रकारों द्वारा स्वतन्त्र रूप से तैयार की जाती हैं, अतएव, ये विषय और स्वरूप में अलग-अलग होती हैं ।

(ग) तथा (घ). उस रोज के उस समय के भरपूर कार्यक्रमों के कारण यह सम्भव नहीं है ।

खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी

3847. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन के बारे में कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों ने उक्त नीति को कार्यान्वित किया है और किन-किन राज्यों ने नहीं;

(घ) राज्यों द्वारा उसे क्रियान्वित न किये जाने के यदि कुछ कारण हैं, तो वे क्या हैं और उसके सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है और उसके परिणाम क्या निकले हैं; और

(ङ) यदि खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी सम्बन्धी कोई राष्ट्रीय नीति है, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ङ). खेतिहर श्रमिक क्षेत्र का रोजगार अधिकांशतः राज्य क्षेत्राधिकार में आता है । केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर निर्धारित अथवा संशोधित न्यूनतम मजूरी-दरों के बारे में उपलब्ध सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 428/69] खेतिहर श्रमिकों के लिये राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी निश्चित करने के

प्रश्न पर राष्ट्रीय श्रम आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विचार किया जायेगा ।

बिहार के दरभंगा जिले में टेलीफोन एवं तार की व्यवस्था

3848. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के दरभंगा जिले के लौकाहा, अंधराथड़ी और लोबना रोड नामक डाकघरों में टेलीफोन और तार की व्यवस्था चालू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (ग). लौकाहा में पहले से ही तारघर मौजूद है । लोहना रोड में सार्वजनिक टेलीफोनघर व तारघर 16-9-68 को खोल दिया गया है । अन्धराथड़ी में सार्वजनिक टेलीफोनघर और तारघर खोलने की 1-3-69 को मंजूरी दे दी गई है । वे यथासमय खोल दिये जाएंगे ।

लौकाहा में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की योजना का सर्वेक्षण कर लिया गया है और प्रस्ताव की वित्तीय दृष्टि से जांच करने से पता चला है कि यह योजना अलाभकारी होगी । फिर भी प्रस्ताव की आगे जांच की जा रही है ।

इन्जीनियरिंग उद्योगों के लिये मजूरी बोर्ड की सिफारिशें

3849. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग उद्योग संबंधी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए 1-3-69 को एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाई गई थी;

(ख) क्या उक्त बैठक में नियोक्ताओं तथा मजदूरों के बीच कोई समझौता हो गया था;

(ग) यदि नहीं, तो मुख्य रूप से किन बातों पर मतभेद था; और

(घ) इस उद्योग में मजूरी के पुनरीक्षण के बारे में शीघ्र निर्णय करने हेतु क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार नियोजकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों से राज्य स्तर पर

प्रारम्भिक विचार-विमर्श करना चाहती थी। यह श्रमिकों और नियोजकों के प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकार किया गया।

(घ) राज्य सरकारों के विचार जानने के बाद आगे की कार्यवाही की जायेगी।

Uniforms for P. and T. Employees

3850. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the cloth used for the winter and summer uniforms of the Posts and Telegraphs employees is of very inferior quality and its colour is also not good ;

(b) whether Government propose to provide them with uniforms of some different colour ;

(c) if not, the reasons therefor ;

(d) whether Government propose to purchase the cloth for their uniforms from the Super Bazars in Delhi ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) No. Good quality woollen serge and khadi cloth available in Khaki colour is used for fabrication of woollen and cotton uniforms of the P and T staff.

(b) No.

(c) Khaki is considered to be a good colour for departmental uniforms and it does not readily show dirt.

(d) No. The present arrangement of getting woollen material at competitive rates from the mills and khadi through the khadi commission ensure good cloth at economic rates.

(e) It is neither economical nor administratively convenient to obtain the material for uniforms from the Super Bazars in Delhi, which does not manufacture but only sells cloth after purchasing it from the Mills.

सार्टिंग सेक्शन एस० आर० 143 और 144

3851. **श्री किरुतिनन :** क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांच वर्ष पूर्व स्वीकृत सार्टिंग सेक्शन संख्या एस० आर० 143 और 144 को अभी तक एस० एच० डाक डिब्बों के अभाव में नहीं खोले गये हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) फालतू डाक डिब्बों के अभाव के कारण यह रेल-डाक व्यवस्था सेक्शन नहीं खोला जा सका।

रेल विभाग 75 मीटर गेज के डाक-डिब्बों का निर्माण कर रहा है। उनसे इस काम को प्राथमिकता देने के लिये कहा गया है। आवश्यक संख्या में डाक डिब्बों के तैयार होते ही यह सेक्शन खोल दिया जायगा।

डाक तथा तार विभाग के लिये मीटर लाइन पर डाक डिब्बों का छोड़ा जाना

3852. **श्री किरुतिनन** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे ने डाक तथा तार विभाग को मीटर लाइन पर कुछ डाक डिब्बे हाल ही में दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन डाक डिब्बों को किस सेक्शन पर चलाने के लिये दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विरुधनगर में रेलवे डाक सेवा का कार्यक्रम

3853. **श्री किरुतिनन** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मदुराई और विरुधनगर के वाणिज्य मंडल विरुधनगर में रेलवे डाक सेवा का कार्यालय खोलने के लिये बार-बार लिखते रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि विरुधनगर जंक्शन पर रेलवे डाक सेवा के कार्यालय के लिये पहले से ही स्थान दिया हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यालय ने वहां अब तक काम करना शुरू क्यों नहीं किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां, लेकिन रेलवे विभाग ने रेल डाक-व्यवस्था के कार्यालय के लिये जो स्थान

एलाट किया था वह उपयुक्त नहीं था, इसलिए उसे ग्रहण नहीं किया गया ।

(ग) मूलतः विरुधनगर में रेल-डाक व्यवस्था का कार्यालय इस दृष्टि से खोलने का विचार था कि मदुराई रेल डाक व्यवस्था कार्यालय में काम का भार हल्का हो सके । मदुराई रेल डाक-व्यवस्था के कार्यालय के भवन में विस्तार का काम चालू है, और जल्द ही पूरा हो जाने की आशा है । इसलिए विरुधनगर में रेल डाक-व्यवस्था का कार्यालय खोलने की अब कोई आवश्यकता नहीं रही ।

Advance Increments to Engineering Supervisors in All India Radio

3854. **Shri Sheopujan Shastri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the graduate engineers posted against the posts of Engineering Supervisors in the Department of Posts and Telegraphs are given six advance increments and their basic pay per month is fixed as Rs. 240, while the Graduate Engineers appointed in the All India Radio are not given any advance increments and the basic pay per month in this case is fixed only as Rs. 210 ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) In P and T Department, the grade of Engineering Supervisor is Rs. 180-10-290-EB-15-380. But persons who are Engineering graduates when first appointed to this grade or become Engineering graduates while in service in this grade are allowed three advance increments or an increase of pay up to Rs. 240/- p. m., whichever is more beneficial. In All India Radio, the lowest grade to which Graduate Engineers are appointed is that of Assistant Engineers which is a Class II gazetted post in the scale of Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800EB-30-830-35-900. It is not correct that Graduate Engineers start on a salary of Rs. 210/- in AIR. This is the starting salary of Engineering Assistants who are not Graduate Engineers.

(b) Does not arise.

Direct Telephone Link between Banda and Allahabad

3855. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are no arrangements for direct telephone from District Banda proper (Uttar Pradesh) to Allahabad or Kanpur due to which the traders of the said place cannot establish business contacts with the big cities of the country ; and

(b) whether Government propose to provide direct telephone link from the said place to Allahabad or Kanpur ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : (a) Three Direct Trunk Circuits exist between Banda and Kanpur but the performance of the same has been poor over

past few months due to very frequent copper wire thefts in the Section. There is no direct trunk between Banda and Allahabad.

(b) Action has already been initiated to stabilise the Banda-Kanpur Trunk lines by replacing the existing copper trunk by Aluminium wire which is not subjected to theft. An additional aluminium trunk pair would also be provided. Remodelling of telephone alignment for provision of more circuits in future is also in progress.

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर

3856. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के गांवों में कितने डाक-घर हैं;

(ख) उनमें से कितने डाकघर पिछले तीन वर्षों से घाटे पर चल रहे हैं और कितने डाक-घर स्वावलम्बी हैं; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर चलाने में प्रतिवर्ष कुल कितनी हानि होती है ?

सूचना और प्रसारण तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) 91.917

(ख) केवल अस्थायी डाकघरों, जो कि प्रायोगिक डाकघर के नाम से जाने जाते हैं, की वित्तीय स्थिति पर प्रतिवर्ष पुनरीक्षण किया जाता है। ऐसे प्रायोगिक डाकघरों जो पिछले तीन वर्ष से घाटे पर चल रहे हैं और वे जो स्वावलम्बी हैं, के आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं और उन्हें सभा-पटल पर रख दिया जायगा।

चूंकि ऐसी कोई कार्य विधि अपनाई नहीं जाती जिससे स्थायी डाकघरों का वार्षिक वित्तीय पुनरीक्षण किया जाए, यह कहना सम्भव नहीं है कि स्वावलम्बी स्थायी डाकघरों की संख्या कितनी है और कितने डाकघर घाटे पर कितने समय से चल रहे हैं।

(ग) सभी ग्रामीण डाकघरों को चलाए जाने में कितना वास्तविक घाटा है, इसका उल्लेख उक्त कारण से नहीं किया जा सकता। फिर भी, 1967-68 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायोगिक डाकघरों का वर्ष भर का घाटा 99,77,383.82 रुपये था।

पश्चिम बंगाल के लिये चीनी का कोटा

3857. **श्री जुगल मंडल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 6 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1856 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल के मासिक कोटे में कितनी वृद्धि की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : पश्चिमी बंगाल का लेवी चीनी का मासिक कोटा 23 जनवरी, 1969 से 2034 मीटरी टन बढ़ा दिया गया है अर्थात् 11,133 से बढ़ाकर 13,167 मीटरी टन कर दिया गया है।

फिल्मों के इश्तिहारों का सेंसर

3858. **श्री वि० ना० शास्त्री :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में सिनेमा के इश्तिहारों का सेंसर करने की कोई व्यवस्था है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार को पता है कि देश भर में गलियों की दीवारों पर बहुत अश्लील इश्तिहार खुले-आम प्रदर्शित किये जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सिनेमा के इश्तिहारों का फिल्म सेंसर बोर्ड अथवा किसी स्वतंत्र निकाय द्वारा अनिवार्य रूप से सेंसर करवाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां । सरकार को पता है कि कभी-कभी सिनेमा के अश्लील पोस्टर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किये जाते हैं ।

(ग) तथा (घ). जी नहीं, सिनेमा पोस्टर चलचित्र अधिनियम, 1952 के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते । यह राज्य सरकारों का काम है कि वे अश्लील सिनेमा पोस्टरों को प्रदर्शित करने पर रोक लगाने के लिये उपर्युक्त कार्रवाई करें । राज्य सरकारों से समय-समय पर यह प्रार्थना की जाती है कि वे दोषियों के विरुद्ध इण्डियन पैनल कोड की धारा 292 के अन्तर्गत कार्रवाई करें । राज्य सरकारों का ध्यान दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 142 की ओर भी दिलाया गया है, जिसमें यह व्यवस्था है कि प्रदर्शित किया जाने वाला प्रत्येक विज्ञापन और बातों के साथ-साथ अश्लीलता आदि की दृष्टि से, आयुक्त से मन्जूर कराया जाए । राज्य सरकारों से निवेदन किया गया है कि वे भी भद्दे तथा अश्लील फिल्म पोस्टरों और विज्ञापनों के प्रदर्शन पर नियंत्रण रखने के लिये स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के उपनियमों में इसी प्रकार की व्यवस्था कराने पर विचार करें ।

टेलीफोन बिल

3859. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **सूचना और प्रसारण तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन विभाग ने अनेक पूर्व की गई कालों के लिये टेलीफोन मालिकों को हाल में बिल भेजे हैं ;

(ख) क्या इन बिलों का भुगतान न किये जाने पर टेलीफोन कनेक्शन काट दिये जाते हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि अनेक बिल गलत बनाये गये हैं जिससे उनकी अदायगी कठिन हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी नहीं, सामान्यतः की गई कालों (यानी परिमापित दर एक्सचेंजों के लिये स्थानीय कालें और सभी एक्सचेंजों के लिये ट्रंककालें) के लिये टेलीफोन बिल निर्धारित अवधि के अन्दर जारी किये जाते हैं न कि कई वर्षों के बाद। फिर भी यदि कोई उपभोक्ता बिल की दोहरी प्रति चाहे तो उसको दी जा सकती है।

(ख) यदि बिल की अदायगी निर्धारित अवधि के दौरान न की जाए तो टेलीफोन का कनेक्शन काटा जा सकता है। फिर भी उपभोक्ता को बकाया बिल की अदायगी न करने के बारे में टेलीफोन पर याद दिलाकर ही कनेक्शन काटा जाता है।

(ग) जी नहीं। फिर भी यदि कोई गलत बिल जारी होने की मिसालें विभाग के ध्यान में लाई जाती हैं तो उनकी जांच की जाती है और जहां कहीं आवश्यकता हो उनमें संशोधन कर दिया जाता है।

(घ) हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जाती है कि बिल ठीक और शीघ्रता से जारी किये जाएं ताकि उपभोक्ताओं को कोई असुविधा न हो।

भारतीय खाद्य निगम में सेवा निवृत्त रेलवे अधिकारियों की पुनः नियुक्ति

3860. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के दिल्ली कार्यालय में रेलवे से सेवानिवृत्त कुछ अधिकारियों को हाल में पुनः नियुक्त किया गया है;

(ख) उनको पुनः नियुक्त किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) उनकी संख्या तथा नाम क्या हैं और इस समय वे किस-किस पद पर काम कर रहे हैं;

(घ) क्या यह इस बारे में सरकार की नीति के विरुद्ध है; और

(ङ) यदि हां, तो भारत के खाद्य निगम के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) क्योंकि रेलवे से आये या निगम के ही कार्यरत अधिकारियों में, खाद्यान्नों के संचलन की व्यवस्था करने और रेलवे के साथ दावे की पैरवी करने के लिये आवश्यक विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव वाले अधिकारी ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 429/69]

(घ) जी नहीं।

(ङ) रेलवे से सेवानिवृत्त अधिकारियों को पुनः नियुक्त करते समय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों तथा निगम के कर्मचारियों के हितों का विधिवत ध्यान रखा जाता है।

मजूरी बोर्ड

3861. **डा० सुशीला नैयर :**

श्री ए० श्रीधरन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकार ने कितने मजूरी बोर्ड नियुक्त किये;

(ख) प्रत्येक मजूरी बोर्ड द्वारा कितने-कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये; और

(ग) कितने मजूरी बोर्ड अब भी काम कर रहे हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) तीन, अर्थात् (i) चमड़ा और चमड़ा सामान उद्योग सम्बन्धी मजूरी बोर्ड, मद्रास (ii) बिजली उपक्रम सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड, नई दिल्ली और (iii) सड़क परिवहन उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड, नई दिल्ली।

(ख) और (ग). तीनों मजूरी बोर्ड इस समय काम कर रहे हैं। उन्होंने श्रमिकों को अन्तरिम सहायता मन्जूर करने की सिफारिशें की हैं और उनकी अन्तिम रिपोर्टें निकट भविष्य में मजूरी बोर्ड, प्राप्त होने की आशा है।

रूई में आत्म निर्भरता

3862. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रुई (काटन) की कितनी आवश्यकता है और स्वदेशी उत्पादन से यह आवश्यकता किस हद तक पूरी होती है;

(ख) पिछले दो वर्षों में वर्षवार रूई का कितनी मात्रा में आयात किया गया और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई;

(ग) क्या यह सच है कि इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन ने रूई में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिये हाल में एक योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ङ) फेडरेशन की योजना पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पांच वर्षों के औसत के आधार पर, मिलों में खपत सहित खड्डी द्वारा मिलों के अलावा प्रयोग और निर्यात द्वारा देश में रुई की आवश्यकता लगभग 66.5 लाख गांठ है। इसकी तुलना में औसतन देशी उत्पादन 53 लाख गांठ है। जिससे कुल आवश्यकता के 90 प्रतिशत की पूर्ति होती है।

(ख) 1966-67 और 1967-68 के दौरान रूई का आयात और उसकी कीमत निम्न-लिखित है:—

मात्रा : लाख गांठ
कीमत : (करोड़ रुपये)

वर्ष	मात्रा		कुल जोड़	कीमत		कुल जोड़
(सितम्बर-अगस्त)	ग्लोबल	संयुक्त राज्य अमरीका (*) (पी० एल०-480)		ग्लोबल	स०रा०अम० (*) (पी०एल०-480)	
1966-67	4.52	3.24	7.76	53.87	24.65	88.52
1967-68	3.19	4.59	7.78	40.38	45.75	86.13

(ग) इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन की रुई में आत्म निर्भरता प्राप्त करने की योजना के बारे में सरकार को जानकारी केवल समाचार-पत्रों से प्राप्त हुई है।

(घ) और (ङ). केवल समाचार-पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर विस्तार में जाना उचित नहीं होगा।

माल डिब्बों की बुकिंग के बारे में उर्वरक व्यापारियों के अभ्यावेदन

3863. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक मालिकों तथा व्यापारियों से केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं जिनमें यह निवेदन किया गया है कि वह रेलवे अधिकारियों को स्पष्ट रेलवे रसीदों पर तथा रेलवे जोखिम पर माल डिब्बे भेजने के निर्देश दें;

(ख) क्या यह सच है कि उर्वरकों को बिना वजन किये बुक किया जाता है और उनकी खुली डिलीवरी दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

(*) संयुक्त राज्य अमरीका (पी० एल०-480) से आयातों का भुगतान भारतीय रुपयों में होता है।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) मानकीकृत और सुदृढ़ थैलों में आयातित उर्वरकों को थैलों पर लिखे हुये भार विवरण के आधार पर भेजा जाता है, जहां तक एकदम अधिक मात्रा में आयातित उर्वरकों का प्रश्न है उन्हें मद्रास और कलकत्ते के अतिरिक्त अन्य सभी बन्दरगाहों पर भेजे जाने से पूर्व पैक करके मानीकृत कर दिया जाता है। मद्रास में खुला चौकियों पर वैगनों के वास्तविक भार के आधार पर उर्वरकों को भेजा जाता है। कलकत्ते में भी इसी प्रणाली का अनुसरण किया जाता है, किन्तु ऐसे अवसरों पर जबकि रेलवे तुला सेतु किसी कारणवश खराब हो जाते हैं तो मोटर तुला सेतुओं द्वारा प्रदर्शित थैलों का औसतन भार आधार बनता है।

रेल विभाग गन्तव्य स्थान पर पहुंचे माल को साधारणत: तौलता नहीं है। गन्तव्य स्थानों पर कुछ ऐसे अपवादात्मक प्रेषित माल को ही तौला जाता है जिसकी अवस्था इसके लिये बाध्य करे।

(ग) रेलवे की सहायतार्थ कि वे स्पष्ट रेलवे रसीद जारी करें, इस मंत्रालय के व्यय पर उर्वरकों के लदान का निरीक्षण करने के लिये टेलीक्लर्क्स नियुक्त किये गये हैं।

Advance Increment to Hindi Stenographers in A. I. R.

3864. **Dr. Surya Prakash Puri** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the English Stenographers in All India Radio on qualifying the prescribed test at the speed of 120 words per minute have been given four advance increments while the Hindi Stenographers qualifying the prescribed test at the same speed are not given such increments;

(b) if so, the reason for this discrimination ; and

(c) the time by which Government are likely to take a decision to give four advance increments to Hindi Stenographers ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The question of granting of advance increments to the Hindi and other Indian language stenographers for whom no test has been prescribed so far is under consideration, and a decision is expected to be taken shortly.

Manufacture of Hindi Teleprinters

3865. **Shri Nageshwar Dwivedi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state the number of Hindi Teleprinters manufactured so far in the Madras Teleprinter factory ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri Sher Singh) : Up to 15th March, 1969 the Hindustan Teleprinters Limited, Madras have manufactured 470 Devanagari teleprinter machines.

उर्वरकों की राज सहायता प्राप्त कीमतों पर सप्लाई

3866. **श्री अदिचन :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों पर उत्पादन शुल्क में हाल की वृद्धि के फलस्वरूप उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि होने की सम्भावना है;

(ख) क्या छोटे किसानों द्वारा भी उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहन दिये जाने के लिये उनको उर्वरकों की सप्लाई में राज सहायता देने का सरकार का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी योजना का ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मुख्यत: उर्वरकों पर उत्पादन कर के लागू करने और आयात कर को प्रतितुलित करने के कारण उर्वरकों के मूल्य 1-3-69 से पहले ही बढ़ा दिये गये हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं होता ।

Wheat Procured by Food Corporation of India in Madhya Pradesh

3867. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the wheat procured by the Food Corporation of India during the last year has been lying in many districts of Madhya Pradesh ;

(b) if so, the quantity thereof and the names of the places where it is lying ;

(c) whether it is also a fact that this wheat is lying at those places as there is no demand for it from outside ;

(d) whether Government propose to make necessary arrangements therefor before it is damaged ; and

(e) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) About 80 thousand tonnes. A Statement showing the names of various centres in Madhya Pradesh where this wheat is lying as on 14-2-1969 is attached.

(c) to (e). The Food Corporation of India purchased wheat in Madhya Pradesh on account of the State Government. Due to comparatively happy food situation in the State, the Madhya Pradesh Government recently, after assessing their requirements, have offered

about 60 thousand tonnes of wheat for Central pool and have retained the balance of about 20 thousand tonnes for issue within the State. Out of this quantity allocations for about 45 tonnes have already been made and the balance quantity would be covered against April, 1969 allocations.

वाणिज्यिक फसलों को प्रोत्साहन देने का जोरदार कार्यक्रम

3868. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सीताराम केसरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1969-70 में निर्यात से भारत की आय में 50 प्रतिशत वृद्धि करने के विचार से वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये एक जोरदार कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राज्य विकास कार्यक्रमों के अतिरिक्त निर्यात वृद्धि / आयात प्रतिस्थापन के लिये अधिकतम पैदावार देने में समर्थ क्षेत्रों में वाणिज्य फसलों के विकास के लिये केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित किया जा रहा है तथा इनको वर्ष 1969-70 में जारी रखा जाएगा। अत: आशा है कि वर्ष 1969-70 के अन्तर्गत भी वाणिज्य फसलों के निर्यात में भी वृद्धि होगी।

(ख) एक पत्र जिसमें, वर्ष 1969-70 तक के कार्यक्रमों का ब्योरा दिया हुआ है, सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 431/69]**

Transmission Executives in All India Radio

3869. **Shri Ram Gopal Shalwale:** Will the Minister of **Information and Broadcasting and Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the post of Transmission Executive is the basic post in the Programme Staff Unit of the All India Radio ;

(b) if so, the percentage of quota prescribed for their promotions to the next higher posts ;

(c) whether Government propose to reserve cent per cent posts that fall vacant in the next higher grade for them after their having completed a prescribed period of service or increase the aforesaid quota in the alternative ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting and in the Department of Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) The Post of Transmission Executive is the lowest in the ladder of programme posts in All India Radio.

(b) 25% of the vacancies in the next higher grade of Programme Executive.

(c) No, Sir.

(d) Promotion quata already fixed is considered adequate and an increase would not be in the interest of efficiency.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उत्तर प्रदेश विधान सभा में शपथ ग्रहण

श्री को० सूर्यनारायण (एल्लूरू) : श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का विषय उत्तर प्रदेश विधान सभा में हुई घटना है । मेरा निवेदन यह है कि सम्भवतः उत्तर प्रदेश विधान सभा में जो भी हुआ, वह उसके अध्यक्ष के मार्गदर्शन में हुआ । इस बारे में गृह मंत्री किस प्रकार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । यदि यहां पर आज इसकी अनुमति दी जाती है, तो कल आपके इस सभा में कुछ निर्णयों के बारे में राज्य विधान सभा में चर्चा की जा सकती है । दूसरे आप इस बात पर अपना निर्णय दें कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में जो कुछ हुआ उसके बारे में गृह मंत्री का कहां तक उत्तरदायित्व है ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. Speaker, Sir, I object to the language of the calling attention. The Presiding Officer in the U. P. Assembly refused permission saying that no person can take oath in a language other than Hindi under the U. P. Assembly Rules. It will be a dangerous precedence to discuss or challenge the ruling of the Speaker of U. P. Assembly, which is a supreme body in its own sphere. Mr. Speaker, Sir, some of us may not be satisfied with your ruling. But it is always final. If your ruling is allowed to be discussed in Rajya Sabha or the rulings given in Rajya Sabha are discussed here, it will be a dangerous precedence. Some M. L. As. have already objected to it and the Chief Minister of U. P. has stated that U. P. Assembly is the final authority in the matter. Article 208 says :

"A House of the Legislature of a State may make rules for regulating, subject to the provisions of this Constitution, its procedure and its conduct of business."

Then, Article 212 reads as follows :

"The validity of any proceedings in the Legislature of a State shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure."

Similarly about the language Article 210 provides :

"Notwithstanding anything in Part XVIII, but subject to the provisions of Article 348, business in the Legislature of a State shall be transacted in the official language or languages of the State or in Hindi or in English."

So, my submission is that there may be a general discussion about the language in which oath should be taken but any discussion on the action of the Speaker of U. P. Assembly will not be proper.

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur): The Members who refused to take oath in Hindi have since taken oath in Hindi. Therefore, the matter is all over now. It is not worthwhile to raise it here now.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : मेरा निवेदन है कि इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं । क्योंकि यह केवल उत्तर प्रदेश विधान सभा और उसके कार्य का मामला नहीं है परन्तु इसका सारे देश पर सभी नागरिकों तथा उनके मूलभूत अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है । शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने से पहले सभा के सदस्य के रूप में कोई सदस्य अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करने की स्थिति में नहीं होता है । इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा और लिपि के प्रयोग का मूलभूत अधिकार है, जिसकी संविधान में गारण्टी है । हम यहां पर सामान्य रूप में करते हैं । यह उत्तर प्रदेश का नहीं मूलभूत अधिकारों से वंचित किये जाने का मामला है, जो केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में है । इसी प्रयोजन के लिये भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त है । यह अध्यक्ष पर भी कोई आक्षेप नहीं है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Mr. Speaker, I will like to submit that it is quite in accordance with Constitution and rules for you to admit this call attention notice. The Article referred to by Shri Kanwar Lal Gupta makes it clear that these rules have to remain within the constitution. The right to protect their language has been guaranteed to all citizens under Article 29 (1) of the Constitution. My Hon. friend Shri Atal Bihari Vajpayee himself moved for inclusion of Sindhi amongst the 15 language in the Eight Schedule. To put any restriction on any language is against the spirit of the Constitution. The latter part of Article 355 provides very clear terms that it is the duty of the centre " to ensure that the Government of every State is carried on in accordance with the provisions of this Constitution."

If any Presiding Officer or Rules of a State Legislature work or go against the Constitution, Lok Sabha would be perfectly within its rights to discuss such a matter.

Shri M. A. Khan (Kasganj): Mr. Speaker, firstly the Speaker had not been elected when oaths were taken there ; therefore, there is no question of Speaker's ruling. Secondly, we are entitled to speak in our mother tongue in any legislature. Lok Sabha has already given guidence in this respect, some members have taken oath in Urdu. Nobody can act against the Constitution and we can challange it here. Thirdly, the seven concerned members of the U. P. Legislature have been deprived for their right to take part in the election of the Speaker. If we can not raise our voice against it here in the Supreme Body of our country, where are we to go to seek justice?

श्री हेम बरुआ (मंगलेदायी) : हम उत्तर प्रदेश विधान सभा की निन्दा नहीं करना चाहते। उसे अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार है । परन्तु इस ध्यानाकर्षण सूचना की भाषा ठीक नहीं है । वह चाहे कुछ भी हो, हम देखते हैं कि एक भारतीय भाषा का अपमान किया गया है । उर्दू भी भारत की अन्य भाषाओं के समान एक भारतीय भाषा है और प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा में शपथ लेने का अधिकार है । यह भारतीय नागरिकों का अपमान है और सभा को इस पर चर्चा करने तथा अपना निर्णय देने का पूर्ण अधिकार है ।

श्री एम० मुहम्मद इस्माइल (मंजेरी) : श्रीमान् सामान्य रूप से विधान सभा को अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार है। परन्तु यदि कोई नियम संविधान के विरुद्ध होता है, तो उसका इलाज क्या है ? क्या हमें संसद् सदस्यों के रूप में इस विषय को यहां उठाने का अधिकार नहीं है ? कोई इस पर कैसे आपत्ति कर सकता है ? यह समूचे देश से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री रा० धो० भन्डारे (बम्बई-मध्य) : मेरे विचार में ध्यानाकर्षण सूचना नियमानुकूल है, जब पीठासीन अधिकारी द्वारा मूलभूत अधिकार से किसी सदस्य को वंचित किया जाता है, तो इस विशिष्ट स्थिति में वह कहां पर इसके विरुद्ध आवाज उठाये। इस प्रश्न पर पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में निर्णय किया जा सकता है। किसी भी विधान मण्डल की प्रक्रिया को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। चूंकि यह प्रश्न पीठासीन अधिकारी की कार्यवाही के कारण उत्पन्न हुआ है, इस पर यहां ही चर्चा की जा सकती है।

श्री एस० कण्डप्पन (मैटूर) : इस सूचना में मूल विषय लोगों का मूलभूत अधिकार है। केन्द्रीय सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 347 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही नहीं की है। यह संवैधानिक असफलता का मामला है इसलिए ध्यानाकर्षण सूचना उचित है।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : यह पीठासीन अधिकारी नियमित रूप में चुने गये अध्यक्ष नहीं थे बल्कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त सभापति थे। इस पर हमने यहां अथवा पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में विचार नहीं किया था। भविष्य में इस पर विचार किया जाना चाहिए।

इन सभापति महोदय की कार्यवाही की गंभीरता पर विचार कीजिये। एक-दो दिन में अध्यक्ष पद के लिये चुनाव होना था। ऐसे सात सदस्य थे। दोनों पक्षों में केवल 2 अथवा 3 का ही अन्तर होगा। यदि इस प्रकार की बात होनी दी जाती और उस पर कहीं पर भी आपत्ति नहीं की जाती, तो अध्यक्ष के चुनाव का क्या होगा ? इसलिए यह एक महत्वर्ण प्रश्न है, जिस पर अन्तिम रूप से निर्णय किया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न को उठाने वाले सदस्यों को उन सदस्यों द्वारा उर्दू अथवा अपनी मातृ-भाषा में शपथ लेने पर कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह अध्यक्ष की कार्यवाही पर हमारे द्वारा चर्चा किये जाने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या कोई अपनी मातृभाषा में शपथ ले सकता है अथवा प्रतिज्ञान कर सकता हैं। यहां पर हम सभी भाषाओं की अनुमति देते हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : ऐसा उत्तर प्रदेश विधान सभा में भी किया जा सकता था।

अध्यक्ष महोदय : यदि मद्रास, आन्ध्र, बंगाल अथवा किसी अन्य स्थान में कोई भाषायी अल्प संख्यक चुना जाता है, तो क्या इसे अपनी मातृभाषा में शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने से

रोका जायेगा ? हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में कोई भी शपथ नहीं ले सकता है, ऐसा करने से हिन्दी को अधिक क्षति पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश विधान सभा को अपनी प्रक्रिया निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार है। हमें संसद् में यह देखना है कि क्या वे जो कुछ कर रहे हैं देश की एकता के लिये, हिन्दी के लिये उचित है। हमें अध्यक्ष की कार्यवाही पर चर्चा नहीं करनी है। मैंने इसे स्वीकृति दी है और अब यह कार्य-सूची में है।

श्री प० गोपालन (तेल्लीचेरी) : श्रीमान्, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि इस बारे में वे एक वक्तव्य दें।

"उत्तर प्रदेश विधान सभा के कुछ सदस्यों को उर्दू भाषा में शपथ दिलाने/प्रतिज्ञान कराने से कथित इन्कार।"

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा के 7 सदस्यों ने शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने से इन्कार कर दिया था, शपथ दिलाने तथा प्रतिज्ञान कराने के लिये नियुक्त किये गये व्यक्तियों का मत यह था उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 (संशोधित रूप में) के अनुसार राज्य की राजभाषा अर्थात् हिन्दी में ही शपथ दिलाई अथवा प्रतिज्ञान कराया जा सकता है। मालूम हुआ है कि इन सदस्यों ने इस बीच शपथ ले ली है अथवा प्रतिज्ञान कर लिया है।

भारत सरकार को प्रसन्नता होगी यदि हिन्दी अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी भाषा में शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने की संसद् की परम्परा का राज्य भी पालन करें। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने का उत्तर प्रदेश सरकार का विचार है।

श्री प० गोपालन : (तेल्लीचेरी) महोदय, यह एक बहुत गम्भीर मामला है क्योंकि इससे कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी तथा संवैधानिक प्रश्न उठते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान सभा के सात सदस्यों को अपनी मातृ-भाषा में शपथ लेने के अधिकार से वंचित किया गया है। प्रश्न यह है क्या अल्पसंख्यक भाषा भाषी वर्गों को अपनी मातृभाषा में शपथ लेने का अधिकार है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 188 में जो उपबन्ध है उसमें किसी भाषा विशेष का उल्लेख नहीं है। भारत के नागरिक को किसी भी भारतीय भाषा में शपथ लेने का पूरा अधिकार है। अतः उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है उससे सिद्धांतों तथा संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है।

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि गत कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा को समाप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में यह लिखा है कि हमें ऐसी कई शिकायतें प्राप्त हुईं कि

यद्यपि 1961 में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकार किये गये कि त्रिभाषा सूत्र में "मातृभाषा" शब्दावली का उल्लेख किया गया था, तथापि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनाये गये त्रिभाषा सूत्र में इसको शामिल नहीं किया गया है जिसके फलस्वरूप उर्दू बोलने वाले बच्चों को उर्दू भाषा सीखने से वंचित कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 29 के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा बनाये रखने का अधिकार है परन्तु उत्तर प्रदेश सरकार उनके हितों का ध्यान नहीं रख रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 350-क के अन्तर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य विशेष को यह हिदायत दे सकता है कि वह अल्पसंख्यक भाषा-भाषी वर्ग के हितों की सुरक्षा करे, क्या सरकार ने इस मामले विशेष में उत्तर प्रदेश सरकार को हिदायत देने के लिये राष्ट्रपति को सलाह दी है।

गृह कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : इन बातों को देखना भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त का काम है जिसे संविधान के अन्तर्गत नियुक्त किया जाता है। वह अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करता है जो बाद में सभा के समक्ष विचारार्थ रखा जाता है। यह ठीक है कि ऐसे कई दृष्टांत हमारे ध्यान में लाये जाते हैं जिनमें देश के विभिन्न राज्यों में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो और हम इन उल्लंघनों को रोकने के लिये उपाय भी करते ही रहते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा के प्रश्न का सम्बन्ध है हम इस पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं और मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि हमारा उद्देश्य देश भर में सभी भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है।

श्री बदरुद्दुजा (मुर्शिदाबाद) : अध्यक्ष महोदय, संविधान की आठवीं अनुसूची में उर्दू भाषा को जो स्थान प्राप्त है उससे उसको वंचित करने के लिये निरंतर और क्रमिक रूप से प्रयत्न किये जाने के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश विधान सभा में यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। मैं नहीं चाहता कि अध्यक्ष अथवा शपथ दिलवाने वाले अधिकारी पर आक्षेप किया जाये परन्तु यह एक तथ्य है कि इस असंवैधानिक, अनावश्यक और अभद्र कार्यवाही के लिये केन्द्रीय सरकार जिम्मेवार है जो संविधान लागू होने के पश्चात् अब तक इस समस्या के सम्बन्ध में एक असहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाये हुये है। इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 29 (1) के अन्तर्गत भारत में रहने वाले नागरिकों के सभी वर्गों को, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति का परिरक्षण करने का अधिकार है। संविधान में उर्दू भाषा का वही दर्जा है जो अन्य भाषाओं का है और इसलिये उसके विकास के लिये वह सभी अवसर प्राप्त होने चाहिये जो अन्य भाषाओं को प्राप्त हैं। इन भाषाओं के विकास को विधान सभा तो क्या संसद् भी नहीं रोक सकती है। यह कहना गलत है कि उर्दू भाषा केवल मुसलमानों की भाषा है क्योंकि इसका विकास करने में हिन्दुओं और सिखों ने भी शानदार योगदान किया है। अतः यह किसी अल्पसंख्यक वर्ग की न होकर बहुसंख्यक लोगों की भाषा है।

यदि यह मान भी लिया जाये कि यह किसी अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा है, तब भी, जैसा कि मैंने पहले कहा, इसे संविधान में उल्लिखित सभी प्रकार के सुरक्षण तथा गारण्टियां प्राप्त हैं।

इस सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने जो आश्वासन दिये हैं मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ हूं। इनके लिये मैं उनका आभारी हूं। परन्तु खेद की बात यह है कि भाषाई तथा राजनैतिक अल्पसंख्यकों और बहुधा धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों को क्रियान्वित नहीं किया गया है और उनकी उपेक्षा की गई है। इस बारे में अभी तक कोई उचित रवैया नहीं अपनाया गया है। क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि समय-समय पर दिये जाने वाले आश्वासनों तथा संविधान में उल्लिखित मूलभूत अधिकारों को उचित ढंग से क्रियान्वित किया जायेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : देश में उर्दू भाषा के महत्व के बारे में माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किये हैं, हमारे विचार कोई उनसे भिन्न नहीं हैं। हमारा भी वही दृष्टिकोण है। हम न केवल अपने आश्वासनों को क्रियान्वित ही करते रहे हैं परन्तु हम राज्यों को उनके राज्य क्षेत्र में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों से न्याय करने के लिये भी कहते रहे हैं। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, यह सुविदित है कि हमने 1958 में एक विशेष बयान जारी किया था जिसमें इस बारे में नीति स्पष्ट कर दी गई थी। इसके पश्चात् गालिब जन्म शताब्दी और कई अन्य बातें भी की गई हैं। हम केन्द्रीय सरकार की इसी नीति को भविष्य में भी अपनाना चाहते हैं।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : इससे सभी सहमत हैं कि अपनी भाषा का प्रयोग करने के बारे में हम सबका मूलभूत अधिकार है। इस बात पर भी हम सभी सहमत हैं कि अपनी भाषा में शपथ लेने का बहुत महत्व है, चाहे वह प्रतीकात्मक है अथवा/अन्यथा। उत्तर प्रदेश में उर्दू में शपथ न लेने देने का कोई तकनीकी आधार नहीं था। वहां तो इसका राष्ट्रीय स्वयं संघ तथा अन्य लोग साम्प्रदायिकता के आधार पर विरोध करते रहे हैं। मेरे विचार में हम सभी सहमत हैं कि उर्दू भाषा भारत की अन्य भाषाओं की तरह हमारी अपनी ही भाषा है और यह कोई विदेशी भाषा नहीं है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार इस सम्बन्ध में भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा किये बिना संविधान के उपबन्धों के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों को इस प्रकार की सुविधा देने के बारे में राज्य सरकारों विशेषकर उत्तर प्रदेश सरकार को, जिसमें साम्प्रदायिकता पर आधारित आन्दोलन चलाया जा रहा है, हिदायत देगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों से किये गए अन्यायों के दृष्टांतों पर विचार करता है। वह अधिकांश मामलों में न्याय दिलाने में सफल हो जाता है। यदि किसी मामले में न्याय नहीं किया जाता है, तो वह मामला केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाया जाता है जो सम्बन्धित राज्य सरकार से इस बारे में पत्र-व्यवहार करती है। यह भी एक तथ्य है कि कुछ समय पूर्व प्रधान मंत्री ने उर्दू की स्थिति तथा उर्दू बोलने वालों से न्याय करने के बारे में मुख्य मंत्रियों को एक पत्र लिखा था। इसके अलावा गृह-कार्य मंत्री ने भी इस सम्बन्ध में कुछ त्रुटियों की ओर मुख्य मंत्रियों का ध्यान दिलाया था। हां, हमने कोई कड़ी हिदायत तो नहीं दी है परन्तु हम वह सब कार्यवाही करते रहे हैं जो आवश्यक थी और हमारी

कार्यवाही अधिकांशत: प्रभावपूर्ण सिद्ध हुई है । यदि इससे भी कड़ी कार्यवाही करने की आवश्यकता होगी तो हम भविष्य में वह भी करेंगे ।

Shri George Fernandes (Bombay South): Sir, though my mother tongue is not Hindi, yet I am one of those who are trying to see that Hindi becomes our national language. But when efforts are made particularly in the Hindi speaking areas to assign different positions to our languages, we are very much perturbed. It becomes very difficult to justify such incidents.

So far as Urdu languge is concerned, deliberate efforts are being made by many people to create an impression that Urdu language is the language of the Muslims and that it is a foreign language and as such it has no place here in India. But the truth is otherwise. Urdu language is one of our own languages and as such it is not good to create snch a wrong impression. Such things harm the cause of national unity.

Similarly the incident in the Uttar Pradesh Legislative Assembly has created a very wrong impression in the country. In order to see that such incidents are not repeated, may I know whether the Government of Uttar Pradesh will be asked to make suitable amendment in the Official Language Act of that State?

Shri Vidya Charan Shukla: I do agree with the honourable Member that it is very wrong on the part of those who try to create a wrong impression that Urdu language is connected with any particular religion. Most of the Indian languages are spoken and recognised by people of different religions.

From the information which we have received from the Government of Uttar Pradesh, it is clear that they are going to take such a step in this connection that no such difficulty arises in future.

श्री के० रमानी (कोयम्बतूर) : महोदय, ध्यान दिलाने वाली इस सूचना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश विधान सभा के अधिकार का उल्लंघन करना नहीं था । यह एक बुनियादी प्रश्न है । इस देश में यह एक सर्वमान्य बात है कि प्रत्येक नागरिक को इस बात का अधिकार है कि वह भारत के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा किसी अन्य अधिकारी को अपनी मातृ-भाषा अथवा किसी भी भाषा में पत्र, याचिकायें तथा अभ्यावेदन भेज सकता है । इस सभा में भी हमें अपनी मातृ-भाषा में शपथ-ग्रहण करने का पूरा अधिकार प्राप्त है । यह जो कठिनाई उत्पन्न हो गई है इसके लिये केन्द्रीय सरकार की भाषा सम्बन्धी नीति ही जिम्मेवार है । अत: मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार क्या करने जा रही है जिससे उर्दू बोलने वाले लोगों के अधिकार की सुरक्षा न केवल उत्तर प्रदेश में परन्तु सभी राज्यों में हो सके ? क्या इस सम्बन्ध में संविधान में कोई संशोधन किया जायेगा अथवा राज्यपालों के माध्यम से सभी राज्य सरकारों को कोई हिदायत दी जायेगी ? जब केन्द्रीय सरकार राज्यपाल के माध्यम से निर्वाचित मुख्य मंत्रियों को बर्खास्त कर सकती है और विधान मण्डलों का विघटन कर सकती है तब वह इस मामले में राज्यपाल के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को यह हिदायत क्यों नहीं देती कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा के ऐसे नियमों तथा विनियमों को बदले और वहां पर इस प्रकार कार्यवाही की जाये कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा हो ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, इस सम्बन्ध में हम जो कार्यवाही करना चाहते हैं अथवा जो हमने की है उस पर मैं पहले ही प्रकाश डाल चुका हूं । ऐसी कोई नई बात नहीं उठाई गई है जिसका उत्तर न दिया गया हो । इस सभा में किस भाषा का प्रयोग किया जायेगा इसके बारे में अध्यक्ष महोदय स्वविवेक से विभिन्न भाषाओं में बोलने की अनुमति देते रहे हैं और हमने इस बात का कभी आग्रह नहीं किया है कि केवल किसी भाषा विशेष में ही भाषण दिये जाया करें । मेरे विचार में इस बात पर किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

अत्यावश्यक वस्तुयें अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : महोदय, मैं श्री अन्नासाहिब शिन्दे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) बेलन मिले गेहूं उत्पाद (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1969 जो दिनांक 3 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 760 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) बिहार बेलन मिलें गेहूं उत्पाद (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1969 जो दिनांक 3 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 761 में प्रकाशित हुआ था । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०** 414/69]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अधीन हरियाणा एग्रो-इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, चण्डीगढ़ के 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । [**पुस्तकालय में रखी गईं । देखिये संख्या एल०टी०** 415/69]

भारतीय तारयंत्र अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री शेर सिंह) : महोदय, मैं भारतीय तारयंत्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन निम्नलिखित

अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं:—

(एक) भारतीय तारयंत्र (चौथा संशोधन) नियम, 1969 जो दिनांक 15 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 280 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 282 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुये थे।

(दो) भारतीय तारयंत्र (तीसरा संशोधन) नियम, 1969 जो दिनांक 15 फरवरी, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 281 (अंग्रेजी संस्करण) और जी० एस० आर० 283 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुये थे। **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०** 416/69]

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

छप्पनवां प्रतिवेदन

श्री मी० रू० मसानी : मैं आयातित खालों के मूल्य से अधिक मूल्य के बीजक बनाने के बारे में राजस्व प्राप्तियों सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल), 1968 के पैरा 16 (दो) के बारे में लोक लेखा समिति का 56वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.10 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Ten minutes past Fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा 2.15 बजे म० प० पर पुनः समवेत् हुई।

The Lok-Sabha reassembled after Lunch at fifteen Minutes past Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

रतीबती कोयला खान से श्रमिकों को बचाये जाने के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. RESCUE OF WORKERS IN RATIBATI COLLIERY

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि आसनसोल क्षेत्र की एक कोयला खान में एक

दुर्घटना में फंसे हुए कुछ श्रमिकों को बचाने के लिए सराहनीय और सफल प्रयत्न किये गये। 14 तारीख की रात को इस खान की छत गिर गई और परिणामस्वरूप चार लोडर 70 फीट की नीचे की गहराई में फंस गये। खान के अधिकारियों ने खान सुरक्षा महानिदेशक के बचाव कर्मचारियों की सहायता से तुरन्त सूराख निकालने का काम आरम्भ कर दिया ताकि फंसे हुए लोगों से सम्पर्क स्थापित किया जा सके। 16 तारीख की सुबह तक काफी बड़ा सूराख बना दिया गया। पता लगा है कि फंसे हुए लोडर स्थिति का साहसपूर्वक सामना कर रहे थे। उस सूराख द्वारा उन्हें औक्सीजन और पीने वाले पौष्टिक पदार्थ पहुंचाये गये। एक सुरंग को खोदने का काम लगातार चलता रहा और इस दौरान में लोडरों के साथ सम्पर्क जारी रहा। 45 फीट लम्बी सुरंग खोदी गई और मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि फंसे हुए लोडरों को आज सुबह ही निकाल लिया गया। वे सब राजी खुशी हैं। मुझे विश्वास है कि सदन के सदस्य इस अवसर पर मेरे साथ हैं और वे सब उन सबको बधाई देना चाहेंगे जिन्होंने इस कार्य में सहायता की है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): Sir, I want to raise an important matter. As you know, Sir, the Chief Minister of Madhya Pradesh advised the Governor yesterday to dissolve the Assembly and order for a mid-term poll. But the Governor turned down his advice. This is misuse of the institution of Governor, because it is binding on a Governor, to accept the advice given by a Chief Minister. This very position was taken by Shri D. P. Mishra when he was going to relinquish the office of Chief-Minister and the Home Minister Chavan had then supported this view saying that there was no question of minority Chief-Minister or majority Chief-Minister. But now the advice of the Chief-Minister has been turned down on the plea that the present Chief Minister belongs to a minority party. I, therefore, want to know from the Home Minister through you why this game of double standard is being played by them?

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री अ० सिं० सहगल (बिलासपुर) : यह व्यवस्था का प्रश्न किस विषय पर है ?

Shri Randhir Singh (Rohtak): First of all I should get an opportunity because it is I who rose first.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अभी किसी भी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं दोनों तरफ देख रहा हूं.....

Shri Randhir Singh: My objection is as to why should he be called first.

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय तीन सदस्य कांग्रेस की ओर से और कुछ सदस्य दल की ओर से खड़े हो रहे हैं। पहले मुझे श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा उठाये गये प्रश्न का उत्तर दे लेने दीजिये।

श्री मु० अ० खां (कासगंज) : आप एक सदस्य को उस ओर से और एक सदस्य हमारी ओर से बुलायें। (**अन्तर्बाधाएं**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाये । **अन्तर्बाधाएं** (**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब किसी सदस्य की बात नहीं सुनूंगा । इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा ।

श्री कंवर लाल गुप्त ने यह किसी समाचार के आधार पर कहा है । प्रश्न यह है कि क्या इस स्थिति में सभा का ध्यान इस ओर दिलाया जा सकता है.....

एक माननीय सदस्य : स्थगन प्रस्ताव ।

उपाध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव का तो प्रश्न ही नहीं है । राज्यपाल ने श्री डी० पी० मिश्र की सलाह को भी नहीं माना था । मुख्य मंत्री ने इसलिये त्यागपत्र दिया है क्योंकि उसे इसका विश्वास ही नहीं था कि बहुसंख्या उसके साथ है । (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री कंवर लाल गुप्त : मुझे इस पर आपत्ति है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे अपनी बात पूरी तो कर लेने दीजिये ।

Shri Madhu Limaye: The point of order is not in regard to this.

उपाध्यक्ष महोदय : वास्तविकता को देखे बिना हर बार आरोप लगाना अच्छी बात नहीं । इस बार मैंने समाचार को पढ़ा है । पहले की तरह इस बार भी उन्होंने स्वयं त्यागपत्र दिया है क्योंकि उनका बहुमत नहीं है । ऐसी स्थिति में वहां पर कोई सरकार नहीं है । अतः सरकार के बिना विधान सभा कैसे काम कर सकती है । इसलिये जो आपत्ति उन्होंने उठाई है वह ठीक नहीं है ।

श्री अ० सिं० सहगल (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय पहले ही विनिर्णय दे चुके हैं । अब मध्य प्रदेश के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठा सकता ।

Shri Randhir Singh (Rohtak): I will not say anything about Madhya Pradesh. I will say something about the farmers who number about forty crores. On the one hand the farmers are being paid the minimum price and on the other hand the Agricultural Price Commission says that the price of wheat should be lowered by 10 per cent and procurement should be raised by 20 per cent. In this connection I would like to submit that we are not prepared to accept the recommendations of a commission in which all the members are non-growers. Therefore I would request that this commission should be disbanded and instead a new commission should be set up in which there should be atleast 80 per cent farmers. Similarly farmers should be given a good representation in the Planning Commission also.

Shri Madhu Limaye (Monghyr): The point raised by the Hon. Member regarding Agricultural Prices Commission was correct. We had also given notice in that regard but I don't like to say anything at this moment in that regard. But I have also a point of order on what Shri Kanwar Lal Gupta has said.

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

उपाध्यक्ष महोदय : उस पर मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है। जहां तक मध्य प्रदेश तथा श्री डी० पी० मिश्र का सम्बन्ध है उनके बारे में प्रश्न अब खत्म हो गया है।

Shri Madhu Limaye: Let me raise my point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : विनिर्णय देने के बाद मध्य प्रदेश के बारे में बोलने की मैं अनुमति नहीं दे सकता।

Shri Madhu Limaye: Then why permission was accorded to me.

Shri George Fernandes (Bombay-South) : Sir, I beg to move that the business of the House be adjourned. We have been reading in the newspapers that some incidents are taking place in Anguilla. Even today some thing serious has happened there. I understand that some statement should come from Government side. The Britishers tried to take over Anguilla yesterday. We have been crying for years that we should cease to be the Member of the Commonwealth but our Government is not taking any action in that regard. This act of the Britishers should be condemned in this House. The Hon. Prime Minister or Hon. Minister of External Affairs should at once make a statement in this regard and we should take a decision to quit the Commonwealth.

संसद्-कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में आपका मार्ग दर्शन चाहता हूं। कुछ दिनों से सभा की कार्यवाही को बड़े गौर से देख रहा हूं। जब आप दो बजे यहां आते हैं तो कोई न कोई सदस्य खड़ा होकर बिना पूर्व सूचना दिये बोलना आरम्भ कर देता है। इसलिये मैं यह आप से पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अनुरूप है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आप इस प्रकार से समय खराब करने की अनुमति दे देंगे।

Shri George Fernandes : Is it a wastage of time to raise voice against imperialism or to speak about Anguilla.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani): It is very improper. The Hon. Minister should be asked to withdraw his words.

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक महत्वपूर्ण मामले को उठाया है। जब हम दो बजे इकट्ठे होते हैं तो कभी-कभी सूचना दे दी जाती है परन्तु नियमित रूप से नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्री रघुरामैया का मैं पूर्ण रूप से आदर करता हूं। परन्तु चूंकि वह नये मंत्री हैं इसलिये शायद उन्हें नियमों का पूरी तरह पता नहीं है उन्हें नियम 340 देखना चाहिये।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : संसद् कार्य मंत्री के शब्दों पर मुझे भी आपत्ति है। देश अथवा विदेश में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर जब इस सदन का ध्यान दिलाया जाता है तो उसे इस पर विचार करना चाहिये। अब आपने ये प्रश्न उठाने की अनुमति दी थी परन्तु माननीय मंत्री यह आरोप लगा रहे हैं कि सभा का समय खराब किया जा रहा है। यह आरोप निराधार है तथा माननीय मंत्री को अपने शब्द वापिस लेने चाहिये।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मेरा निवेदन यह है कि श्री जार्ज फरनेंडीज ने यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। यह प्रश्न विश्व के किस भाग के लोगों की स्वतंत्रता के बारे में है। अंग्रेज उस द्वीप को अपनी शक्ति से छीन रहे हैं। इसलिये इस सभा को इस कार्य की निन्दा करनी चाहिये। ऐसा करने की बजाय मंत्री महोदय कह रहे हैं कि सभा के समय को नष्ट किया जा रहा है।

Shri Madhu Limaye : It does not behove a Minister to utter such words. These words should be expunged from the proceedings of the House.

Shri Shiv Chandra Jha : The Hon. Minister has set a bad precedent by saying these words. When the Hon. Minister can utter such words then the Hon. Members can also follow suit. Since you are supreme in this House, so I would request you to ask the Hon. Minister to withdraw his words.

श्री शिव नारायण (बस्ती) : नये संसद् कार्य मंत्री ने आपसे कहा था कि उन्हें आपका मार्गदर्शन चाहिये। जहां तक मार्गदर्शन का प्रश्न है इसमें कोई गलत बात नहीं है आपसे मार्गदर्शन लेने का हमारा अधिकार है। परन्तु ये लोग मंत्री महोदय को प्रमाण-पत्र दे रहे हैं। वे सभा के समय को नष्ट कर रहे हैं।

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : मैं समझता हूं कि इस टिप्पणी से कि जैसे ही आप सभा में विराजमान होते हैं तो कोई भी सदस्य खड़ा होकर किसी भी विषय पर बोलने लग जाता है, अध्यक्ष पीठ पर आक्षेप आता है। इसलिये उन्हें इन शब्दों को वापिस लेना चाहिये।

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : Sir, it is your duty to maintain the dignity of this House. Therefore I would request you to kindly tell these friends of mine to raise the points in this House very politely.

Shri S. M. Joshi (Poona) : I have also listened to the Hon. Minister quite attentively. I feel that he did not mean what he said. His intention was not bad but the words gave a different meaning. I feel he should withdraw his words.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, after the lunch hour three important questions were raised in this House for which you gave your permission but the dignity of the House should in no way be allowed to be spoiled. In this connection I would like to suggest that every day an hour or half an hour should be set aside to raise very urgent and important questions so that the dignity of the House is not spoiled in this way.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस सारी बात की पृष्ठ-भूमि बताना चाहता हूं। जब कभी कोई महत्वपूर्ण घटना बाहर घट जाती है तो माननीय सदस्य उसे यहां उठाने का प्रयत्न करते हैं। कभी-कभी वे नोटिस देते हैं परन्तु वह अवश्य ही नियमित रूप से नहीं दिया जाता। मैं इस पर आपत्ति नहीं करता क्योंकि ऐसे मामले महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिये यदि हम इस बारे में कठोर नियम बना ले तो इसका मतलब यह होगा कि हमें सदस्यों के अधिकार को दमन करना होगा।

इसके साथ ही साथ मैं यह समझता हूं कि इस बारे में एक लम्बा वाद-विवाद नहीं किया जाना चाहिये। ऐसे प्रश्न तो सरकार अथवा सम्बधित मंत्री का ध्यान आकर्षित

करने के लिए ही उठाए जाते हैं जिनको मंत्री महोदय विचार करने के लिए ध्यान में रख सकते हैं ।

जहां तक श्री जार्ज फरनेंडीज द्वारा उठाये गये मामले का सम्बन्ध है हर एक माननीय सदस्य अंग्रेजों की कार्यवाही से चिन्तित है । यही कारण है कि मैंने इसकी अनुमति दी थी । माननीय सदस्य इस सभा के बहुत पुराने सदस्य हैं इसलिये मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि उनकी मंशा अध्यक्ष पीठ का अनादर करने की बिल्कुल नहीं थी ।

श्री रघुरामैया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मंशा इस सभा के किसी अधिकार को छीनने की नहीं थी । आपको पता ही है कि कार्यमंत्रणा समिति में सभी दलों के नेता होते हैं । उसमें वे यह निश्चित करते हैं कि कार्य कितने समय में समाप्त किया जाना चाहिए । इसलिये यहां पर सारा कार्य निर्धारित समय में खत्म करना होता है । अतः मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप महत्वपूर्ण प्रश्न उठाने की अनुमति देने से पहले इस बात को ध्यान में रखा करें ।

श्री फ० गो० सेन० (पूर्णिया) : आपके विनिर्णय से यह पता लगता है कि आप बिना पूर्व सूचना के ही किसी भी महत्वपूर्ण मामले को उठाने की अनुमति दे देंगे । इससे हम बिल्कुल अंधकार में रह जायेंगे । यदि ऐसे विषयों पर सभा का समय ले लिया जायेगा तो उन्हें अन्य विषयों पर चर्चा करने का समय नहीं मिलेगा । इस बारे में पहले ही बहुत से सदस्य शिकायतें भेज चुके हैं परन्तु आप यहां पर बिना पूर्व सूचना के प्रश्न उठाने की अनुमति दे देते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में मैं अपने विवेक से काम लेता हूं । जब महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया जाता है तो मैं उसकी अनुमति दे देता हूं अन्यथा नहीं ।

सीमा-शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1969 के बारे में सांविधिक संकल्प और सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक

STATUTORY RESOLUTION RE. CUSTOMS (AMENDMENT) ORDINANCE, 1969 AND CUSTOMS (AMENDMENT) BILL, 1969

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा सीमा-शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1969 (1969 का अध्यादेश संख्या 1) का, जो राष्ट्रपति द्वारा तीन जनवरी, 1969 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है ।"

सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस अध्यादेश को जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी तथा दूसरे इससे संविधान के उपबन्धों का उल्लघंन होता है ।

आपको याद होगा कि सीमा-शुल्क अधिनियम में संशोधन करने वाला विधेयक 3

दिसम्बर, 1968 को इस सभा में पुर:स्थापित किया गया था तथा यह सभा अनिश्चित काल के लिए 20 दिसम्बर, 1968 को स्थापित हुई थी तथा यह अध्यादेश 3 जनवरी, 1969 को जारी किया गया था। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि यदि इस विधेयक को पास करने की इतनी तुरन्त आवश्यकता थी तो इसे 3 से 20 दिसम्बर, 1968 के बीच पास क्यों नहीं करवाया गया। इससे स्पष्ट है कि इसकी इतनी तुरन्त आवश्यकता नहीं थी।

इसके आगे मेरा निवेदन यह है कि संसद् के विधान बनाने के अधिकार को अध्यादेश जारी करके इस प्रकार छीना नहीं जा सकता। इस बात के समर्थन में मैं आपका ध्यान 'बसु कमैंटरी आनदी कांस्टीट्यूशन' के खण्ड तीन के पृष्ठ 56 और 58 की ओर दिलाना चाहता हूं। श्री बसु भारत के संविधान के सबसे उत्तम टीकाकार हैं तथा वह कहते हैं कि अनुच्छेद 123 के अन्तर्गत इस शक्ति को केवल आपातकालीन की परिस्थितियों में ग्रहण किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान सीरवाई की पुस्तक "कांस्टीट्यूशनल लॉ आफ इंडिया" के पृष्ठ 19 की ओर भी दिलाना चाहता हूं। वहां पर वह कहते हैं कि या तो देश के न्यायालयों द्वारा कानून को अमान्य घोषित किये जाने के बाद अथवा आपातकालीन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी किया जा सकता है। संविधान के बनाने वाले लोगों के मन में जो इस बारे में विचारधारा थी उसकी ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्री हृदयनाथ कुंजरू कहते हैं कि अध्यादेश को पास करने की शक्ति का मतलब कार्यवाही को कुछ समय के लिये कानून बनाने की शक्ति प्रदान करना है। इसलिये यदि अध्यादेश जारी करने की नितान्त आवश्यकता पड़ जाये तो उस मामले पर विचार करने के लिए संसद् को यथासम्भव शीघ्र बुलाने पर विचार किया जाना चाहिए।

[श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

श्री के० टी० शाह तथा संविधान के निर्माता श्री अम्बेदकार ने भी ऐसे ही विचार व्यक्त किये हैं। जहां तक विधान की रचना का सम्बन्ध है वह तो बिल्कुल स्पष्ट है। मान लो देश में कोई गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो केवल राष्ट्रपति ही अध्यादेश जारी कर सकता है। परन्तु इस मामले में बात नहीं हुई है। इस मामले का सभा को तीन सप्ताह तक पता था परन्तु फिर भी इस विधेयक को पास करना आवश्यक नहीं समझा गया। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि अध्यादेश जारी करना किन परिस्थितयों के कारण आवश्यक समझा गया है।

इस सम्बन्ध में मैं पूर्व अध्यक्षों द्वारा दिये गये विनिर्णय की ओर भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। श्री कौल और श्री शकधर की पुस्तक के पृष्ठ 899 में कहा गया है कि 1947 में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में श्री मावलंकर ने कहा था कि समय के अभाव के कारण कार्यपालिका के लिए अध्यादेश जारी करने की प्रथा एक गलत प्रथा है। इस शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब आयात की स्थिति हो और विधान मंडल को न बुलाया जा सके। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है जैसे मैं पहले ही कह

चुका हूं सभा को इसका तीन सप्ताह तक पता था परन्तु वक्तव्य में अध्यादेश जारी करने को उचित ठहराने के लिये यह तथ्य दिया गया है कि समय की कमी के कारण इसे गत सत्र में पास नहीं किया जा सका। परन्तु हमारे स्वर्गीय अध्यक्ष श्री मावलंकर ने साफ शब्दों में कहा है कि केवल समय के अभाव के कारण अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। श्री मावलंकर ने 17 जुलाई, 1954 के अपने पत्र में प्रधान मंत्री को कहा था कि अध्यादेश जारी करना अलोकतंत्रीय है तथा अत्यन्त आवश्यकता के मामलों अथवा आपात की स्थितियों के सिवाय उचित नहीं ठहराया जाएगा। परम्परायें स्थापित करना प्रथम लोक सभा का उत्तरदायित्व है। इसलिये कम से कम अध्यादेश जारी किये जाने की परम्परा स्थापित की जानी चाहिये अन्यथा भविष्य में भारी संख्या में अध्यादेश जारी किए जायेंगे तथा लोक सभा के ऊपर मुहर लगाने का काम भी रह जाएगा। श्री मावलंकर की यह आशंका सही सिद्ध हो रही है कि इस छोटी-सी अवधि में चार अध्यादेश जारी किए गए हैं जिनसे संसद् की शक्तियों पर प्रहार हो रहा है।

अब मेरा निवेदन यह है कि सीमा-शुल्क संसोधन विधेयक में दो गैर-कानूनी तथा असंवैधानिक उपबन्ध हैं—खण्ड 11 एम० तथा 11 एन०/खण्ड 11 एम० में कहा गया है कि किसी वस्तु के विक्रेता को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्राहक नकली नाम पर वस्तु नहीं खरीदता है तथा यदि वह यह सुनिश्चित करना भूल जाता है तो यह अनुमान लगा लिया जाएगा कि इन वस्तुओं का गैर-कानूनी तौर से निर्यात किया गया है तथा इसमें उसका हाथ है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि विक्रेता को यह कैसे पता चल सकता है कि ग्राहक नकली नाम से वस्तु खरीद रहा था या नहीं। वह उसका नाम और पता लिख सकता है परन्तु वह यह कैसे प्रमाणित कर सकता है कि ग्राहक नकली नाम से तो वस्तुयें नहीं खरीद रहा है। मैं समझता हूं कि इससे दंड सम्बन्धी विधियों के सिद्धान्त का उल्लघंन होता है।

जहां तक धारा 11 एन० का सम्बन्ध है इसके अन्तर्गत सरकार को किसी अथवा किन्हीं वस्तुओं की छूट देने की शक्ति प्राप्त है। इसके अन्तर्गत सीमा शुल्क अधिकारी अपने मित्रों तथा सम्बन्धियों की सहायता कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ वे सम्बन्धित मंत्रियों तथा सत्तारूढ़ दल की भी सहायता कर सकेंगे। यह उचित नहीं है तथा इस विधेयक के न्यायालयों द्वारा असंवैधानिक घोषित किये जाने की सम्भावना है।

मैं इस सभा का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि सीमा-शुल्क विभाग की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिये एक अध्ययन दल नहीं नियुक्त किया गया था। उसने बहुत उपयोगी सुझाव दिये थे। उन्होंने कहा था कि सीमा-शुक्ल समाहर्त्ताओं या उत्पादन शुल्क बोर्ड में निहित शक्तियों को एक न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाना चाहिए क्योंकि दोषी स्वयं निर्णायक नहीं हो सकता। इसलिये मैं चाहता हूं कि एक न्यायाधिकरण स्थापित किया जाना चाहिये। उस दल ने यह भी सिफारिश की है कि आयातकर्ताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिये कुछ उपबन्ध बनाये जाने चाहिये।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक को लाने का उद्देश्य तस्करी को रोकना है। मैं यह भी जानता हूं कि यह एक गम्भीर समस्या है। तस्करी के कारण हर वर्ष देश को 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि उठानी पड़ रही है। ऐसे भी आरोप लगाये गये हैं कि चीन से नेपाल के जरिये निषिद्ध वस्तुयें चोरी छिपे लाई जा रही हैं। इसलिये यह तो आवश्यक है कि तस्करी को रोका जाये परन्तु मुझे सन्देह है कि यह विधेयक तस्करी रोकने के लिये व्यापक होगा।

मैं मंत्री महोदय से एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। मैं दो, तीन नामों का उल्लेख करता हूं जिनका सीमा शुल्क विभाग को पता लगा है। उनमें से एक तो है श्री टी० एच० गाओकार, दूसरे हैं श्री यूसुफ दोस्त मुहम्मद मेंघजी तथा तीसरे है श्री हीरू एस० एडवानी। जब उन्हें इन का पता लगा है तो यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि वे कैसे भाग निकले। इससे पता चलता है कि हमारे उस विभाग के अधिकारियों में भ्रष्टाचार पनप रहा है।

अन्त में मैं तस्करी को रोकने के बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगा। सबसे पहले तो देश के अधिकांश भाग की छानबीन की जानी चाहिए तथा चलते-फिरते दलों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये। इसके अलावा विमानों तथा कारों की अकस्मात तलाशी ली जानी चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण तस्कर दल की गोपनीय शाखाओं की सही-सही जानकारी होनी चाहिये तथा अन्य देशों के तस्कर विरोधी संगठनों के साथ निरन्तर रूप से सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिये। सीमाशुल्क तथा उत्पादन शुल्क अधिकारियों को अच्छे उपकरण सप्लाई किये जाने चाहिये ताकि वे अपने कार्य को अच्छी तरह से कर सकें। तस्कर व्यापारियों का पता लगाने में नौसेना, वायुसेना तथा पुलिस की सेवा भी उन्हें प्रदान की जानी चाहिए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभा को पहले ही पता है कि यह विधेयक पहले 3 दिसम्बर, 1968 को पेश किया गया था। प्रस्तावित नई धारा 11 ग में यह उपबन्ध है कि सम्बन्धित व्यक्तियों को गोदाम आदि के स्थान का 7 दिन के अन्दर पता देना होता है। यह सात दिन की अवधि इसलिये निर्धारित की गई है ताकि तस्कर व्यापारी अपनी वस्तुओं को इधर-उधर न कर सकें। यदि अधिक समय दे दिया जाता तो इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता। इस विधेयक से लोगों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन भी नहीं होता है। इस विधेयक का उद्देश्य केवल तस्करी को रोकना ही है। इस समय मैं केवल यह ही बताना चाहता हूं कि अध्यादेश जारी करना क्यों आवश्यक समझा गया। शेष प्रश्नों के उत्तर मैं बाद में दूंगा।

इस बात को देखते हुए कि चीनी चोरी छिपे इस देश से बाहर जा रही है तथा सोना

चोरी छिपे इस देश में लाया जा रहा है सरकार ने इस अध्यादेश को जारी करना आवश्यक समझा। अब चूंकि इस सम्बन्ध में पिछले सत्र में विधेयक पास न हो सका यही कारण है कि अध्यादेश जारी करना पड़ा। यह अध्यादेश संविधान में बनाई गई परिस्थितियों के अनुसार ही जारी किया गया है।

कार्यपालिका की मंशा अधिकार छीनने की नहीं है परन्तु इन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करना आवश्यक ही समझा गया। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस संकल्प को स्वीकार न किया जाये तथा मेरे प्रस्ताव को सभा के विचारार्थ रखा जाये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : यह विधेयक इस सभा की क्षमता के बाहर हैं।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : यह आपत्ति वह इस समय नहीं उठा सकते। इसे विधेयक को पुरःस्थापित करने के समय किया जा सकता था।

सभापति महोदय : यह आपत्ति विधेयक को पुरःस्थापित करते समय की जा सकती थी।

श्री श्रीनिवास मिश्र : आप नियम 72 देखें।

सभापति महोदय : वह नियम बिल्कुल स्पष्ट है।

Shri Madhu Limaye : This motion relates to rule 74 and 75. According to these rules you can oppose the substantive motion. At the time of introduction there is no scope of opposing a Bill. During discussion it can be opposed on constitutional, political or economical grounds.

सभापति महोदय : विधेयक को पुरःस्थापित करते समय इसकी मान्यता को चुनौती दी जा सकती है। वह अवस्था अब निकल चुकी है। अब हम नियम 74 के अन्तर्गत आ गये हैं।

नियम 74 और 75 को देखते हुए मेरा यह विनिर्णय है कि आपका औचित्य प्रश्न वैध नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा औचित्य प्रश्न नियम 376 (2) के अन्तर्गत है। सभा के समक्ष सीमा शुल्क संशोधन विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव है तथा एक दूसरा प्रस्ताव भी अस्वीकृति के लिये है। आपने दोनों प्रस्तावों पर विचार के लिये अनुमति दी है। लेकिन परम्परा यह है कि इन पर अलग-अलग विचार होना चाहिए।

सभापति महोदय : आपको जो कुछ कहना था आप कह चुके हैं। औचित्य का प्रश्न कोई नहीं है।

Shri George Fernandes : When the matter is being placed before the House, should we not be allowed to speak over it.

सभापति महोदय : हमें कुछ नियमों का पालन तो करना ही पड़ेगा। सभा में प्रत्येक बात पर चर्चा नहीं की जा सकती। तीन संशोधन हैं। क्या माननीय सदस्य उन्हें पेश करना चाहेंगे ?

श्री शिवचन्द्र झा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को जनमत जानने के लिये 1 अप्रैल, 1969 तक परिचालित किया जाय।"

श्री रामावतार शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को जनमत जानने के लिये 15 अप्रैल, 1969 तक परिचालित किया जाय।"

सभापति महोदय : विचार के लिये प्रस्ताव और प्रस्ताव में संशोधन सभा के समक्ष हैं।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : इस विधेयक के द्वारा कारणों पर बिना विचार किये दोषों को दूर करने का प्रयास किया गया है। जब तक सरकार इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं करेगी कि तस्कर व्यापार के क्या कारण हैं तब तक तस्कर व्यापार को रोकने के लिये लाये गये इस विधेयक का कोई लाभ नहीं निकलेगा। बल्कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। विधेयक पर मेरी यह पहली आपत्ति है।

इस विधेयक में तिवारी दल के प्रस्तावों की पूर्णतया उपेक्षा की गई है। इस दल ने बताया था कि 100 करोड़ रुपये का तस्कर व्यापार होता है और हम इसके लिये स्टाक पर 1 प्रतिशत से भी कम खर्च कर रहे हैं जब कि ब्रिटेन में लगभग 5 प्रतिशत खर्च होता है। इस मामले में उचित प्रक्रिया यह होनी चाहिये थी कि स्टाफ को बढ़ाया जाता और हेलीकाप्टर तथा स्टीम बोट प्राप्त की जातीं। आपका तरीका असंवैधानिक है। आप किसी व्यक्ति का यह अधिकार छीनना चाहते हैं कि वह बिना घोषित किये अपने प्रयोग की चीजें अपने पास नहीं रख सकता।

आपने स्वयं ही लोगों को इस बात के लिये प्रोत्साहन दिया है कि वे अधिकांश रेजरों आदि के लिये विदेशी नामों का प्रयोग करें। जनता देशी और विदेशी माल की पहचान कैसे कर सकती है। इस प्रकार से एक ओर तो आप अपने विधान को निष्प्रभावी करते हैं और दूसरी ओर स्टाफ को भ्रष्टाचार के लिये अनेक अवसर प्रदान करते हैं। अतः इस विधेयक के अन्तर्गत बहुत कुछ प्राप्त करने की कोशिश की गई है परन्तु यह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेगा।

इस विधेयक में तीसरा दोष यह है कि यह कुछ श्रेणियों के व्यापारियों पर अनुसूचित भार डालता है। यदि आप सौदों को 2500 रुपये प्रतिदिन की सीमा निश्चित करते हैं, तो क्या चांदी का व्यापार हो सकेगा। इससे तो देश में चांदी का व्यापार ही समाप्त हो जायेगा। एक अनुमान के अनुसार हमारे पास इस समय 8,000 करोड़ रुपये के मूल्य की चांदी है। यदि हम इसका निर्यात करें, तो हमें काफी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है और इससे तस्कर व्यापार भी कम हो जायेगा।

अन्य वस्तुओं के बारे में वह तरीका अपनाना चाहिये था जिससे कर कम होते। मुद्रा स्फीति घटती, नियंत्रण कम होते। ये बातें ही ऊंचे मूल्य का कारण हैं। यदि आप मूल्यों को बढ़ायेंगे और आयात को अधिक आकर्षक बनायेंगे, तो आप तस्कर व्यापार को रोकने की आशा कैसे कर

सकते हैं। यदि वित्त मंत्रालय इस पर इस दृष्टिकोण से विचार करेगा तो यह बहुत कुछ प्राप्त कर सकेगा।

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। हमारे देश में लगभग 200 करोड़ रुपये का तस्कर व्यापार होता है। जो हमारे कुल विदेश व्यापार का लगभग 10 प्रतिशत है। इसको देखते हुए यह एक गंभीर बात हो जाती है और इसकी ओर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिये।

यह अध्यादेश तो बहुत पहले आ जाना चाहिये था। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 4,000 रुपये के मूल्य की चांदी का व्यापार करता है, तो उस पर संदेह किया जा सकता है और जो भी कानून ऐसे व्यक्ति को दंड देने की व्यवस्था करता है, वह ठीक है।

श्री धीरेश्वर कलिता (गौहाटी) : क्या आप अध्यादेश के द्वारा तस्कर व्यापार रोक सकते हैं? क्या आप गतकाल में हुई ऐसी घटना बता सकते हैं जिसमें ऐसा करना सम्भव हो सका हो?

श्री वेदव्रत बरुआ : जी, हां। गत वर्ष फरवरी और अक्तूबर के बीच 17.2 करोड़ रुपये के मूल्य का तस्करी का माल पकड़ा गया था। प्रशासनिक व्यवस्था इस मामले में काफी सफल सिद्ध हुई है।

मेरे राज्य में काफी चीनी माल बिकता है। यह कहां से आता है। मेरे विचार से यह माल केवल नेपाल के द्वारा आ सकता है और हमारा खाद्यान्न चीन को गया होगा। इस प्रकार से यह भारत-नेपाल, नेपाल-चीन, चीन-नेपाल और नेपाल-भारत व्यापार हो जाता है वे बिहार से आसाम जाते हैं और चीनी माल वहां सस्ते भाव पर बिकता है। इन बातों को रोकने के लिये अध्यादेश की आवश्यकता है।

यह नियम बिल्कुल भी लागू नहीं होता है क्योंकि इसके अन्तर्गत खाद्यान्नों को अधिसूचित वस्तु नहीं बनाया जा सकता। अन्ततोगत्वा सारी बात का निचोड़ यह है कि उस कारण का पता लगाया जाय जिससे प्रेरित होकर यह तस्कर व्यापार किया जाता है और क्या हम इस कारण को समाप्त कर सकते हैं। इस अध्यादेश का भी महत्व है क्योंकि इससे फारस की खाड़ी के व्यापारियों को चांदी मिलने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

चांदी के तस्कर व्यापार को समाप्त करने का आसान तरीका यह है कि चांदी की कीमत को बढ़ा दिया जाय ताकि इसको भारत से बाहर ले जाने का आकर्षण समाप्त हो जाय।

सोने के मामले में वस्तुतः कठिनाई है क्योंकि सोने और विदेशी वस्तुओं के लिये बहुत आकर्षण है। इस प्रकार से सरकार की समूची नीति पर विचार किये जाने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि सरकार इन सब बातों पर ध्यान देगी। परन्तु केवल विधान से काम चलने वाला नहीं है। लोगों के मन में सोने के प्रति जो इतना अधिक मोह और आकर्षण है, उसको किसी प्रकार समाप्त करना होगा। उनके दिल में यह भावना पैदा करनी होगी कि सोने के आभूषण

पहनना श्रेष्ठता की निशानी नहीं है, फैशन की बात नहीं है। यह तो शर्म की बात है। इसका संचय नहीं किया जाना चाहिये। हमारे देश में इतना सोना छिपाकर रखा हुआ है कि उससे सारे देश का विकास किया जा सकता है।

विदेशी वस्तुओं की चाह के लिये उद्योगपति जिम्मेदार हैं। ये घटिया किस्म की चीजें बनाते हैं जिसके कारण लोग विदेशी वस्तुओं के लिये चार गुनी कीमत भी देने के लिये तैयार रहते हैं।

आयात के अधिक मूल्य के बीजक और निर्यात के कम मूल्य के बीजक बनाकर भी विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती है जिसका तस्कर व्यापार के लिये प्रयोग किया जाता है।

यदि विदेश व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय, तो विदेशी मुद्रा बेइमान व्यापारियों के हाथ में नहीं जायेगी जो देश में सोने के चोरी छिपे लाने के लिये इसे विदेश के बाजारों में बेचते हैं। राष्ट्रीयकरण से हमारी अर्थव्यवस्था नियंत्रित हो जायेगी जिसकी बहुत आवश्यकता है।

मैं इस अध्यादेश का समर्थन करता हूं। निस्संदेह यह एक कठोर विधान है। परन्तु यदि यह कठोर नहीं होगा, तो इसका उल्लंघन किया जायेगा। हमारे देश के पूर्वी और पश्चिम तट पर होने वाले तस्कर व्यापार को देखते हुए इस विधान का बनाना और भी आवश्यक हो गया है। मैं यह मानता हूं कि अधिकार का दुरुपयोग भी होगा।

अन्य वस्तुओं के बारे में, जैसे कि ब्लेड आदि, सीमा-शुल्क अधिकारियों को अधिक सख्ती से काम नहीं लेना चाहिये। अतः वैदेशिक व्यापार का राष्ट्रीयकरण ही नहीं, अपितु इस अध्यादेश का प्रख्यापन और इस कानून का पारित करना उचित है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I am not against this Ordinance as a matter of principle. But I have strong feelings as regards the manner in which this Ordinance has been brought and now the Bill is also being placed in the same manner.

The definition of "Imports" and "Exports", as given in this Ordinance and Bill, is really very confusing. The incoming goods is import and outgoing goods is export. A trade agreement was held with Nepal in 1960 and due to that we have suffered a great.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

The agreement provided that the articles manufactured in India could be sent to Nepal and those manufactured in Nepal could be brought here. In violation of agreement the articles of other countries are being sent to India showing them as if they were made in Nepal. In view of the opposition here our delegation which visited Nepal in 1966 drew the attention of the Government of Nepal towards these matters. A part of the memorandum of understandings of that time is reproduced below :

> "With respect to the export of Nepalese manufactures to India, the Indian delegation reaffirmed the intention of the Government of India to expand the exchange of goods between India and Nepal and to facilitate in particular the import into

India of Nepalese Industrial products both old and new based on Nepalese raw materials."

Further it has been stated ;

"The terms and conditions as also the procedures for import into India of Nepalese products which are not principally based on Nepalese raw materials as these relating to prohibition are enforced in Indian States or Union Territories will be agreed upon between the two Governments."

So it was decided that the matter would be discussed. But no mention of understandings was made in the Hand book of Import trade control and the para No 176 was reproduced as given below ;

"Unless otherwise provided, Imports and Exports control restrictions provided the goods are either produced or manufactured in the respective countries. The export of raw jute and rice to Nepal, will, however be regulated in accordance with the provision of Export Control Order 62 as laid down in the Ministry of Commerce public notice.....

उपाध्यक्ष महोदय : वह इस प्रस्ताव के अनुमोदक हैं । मैं उन्हें और अधिक समय दे सकता हूं और यदि वह 30-35 मिनट का समय चाहते हैं तो यह सम्भव नहीं है । श्री लिमये अपना वक्तव्य समाप्त नहीं करना चाहते ।

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागौर) : सदन की सहमति से आप उन्हें अतिरिक्त समय दे सकते हैं । अन्ततोगत्वा इस वैधानिक प्रस्ताव को पेश करने वालों में वह भी एक हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती शारदा मुकर्जी ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : इस सदन में हम सब देश में तस्करी को समाप्त करने के लिए सरकार के प्रयास की सराहना करते हैं...

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह बता देना चाहता हूं कि केवल 10 मिनट का समय है ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : इस विधेयक में दण्डनीय उपायों का विधान है परन्तु इससे देश में तस्कर व्यापार को कैसे रोका जा सकता है जबकि जहाजों में खाद्यान्न के बोरों में सोना छिपा होता है, जैसा कि मुझे पता लगा है कि बन्दरगाहों पर उन जहाजों को गुप्त संकेत से ही वे वहां से पहले ही अनुमति ले लेते हैं । सारे दक्षिणी तट पर इसी प्रकार तस्कर व्यापार होता है । और कोई रोक टोक नहीं होती । यहां तक कि वालकट जैसे अभियुक्त भी घण्टों बिताकर वहां के राज्य परिवहन से यात्रा करके बम्बई में साफ बच निकला, उसे किसी ने नहीं रोका । यह सब पुलिस तथा वहां के निवासियों की जानकारी में हुआ । जिन तस्कर-व्यापार के अड्डों की कस्टम अधिकारियों को निगरानी रखनी चाहिए वहां पर केवल एक ही व्यक्ति होता है जिसके पास न तो जीप होती है, ना ही रेडियो तथा टेलीफोन आदि संचार की व्यवस्था है । इसीलिए तस्करी का व्यापार बिना बिघ्न होता है । यहां तक कि बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े नगरों में तस्करी का व्यापार होता है । वहां के निवासी उनसे बहुत भयभीत रहते हैं क्योंकि यदि वे पुलिस में जाकर इसकी सूचना देते हैं तो उन्हें अपने अनिष्ट की आशंका रहती है । अत: इस तस्करी के व्यापार

को समाप्त करने के लिए प्रशासनिक तथा पुलिस की व्यवस्था को सुचारु रूप में सुगठित नहीं करते तो इस दण्ड विधान से कुछ नहीं होने वाला।

सरकार के अधिकारियों को कुछ अधिकार दिए हैं। मुझे पता चला है कि जहां कहीं आबकारी के अधिकारी हैं उनको भी इसका हिस्सा मिलता है। जहां कस्टम अधिकारियों को अधिक अधिकार दिए जाते हैं वहां तो तस्कर व्यापारियों का राज्य ही बन जाता है। तस्करी की सामग्री पर छापे मारने के बजाए इसे रोकने के लिए सुदृढ़ व्यवस्था की आवश्यकता है तथा ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे तस्करी के माल से तस्कर व्यापारियों को आर्थिक लाभ न हो। नाइलोन के धागे पर इतना अधिक कर लगा दिया है कि उसे कोई नहीं खरीदता और परिणामस्वरूप मिल बन्द होते जा रहे हैं। परन्तु तस्कर व्यापारियों से आप सब कुछ खरीद सकते हैं यदि आपके पास रुपया है। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका बहुत बड़ा चक्र काम कर रहा है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है यहां तक कि हमारी विदेशी मुद्रा भी देश से बाहर जा रही है देश के आर्थिक हित को ध्यान में रखते हुए तस्करी के व्यापार को समाप्त करना चाहिए। कुछ व्यक्ति जो खाद्य सामग्री के आयात का ठेका लेते हैं एक वर्ष के भीतर ही उनके पास कार, भवन और चोरी का रुपया जमा हो जाता है किन्तु उनसे कोई नहीं पूछता कि यह सब कुछ कहां से आया। ऐसे व्यक्ति करोड़पति बन जाते हैं। विधेयक के प्रवर्ती भाग का जहां तक सम्बन्ध है यह अच्छा किया कि आपने छोटे दर्जे के व्यापारियों को निकाल दिया है क्योंकि उनको सफलता नहीं मिलती।

अधिकारों के सौंपे जाने का सम्बन्ध में है इनको ठीक प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इससे अविश्वास के वातावरण में वृद्धि होती है दूसरी कोई सहायता नहीं मिलती। अतः अधिकारियों के अधिकारों में मैं वृद्धि अथवा विस्तार नहीं चाहती, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ेगा और वर्तमान प्रशासनिक अयोग्यता में सुधार नहीं आएगा अपनी इस व्याख्या के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० रानेन सेन।

डा० रानेन सेन : तस्कर व्यापार का उन्मूलन करने के लिए प्रत्येक विधेयक का स्वागत होता है। परन्तु भारत की इस बुराई का उन्मूलन करने के लिए इस विधेयक में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। प्रशासनिक पतन और नियंत्रण के अभाव के कारण ही केवल जनवरी से अक्तूबर 1968 तक 17.3 करोड़ रुपये का तस्करी का माल पकड़ा गया जो ऐसे कुल माल का लगभग पांचवां अथवा छठा भाग है। इससे पता लगता है कि भारत में भ्रष्टाचार की यह बुराई कितनी अधिक मात्रा में है। यहां की सस्ती दवाइयां तस्कर व्यापार के द्वारा बाहर भेजी जा रही हैं। तस्कर व्यापारी यहां भारत में बे रोक टोक आते जाते हैं। क्योंकि भारत हांकांग, सिंगापुर, बेरूत जैसी कर-मुक्त बन्दरगाहों से घिरा हुआ है जिससे तस्कर व्यापारियों को यहां सुभीता हो जाती हैं। ऐसी बुराई का उन्मूलन करने के लिए किसी विधेयक में कठोर व्यवस्था होनी

चाहिए, परन्तु इस बिल में यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि इसमें वे सब व्यवस्थाएं नहीं हैं जो इससे पहले के बिल के पृष्ठ 5 तथा 6 पर थीं। यह तस्कर व्यापार को रोकने के लिए नहीं है, केवल कागजी कारवाई के लिए है। आज यह सर्वविदित है कि तस्कर व्यापारियों का जालसूत्र सरकार के जालसूत्र से कहीं अधिक शक्तिपूर्ण है। तस्कर व्यापारियों का यह छोटासा दस्ता सारे भारत में फैला हुआ है। मंत्री महोदय इस विधेयक की धारा II (3)पर ध्यान दें। "जिसमें है—छोटे छोटे विक्रय पर यह अनुभाग लागू नहीं होगा।" छोटे विक्रय से तात्पर्य 2500/-रु० से कम का विक्रय। छोटे-छोटे विक्रय से तस्कर व्यापार बहुत सुगमता से चलता है। इस संशोधी विधेयक में सम्पत्ति अथवा तस्करी के माल को जब्त करने तथा दण्ड देने आदि का प्रश्न है। तस्करों को कठोर दण्ड देना चाहिए, जो व्यक्ति अभियुक्त हों उनको जेल की कड़ी सजा दी जानी चाहिए। बड़े बड़े 'सेठ' तथा व्यापारी तस्कर वृत्ति का कार्य कर रहे तथा इन बड़े व्यक्तियों को पकड़ने, दण्ड देने आदि की इस संशोधी विधेयक की व्यवस्था नहीं है। मूल अधिनियम के अनुभाग 117 में जुर्माना करने की व्यवस्था है। इस विधेयक में कठोर दण्ड की व्यवस्था क्यों नहीं है, इन तस्कर व्यापारियों के साथ, जो देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने पर तुले हैं तथा चोरी और भ्रष्टाचार फैलाते हैं, नरमी क्यों दिखाई जाती है। सीमावर्ती नगरों में तस्कर व्यापारियों को आसानी से नहीं पकड़ सकते क्योंकि ये बड़ी सुगमता से कलकत्ता जैसे बड़े नगरों में आ जाते हैं जहां वे बच जाते हैं। इस बिल की धाराएं 11 (ट) तथा 11 (अ) इसी प्रकार के छिद्र हैं। धारा 11 (अ) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास इतना सामान है जिसका मूल्य 15 हजार रुपये से बढ़ जाता है तो उसे सरकार को सूचना देनी पड़ेगी और यदि इसका मूल्य एक रुपया कम रह जाता है तो सूचना की आवश्यकता नहीं है। इस स्थिति में इसमें सुधार होने की आशा नहीं। धारा 11 (छ) के अनुसार धारा 11 (ग), 11 (ङ), तथा 11 (च) के उस सामान पर लागू नहीं होती जिसकी सूचना दे दी गई है तथा जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने लिए करता है। इसी बहाने से कि यह माल उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए हैं। लोग तस्करी करते हैं। जहां बचाव के ऐसे मार्ग हैं वहां पर इस बुराई को पूर्णरूप से समाप्त नहीं कर सकते।

Shri Amrit Nahata (Barmer) : Since the promulgation of the Ordinance the smuggling out of silver has stopped to some extent and I welcome this bill because its' aim is to stop smuggling. But this is a shortlined and temporary and this will not help root out smuggling in India, because smugglers are looking for other ways and means of smuggling. They are not afraid of the law, they look Government with contempt as they are aware of the fact that smuggling will go on merrily, because the bill is not in accordance with the provisions laid down in our policies, it will remain on the papers. There are three main reasons for smuggling in and out of India. One reason is that people have got plenty of black money and foreign currency in India.

Secondly, smugglers are paid much regard in the society in the country and even the Ministers request them to give various kinds ef donations which the smugglers give, and as such they have influence over politics and affect the administration as well.

Thirdly, the smugglers have taken much advantage of the Ordinance as they were already

aware of the prices of silver going down because of the Ordinance having been promulgated. They managed to earn lakhs of rupees. With regard to giving notification in respect of goods like silver worth over Rs. 15,000/-, the smugglers shall definitely notify this fact and on inspection nothing more than that will be found. The smuggling will not stop unless foreign trade is not Nationalised and black money is not checked. The gold smuggled into India is insured, and even if it is captured the smuggler get compensation. This was in the News paper even. As far as the question of smuggling silver out of India the smugglers argue that if they stop this smuggling the Indian rupee will have to be devalued. In this way they are serving India. When we request to nationalise foreign papers, Government do not agree to this request on the plea that there should be free competition, rich people can develop the country. With this policy smuggling will not stop in the country. Collaboration is going with foreign countries which has encouraged smuggling in India.

If you want to make the law a success in order to root out smuggling you will have to change policies and to make atmosphere accordingly.

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : माननीय वित्त मंत्री की यह आशा गलत है कि इस विधेयक से तस्कर व्यापार बन्द हो जायेगा। जो उपाय करने का प्रस्ताव है उनसे वास्तविक तस्कर व्यापारियों को नहीं पकड़ा जा सकता। वर्तमान अधिकारी वर्ग में बहुत भ्रष्टाचार है अतः वित्त मंत्री जी को वास्तविक तस्कर व्यापारियों को पकड़ने का यत्न करना चाहिए। अध्यादेश की घोषणा पर सीमा-शुल्क अधिकारियों ने कुछ बरमा से मद्रास में आए स्वदेशवासियों को पकड़ लिया किन्तु जैसा कि एक लेख में बताया गया है कि इन अधिकारियों ने जितना माल पकड़ा है वह तस्कर व्यापार के बीसवें भाग से अधिक नहीं है।

वास्तव में होता यह है कि इससे छोटे तस्कर व्यापारी तो अवश्य पकड़े जाते हैं किन्तु बड़े-बड़े और प्रमुख तस्कर व्यापारी उसी तरह फलते-फूलते हैं। प्रायः कहा जाता है कि तस्कर व्यापार के लिये भारत से अच्छा कोई देश नहीं है।

वित्त मंत्री महोदय ने स्वर्ण नियंत्रण के समय भी बहुत बड़ी-बड़ी बातें कही थीं किन्तु हुआ यह कि उससे बहुत से घर तबाह हो गये तथा स्वर्ण नियन्त्रण से सोने का भाव 150 रुपया तोले से 200 रुपये तोला हो गया।

माननीय वित्त मंत्री इस बात का उत्तर दें कि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में कितने नामी तस्कर व्यापारियों को पकड़ा है तथा उन्हें दण्डित किया है। श्री बीजू पटनायक जिनके पास निजी विमान है, अपने विमान में सोना लाये किन्तु चूंकि वह कांग्रेसी हैं अतः उनके विमान को कोई सीमा-शुल्क अधिकारी नहीं छू सका। इसी प्रकार श्री रुथ ऐवरैट ने 53 लाख रुपये के मूल्य के सोने का तस्कर व्यापार किया किन्तु उसका भी कुछ नहीं हुआ। इन्डो-चायना स्टीम शिप के बारे में भी ऐसा ही हुआ तथा उस पर मामूली-सी सजा लगा कर उसे आपने जाने दिया। इसी प्रकार की अन्य बहुत सी बातें हुई हैं।

यहां पर अमरीकी तथा ब्रिटिश बैंकों को अपना व्यापार बढ़ाने की छूट दे रखी है। दुबाई उनका प्रमुख केन्द्र है। जहां से सस्ते मूल्य में चांदी एकत्रित करके लन्दन को भेजी जाती है। किन्तु आप उनसे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वे आपके सम्बन्धियों को रोजगार देते हैं।

तस्कर व्यापार से हमें अत्यधिक हानि हो रही है। इससे हमारी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी समस्या जटिलतर होती जा रही है।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने बताया है कि कम बीजक बनाने और अधिक बीजक बनाने के कारण हमारे देश को 200 करोड़ रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से हानि होती है किन्तु आयोग का यह अनुमान गलत है मेरे विचार से इससे प्रति वर्ष 500 करोड़ रुपये से कम का घाटा नहीं होता। तस्कर व्यापारियों को कम बीजक बनाने और ज्यादा बीजक बनाने के कार्य से ही निधि मिलती है किन्तु श्री देसाई इस कार्य को रोकने में रुचि नहीं लेते।

कम बीजक बना कर तथा अधिक बीजक बनाकर बर्ड एण्ड कम्पनी ने करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति का संचय किया है तथा उसे विदेशी बैंकों में जमा कर दिया है। उस धन से हमारे में सोने का तस्कर व्यापार किया जाता है तथा देश को राजस्व की हानि उठानी पड़ती है क्योंकि उस पर आयात शुल्क नहीं मिल पाता।

रिजर्व बैंक के प्रतिवेदन में अर्जित विदेशी मुद्रा तथा प्राप्त विदेशी मुद्रा में अन्तर बताया गया है। ऐसा क्यों होता है ?

सुना है भारत-नेपाल सीमा पर प्रतिदिन 30 लाख रुपयों के नायलन आदि के माल का तस्कर व्यापार होता है। इस कार्य में भारत के बड़े-बड़े पूंजीपतियों का हाथ रहता है और सरकार शान्ति से देखती रहती है।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा)। महोदय वास्तव में यह विधेयक बहुत पहले पारित हो जाना चाहिए था। मेरा विश्वास है कि इन उपायों से बहुत हद तक तस्कर व्यापार में कमी होगी। अध्यादेश के लागू होने से भी तस्कर व्यापारी को पर्याप्त कठिनाइयां हो गई हैं क्योंकि उनको किसी मालिक से खरीदी गई वस्तुओं के वाउचर दिखाने होते हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत उन्होंने अपने माल की घोषणा करनी पड़ती है। अतः अब तस्कर व्यापार का होता रहना सम्भव नहीं है।

सोने और चांदी जैसी धातुओं के तस्कर व्यापार के सम्बन्ध में 15,000 रुपयों की राशि कोई बहुत बड़ी नहीं है तथा जमा माल के बिक जाने के बाद भविष्य की सप्लाई उन्हें सिद्ध करना पड़ेगा कि उन्होंने वह माल उचित रूप से प्राप्त किया है। अतः यह उपाय सराहनीय है।

यह विधेयक सभा में 3 दिसम्बर को लाया गया था किन्तु अन्य मामलों पर विचार करने के कारण यह महत्वपूर्ण विधेयक पारित नहीं हो पाया।

घड़ी, सिगरेट आदि बहुत-सी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया गया था किन्तु ये वस्तुएं बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इन वस्तुओं का तस्कर व्यापार नेपाल के माध्यम से भी होता है। सरकार को इस बारे में भी कदम उठाने चाहिए।

यह बात भी सच है कि कर्मचारी भी इमानदार नहीं हैं अन्यथा प्रभावोत्पादक उपाय करने से अवश्य ही तस्कर व्यापार रुक सकता था।

मैं समझता हूं कि हमें विधेयक का समर्थन करना चाहिए क्योंकि इसको उचित रूप से लागू करने से अवश्य ही तस्कर व्यापार रुक जाएगा।

खण्ड 11 (ड) जिसकी आलोचना की गई थी मेरे विचार से बहुत आवश्यक है क्योंकि इस व्यवस्था से क्रेता और विक्रेताओं के जाली नाम देना बन्द हो जाएगा।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : पहले मैं विधेयक की संवैधानिकता पर चर्चा करता हूं। इसमें लम्बी समुद्रतट रेखा तथा भारत की सीमा के चारों ओर एक मार्ग की व्यवस्था है और ये समुद्रतट रेखा तथा सीमा राज्य हैं। विधेयक को पढ़ने से ज्ञात होता है कि केन्द्र सरकार अधिसूचना के द्वारा किसी भी वस्तु के निक्षेप, जमा करने तथा उसके गमनागमन पर नियंत्रण रखना चाहती है।

सातवीं अनुसूची की सूची II के अन्तर्गत वस्तुओं के उत्पादन और वितरण का अधिकार राज्य को है। सूची III की प्रविष्टि 33 के अधीन संसद् को कई प्रकार के व्यापार के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार है। इस कानून के द्वारा सभी प्रकार के व्यापार, समस्त उत्पादन और वितरण को विनियमित करने का अधिकार केन्द्र सरकार को देने की व्यवस्था है किन्तु संसद् केन्द्र सरकार को ये अधिकार कैसे दे सकती है।

सूची I की प्रविष्टि 83 सीमा-शुल्क और निर्यात शुल्क से सम्बन्धित है। सीमा-शुल्क अधिनियम स्वयं साधारणतः एक कर लगाने का अधिनियम है जिसमें दण्डों की सहायक व्यवस्था है। सूची I की प्रविष्टि 41 के अन्तर्गत भी यह संशोधन विधेयक नहीं आता।

सूची II की प्रविष्टि 27 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार को किसी भी वस्तु को अधिसूचित करने का अनियंत्रित अधिकार दिया गया है। इससे सरकार जब भी चाहे किसी वस्तु को अधिसूचित कर सकती है।

संसद् केन्द्र सरकार को असीमित शक्ति देने जा रही है अतः मुझे आशा है कि इस बात का उत्तर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने देखा है कि मामला गम्भीर है। आपने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि क्या केन्द्र सरकार को संवैधानिक रूप से ऐसे अधिकार दिये जा सकते हैं जो कि राज्य के अधिकार में आते हैं। मंत्री महोदय या सरकार के विधि अधिकारी इस बात पर गम्भीरता से

ध्यान दें क्योंकि राज्यों के अधिकारों का केन्द्र द्वारा अतिक्रमण किए जाने का प्रश्न बहुत बार उठा है।

श्री एस० आर० दामानी (शोलापुर): सरकार ने बहुत-सा तस्कर सामान पकड़ा है किन्तु फिर भी कुल तस्कर सामान की तुलना में वह कुछ भी नहीं है।

[**श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए**
Shri Thirumal Rao in the Chair]

यह सच है कि देश से चांदी के तस्कर व्यापार में वृद्धि हुई है। विदेशों में चांदी के भाव ऊंचे होने के कारण चांदी की तस्करी बढ़ी है। अध्यादेश लागू होने से भी यह व्यापार चलता रहा है। स्वयं सरकार ने 1968 में अप्रैल से नवम्बर तक लगभग 3 करोड़ रुपये की मूल्य की चांदी का निर्यात किया है। 1 नवम्बर, 1968 से 15 फरवरी, 1969 की $3\frac{1}{2}$ महीने की अवधि में सीमाशुल्क विभाग ने 1,725 किलोग्राम सोना, 29,057 कि० ग्रा० चांदी तथा 410.5 लाख रुपयों के मूल्य की अन्य वस्तुएं पकड़ी हैं। इससे कल्पना की जा सकती है कि पूरे वर्ष में पकड़े गये और बिना पकड़े गये कितनी वस्तुओं की तस्करी की गई होगी। इससे हमारे देश को दुहरी हानि होती है। एक तो हमारी सम्पत्ति बाहर चली जाती है तथा दूसरे उसके बदले हमारे देश में उपभोक्ता वस्तुएं आती हैं जिनके कारण स्वदेश में बनी उपभोक्ता वस्तुएं नहीं बिक पाती हैं, कारण उनकी उत्पादन लागत अधिक होती है अतः तस्करी की वस्तुओं की अपेक्षा उनका मूल्य अधिक होता है। इस प्रकार उपभोक्ता उद्योगों को हानि रहती है।

अमरीका के हार्डी एण्ड हरमन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 1968 के दौरान लगभग 90 से 100 करोड़ रुपयों के मूल्य की चांदी की भारत से तस्करी हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत को कितनी हानि हो रही है। पकड़ी गई मात्रा तो इसका सौंवा भाग मात्र है। वास्तव में जिन अधिकारियों को यह कार्य सौंपा जाता है वे स्वयं ही भ्रष्टाचार करते हैं अतः उन पर किस प्रकार भरोसा किया जा सकता है।

मेरा सुझाव है कि राज्य व्यापार निगम को चांदी का निर्यात करने के लिए प्राधिकृत कर देना चाहिए। यह निगम बहुत-सी वस्तुओं का आयात करता है तथा उसके बदले में विदेशी मुद्रा चुकाता है। ऐसा करने से चांदी के निर्यात से जो विदेशी मुद्रा अर्जित होगी राज्य व्यापार निगम उसको अन्य वस्तुओं के मूल्य चुकाने के काम में ले सकता है। इससे हमारी विदेशी मुद्रा की बचत होगी। दूसरे, सरकार को उपभोक्ता वस्तुओं के तस्कर व्यापार को रोकना चाहिए। इससे राजस्व में भारी घाटा रहता है क्योंकि स्वदेशी उपभोक्ता उद्योग को हानि रहती है और सरकार को उत्पादन शुल्क आदि नहीं मिल पाता। जब तक इन वस्तुओं को नहीं रोका जायेगा सभी चीज उसी प्रकार से चलती रहेंगी।

सीमा-शुल्क अधिकारी पकड़ी हुई वस्तुओं का विक्रय कर देते हैं तथा उन्हें तस्कर व्यापारी

या डीलर खरीद लेते हैं तथा इस आड़ में वे लोग अपने पहले जमा माल को भी निकाल सकने में समर्थ होते हैं। अतः इस पद्धति को बदलने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि जो व्यक्ति सीमा-शुल्क अधिकारियों से वस्तुयें खरीदेगा उसको उन्हें बेचने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागौर) : मैंने 20 जुलाई, 1967 को भूतपूर्व वाणिज्य मंत्री श्री दिनेश सिंह से कहा था कि पिछले 100 वर्षों से पहली बार ऐसा अवसर आया है कि जब हम चांदी का निर्यात कर सकते हैं। मैंने उनसे यह भी कहा था कि भारत के पास लगभग तब के मूल्यों के अनुसार, 6,000 करोड़ रुपयों के मूल्य की चांदी है, अतः चांदी के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत और लंदन में चांदी के तब के मूल्यों के अनुसार लाभ के पर्याप्त अवसर थे। किन्तु भारत ने उस अवसर का जाने क्यों लाभ नहीं उठाया।

इस बारे में मैंने गृह-कार्य मंत्री से भी भेंट की थी तथा उन्होंने कहा था कि वह मेरे महत्व-पूर्ण सुझाव पर विचार करेंगे।

नवम्बर, 1967 में मैंने माननीया प्रधान मंत्री को भी इस बारे में बताया। उन्होंने वाणिज्य मंत्रालय में पत्र भेजे किन्तु फिर भी उस अवसर का लाभ नहीं उठाया गया। रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक किसी को भी चांदी का निर्यात करने के लिए अनुमति नहीं दी गई।

मैंने 'इकोनोमि एण्ड पोलीटिकल वीकली' के माध्यम से भी स्वर्ण विनिमय मान तथा भारतीय चांदी के आरक्षण के सम्बन्ध में प्रकाश डालने की चेष्टा की थी किन्तु दुर्भाग्य से सरकार ने उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार यह तो नहीं कह सकती कि उसे तस्कर व्यापार के बारे में कुछ ज्ञात नहीं है तथा पिछले 2 वर्षों में उसे लाभ के अवसरों का भी पता नहीं है।

अध्यादेश की घोषणा के बाद भी सोने चांदी और अन्य वस्तुओं का तस्कर व्यापार होता रहा है। आपके विभाग से ही प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले $3\frac{1}{2}$ महीनों में 1725 किलोग्राम सोना जिसका मूल्य 145.5 लाख रु० है, 29,057 कि० ग्रा० चांदी जिसका मूल्य 85.6 लाख रुपये है तथा अन्य 410.5 लाख रुपयों के मूल्य की अन्य वस्तुओं का तस्कर व्यापार हुआ है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि यदि यह विधेयक पास हुआ तो छोटे-छोटे व्यापारियों पर ही इसका प्रभाव पड़ेगा और आप बड़े व्यापारियों को छूने में समर्थ नहीं हो सकते।

सभी जानते हैं कि तस्कर व्यापार में बड़ा हाथ किसका है तथा नित्य समाचारों में पढ़ने को मिलता है कि कलकत्ता, बम्बई में 300 या 250 बारों की तस्करी हुई किन्तु सरकार उनको पकड़ नहीं सकती। पकड़े जाते हैं ट्रक वाले या नाविक आदि जैसे सामान्य लोग। यदि यही होता रहा तो सरकार के सतर्कता विभाग के कर्मचारियों के प्रति मेरी धारणा दयनीय है। यदि बम्बई और सूरत आदि स्थानों पर आप मुख्य सतर्कता एजेंट रखें तो मूलतः तस्कर व्यापारियों को पकड़ा जा सकता है।

इंगलैंड के सीमा शुल्क विभाग से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार डुबाई से 260 लाख औंस चांदी जनवरी से मई 1958 तक तस्कर व्यापार द्वारा ब्रिटिश को भेजी गई थी तथा 1967 के अन्तर्गत 90 करोड़ रुपयों के मूल्य का सोना वहां डुबाई होकर आया था। जब यह आंकड़े समाचार-पत्रों में प्रकाशित हो सकते हैं तो मैं सरकार की इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि वह इन बातों से अनभिज्ञ है।

यदि सरकार ने अपनी जांच व्यवस्था को और मजबूत बनाने के हेतु हैलिकॉप्टरों के लिये धन की मांग की होती, तो हम बड़ी खुशी से उसकी मंजूरी दे देते, लेकिन ऐसा करने के बजाय, सरकार एक बाधापूर्ण तथा कल्पनाहीन विधान लाई है, उसी प्रकार जैसे स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम केवल गरीब स्वर्णकारों पर ही चोट करता है और तस्कर व्यापारियों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस दुखद कहानी को फिर से दुहराया जा रहा है।

हमारे यहां से आज भारी मात्रा में चांदी की तस्करी की जा रही है वह भी विशेषकर नेपाल को क्योंकि नेपाल चांदी की वस्तुओं पर 40 से 60 प्रतिशत तक निर्यात प्रोत्साहन दे रहा है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति किसी किस्म की चांदी की थाली बनाकर उसे कलकत्ता पत्तन तक भेज सकता है। क्योंकि चीन से अब चांदी की तस्करी नहीं हो रही है, इसलिये अधिकांश चांदी आज भारत से ही नेपाल को जा रही है। लाखों रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा से सरकार को वंचित रखा जा रहा है। नेपाल तथा भारत के उत्पादन शुल्क अधिकारियों की सांठ-गांठ से नेपाल से ट्रकों में रेत मिट्टी आदि लादकर लायी जाती है और बिहार की खानों से उनमें अभ्रक भरा जाता है। और इस प्रकार आज बिहार की अभ्रक खानों से कितने ट्रक अभ्रक का कलकत्ता पत्तन से निर्यात किया जाता है। हर व्यक्ति जानता है कि नेपाल में अभ्रक नहीं होता है लेकिन फिर भी नेपाल का अभ्रक सर्वोत्तम किस्म का होता है जो वास्तव में बिहार की अभ्रक खानों का अभ्रक है। ऐसा लगता है कि सरकार देश में चांदी के व्यापार को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहती है अन्यथा वह 15,000 रुपये की सीमा क्यों निर्धारित कर रही है। इसके साथ-साथ उसने 2,500 रुपये की दूसरी सीमा लगाई है जिसका मतलब यह होता है कि वह इस समस्या की जड़ में जाना नहीं चाहती। वांछनीय यह है कि सरकार अपनी निरोधक कर्मचारी व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाये, ईमानदार कर्मचारियों को नियुक्त करे चाहे उनको वेतन थोड़ा अधिक ही क्यों न देना पड़े और उन्हें जांच के लिये हेलीकोप्टर आदि की सुविधाएं प्रदान करे ताकि वे दुबाई की ओर से आने वाले तस्कर व्यापारियों का मुकाबला कर सकें और अन्त में, इस देश से चांदी के निर्यात को भी बढ़ावा दें।

सूरत जिला आज नाइलोन तथा रेयन धागे की तस्करी का सबसे बड़ा केन्द्र बन गया है, बम्बई में प्रतिदिन लाखों रुपये की तस्करी होती है। इसी प्रकार नेपाल-भारत सीमा पर बड़े पैमाने पर तस्करी चलती है। आखिर सरकार ने उसे रोकने के लिये क्या उपाय किये हैं और वे कहां तक कारगर सिद्ध हुए हैं ?

मेरा एक और सुझाव यह है कि सरकार को लोगों को शिक्षित करना चाहिए कि उन्हें आयातित अथवा विदेशी माल का प्रयोग छोड़ देना चाहिये और स्वदेशी माल का प्रयोग करने की आदत बनानी चाहिए, ऐसा शिक्षात्मक आन्दोलन भी तस्करी रोकने में कुछ हद तक सहायक सिद्ध होगा।

Shri Sita Ram Kesari (Katihar) : There is, no doubt, that the smuggling has effected our economy and moral adversely. Goods are smuggled into India from Nepal and most of the silver is finding its way from India on an average, goods worth Rs. 40 lakhs are smuggled into our country everyday and people purchase them. One of the reasons for the consumption of smuggled goods on such a large scale is that they are sold at cheaper rates as compared to those of country products. Therefore, if the prices of goods produced in the country are brought down, it would also, to some extent, help us to curb all this smuggling.

The practice of under-invoicing and over-invoicing often resorted to by the traders particularly the exporters and importers puts the country to a loss of foreign exchange worth crores of rupees. Steps should be taken to tighten the provisions and terms of the political or trade negotiations with foreign countries to ensure complete discontinuance of this practice which would also discourage the traders to deposit the so-earned black-money in foreign countries.

It would economically benefit the country if Andman and Nicobar are declared free parts for the purpose of small articles such as fountain pens, pencils and watches as has been done in the case of Hong Kong.

The provision which requires a trader residing within 50 Km. of the sea or Nepal border, to declare his silver if it valued more than Rs. 15000, should be made applicable to all the people in the country so that we could know how much silver is there in the country and how much of it finds its way to foreign countries.

Efforts should be made to nationalise our import and export trade on a national basis and only the S. T. C. should be authorised to carry on all the import and export business in the country.

The Government should reinforce their preventing staff at every major post, an officer not below the rank of a Secretary of the Government of India, and a person of high calibre and undoubted integrity should be made over-all-incharge of the customs Department at every post so that smuggling could be checked effectively.

I find that not only articles are smuggled but also thoughts are smuggled. The thoughts are smuggled sometimes from Russia and sometimes from China. Smuggling of all sorts should be checked and with these words I again support the bill.

श्री तेन्नेटी विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : विधेयक का उद्देश्य तस्करी रोकना नहीं अपितु उसका विनियमन करना, अन्यथा विधेयक में खण्ड 11 (ग), 11 (घ), 11 (ङ), 11 (च), 11 (ज) तथा 11 (ड) न रखे जाते जोकि विनियमन करने सम्बन्धी हैं। यदि सरकार

को विश्वास है कि बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है तो उसे सीमाओं, पत्तनों तथा हवाई-अड्डों पर अपनी आसूचना व्यवस्था दृढ़ कर तस्करी द्वारा आयातित समानों को जब्त करना चाहिए। पूर्वोक्त स्रोतों की अवहेलना कर सरकार छोटे व्यापारियों पर धावा बोलती है। सोने की तस्करी होती है परन्तु केवल छोटे सराफों को पकड़ा जाता है।

कानून पास किया जाता है और तस्करों से कहा जाता है कि वे चोरी-छिपे लाये गये सामानों के मूल्य का ब्योरा दें। क्या तस्कर वित्तमंत्री को बताएंगे कि उन्होंने तस्कर किया समान को कहां-कहां रखा है और उसका कितना मूल्य है ? अधिकारियों ने वित्तमंत्री को कठपुतली सा बना रखा है और 'मार्गभ्रष्ट विधेयक' तैयार किया है जिससे कि सरकार को वास्तविक समस्या से ध्यानाकर्षित किया जा सके।

विशाखापत्तनम् और कंकिदा में तट से पांच छः मील की दूरी से ही मछवा नावें जलपोतों से तस्करी का सामान बड़े-बड़े टायरों में छिपाकर ले आते हैं और अधिकारीगण उन नगरों में पैसा बनाने के उद्देश्य से चक्कर लगाते हैं। और जिन स्थानों से वास्तव में तस्करी का सामान लाया जाता है वहां कोई कार्यवाही नहीं की जाती। ध्यानाकर्षण करने के लिए कुछ बाजारों के बारे में घोषणा कर देते हैं और यहां एक रुपये का माल पकड़ेंगे वहां 100 रुपये की तस्करी हो जाती है।

सरकार यदि वास्तव में इस बारे में सचेष्ट है तो उसे सीमाओं पर, पत्तनों, पर हवाई अड्डों पर सतर्कता बरतनी चाहिए। अन्यथा प्रस्ताविक विधेयक से कोई लाभ न होगा।

तस्करी का जो सामान जब्त किया जाता है उन्हें व्यापारियों को नहीं बेचना चाहिए, अपितु सरकार वास्तविक उपभोक्ताओं को ही बेचना चाहिए। इस प्रकार व्यापारी यह न कह सकेंगे कि उनके पास जो विदेशी माल है वह वही है जो उन्होंने सीमा शुल्क विभाग से सीमा शुल्क अदा करके क्रय किया है। खाद्य पदार्थ यदि उपयोग के लिए युक्त नहीं तो उन्हें विनष्ट कर देना चाहिये।

तस्करी करने वाले लोग जोखिम उठाकर भी इसलिए तस्करी करते हैं कि यह लाभदायक है। इसलिए आर्थिक आधार पर आघात करके तस्करी को लाभदायक न रहने दें।

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh) : I welcome this bill. If we could achieve our ends by merely passing a legislation in this House most of our problems would have been solved. The building of national character in our country is the need of the Laws. An international gang is active throughout the world having its roots in almost every city. Let us have a fresh thinking as to what smuggling is. The workers in our country neither get the due honour nor the emoluments they deserve for their labour. Thus the people resent to stealing, smuggling and dacoity in order to get rich quickly. Moneyed people get respect and no consideration is given to the means by which money has been acquired. This gives encouragement to smugglers and others. So long as money is worshipped these evils cannot come to an end.

Today more gold is imported into our country and more silver is exported. Our farmers

are better off in this decade and they invest more in gold. In our society gold has a higher place. The investment in gold is unproductive and our economic balances suffer badly due to it. This also leads to large scale smuggling. The smugglers have established centres at big cities like, Bombay, Calcutta and Madras and it is surprising that the smuggled goods is sold even on the footpaths. The police and the customs department are not able to check it inspite of the laws.

All our border areas have also become centres of smuggling. What strong steps the Central Government or the State have taken to put an end to this state of affairs. I support this bill. But have to say that clothes, jewels, transisters etc. worth crores of rupees are smuggled into our country and we lose our hard-earned foreign exchange. A small fraction of it is seized and is sold to the dealers who sell ten times the quantity of goods actually purchased by them from the Customs. This should come to an end.

I suggest to the Hon. Finance Minister to nationalize the Import Export trade which will end the problems of smuggling, under-invoicing, over-invoicing and many other malpractices, which are corroding our economic viability and are averse to our national interests. The gold control has not become effective but has merely added to the difficulties of the common people.

The same is true in case of silver. It is becoming dearer and the common man is unable to purchase it.

Our approach needs a change. Only those people should have respect in our society who earn their livelihood by fair means.

Mr. Chairman : Shri Kandappan.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Chairman, as you are not calling me, I walk out of the house.

श्री शिवचन्द्र झा तब सदन छोड़कर चले गये

Shri Shiv Chandra Jha then left the House

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : मैं इस विधेयक के पूर्णतः विरुद्ध हूं । इसके द्वारा सरकार जनता का ध्यान मुख्य विषय से हटा रही है ।

जब गोल्ड कंट्रोल आदेश जारी किये गये थे तो यह आशा व्यक्त की गई थी कि इसके द्वारा सोने की तस्करी रुक जायेगी तथा छिपा धन बाहर आ जायेगा । उसमें कुछ संशोधन तथा सुधार लाये गये परन्तु कुछ भी उपलब्धि न हो पाई । अब सम्पत्ति-कर का प्रस्ताव रखते हुए ऐसी ही आशाएं व्यक्त की गई हैं । तस्करी रोकने का हम समर्थन करते हैं और हम समझते हैं कि यह रुक नहीं सकती । क्या मंत्री महोदय ऐसे मामले बता सकते हैं जिसमें तस्करों को रंगे हाथों पकड़ा गया हो और उन्हें यथोचित यथेष्ट दण्ड दिया गया हो ? यदि सरकार के पास दण्ड-विधान के अन्तर्गत पर्याप्त शक्ति नहीं तो वे अधिक शक्ति लेकर ऐसे व्यक्तियों को कठोरतम दण्ड दें ।

जो मामले प्रमाणित हो जाते हैं तथा जिनमें करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा की हानि होती है, ऐसे मामलों में सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि दण्ड कठोरतम दिए जायें। परन्तु मैं देखता हूं कि तस्करों के साथ विशिष्ट व्यक्तियों का सा वर्ताव होता है।

प्रस्तुत विधेयक से मामला नहीं सुलझेगा, अंशतः भी नहीं सुलझेगा।

मुझे ज्ञात हुआ है कि तस्करों को पकड़ने के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटरबोटों की गति उन मोटरबोटों से आधी भी नहीं जो तस्करों द्वारा प्रयुक्त हो रही हैं। ऐसी स्थिति में अच्छी मोटरबोटों का तथा कुछ हेलीकाप्टरों का उपयोग क्यों नहीं करते तथा अपनी सतर्कता में सुधार क्यों नहीं लाते। सतर्कता अधिकारियों पर भी दृष्टि रखें। मुझे खेद है कि माननीय मंत्री द्वारा अध्यादेश के बारे में दिया गया उत्तर अधिक संतोषप्रद नहीं। इस प्रकार के विधेयकों के मामले में उन्हें संवैधानिक स्थिति का आदर करना चाहिए। विधेयक विद्यमान था ही और सत्रावसान में अभी 20 दिन शेष थे तो भी सरकार ने अध्यादेश जारी करना उचित समझा।

अध्यादेश के जारी होने के अगले ही दिन मद्रास नगर में अधिकारी लोग बर्मा से आकर वापिस बसे लोगों को, जिन्हें हमारी सरकार ने तथा बर्मा की सरकार ने कुछ सामान बर्मा से लाने की अनुमति दी थी, तंग करने लगे। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि उन लोगों को पहले दी गई सुविधा का प्रस्तावित विधेयक द्वारा अतिलंघन न करें।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : तस्करी आजकल सर्वत्र प्रचलित है तथा इसके लिए सरकार अंशतः उत्तरदायी है। अंचल पद्धति के कारण राज्यों में तस्कर व्यापार लाभदायक है। इस प्रकार बिना श्रम किये धन कमाने की प्रवृत्ति इस देश में बहुत बढ़ रही है। हर कोई विदेशी वस्तुएं खरीदना चाहता है क्योंकि लोग समझते हैं कि वे श्रेष्ठ तथा सस्ती हैं। इस प्रवृत्ति का विकास अशोभनीय है।

वास्तविकता यह है कि वैदेशिक व्यापार के सम्बन्ध में हमारे कानून बहुत पुराने हैं। आज देश में यही होता है कि छोटे आदमी को तो कठोर दण्ड दिया जाता है लेकिन बड़ा आदमी चाहे वह कितना ही बड़ा अपराध क्यों न करे, कानून के दायरे में नहीं आता है और उसे कोई सजा नहीं मिलती, ऐसी परिस्थिति में हमें क्वीन एलिजाबेथ के दिनों की तथा समुद्री डाकुओं की याद आती है। प्रस्तुत विधेयक में कड़ा दण्ड देने की कोई व्यवस्था नहीं है और मैं मांग करता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ जरूर किया जाये।

इसका एकमात्र उपचार यही है कि हमारे वैदेशिक व्यापार का पूर्णतया राष्ट्रीयकरण किया जाये। तस्कर व्यापारी देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं और उन्हें कठोर से कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए। इस प्रकार की तस्करी को रोकने के लिये हमारे पास कोई पर्याप्त प्रवर्तन व्यवस्था नहीं है। इसलिये कर्मचारियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करना आवश्यक है। मंत्री

महोदय को यह विधेयक, जिसकी परम आवश्यकता है, बहुत पहले ले आना चाहिए था। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : चांदी में भारी तस्करी को देखते हुए सीमा-शुल्क (अधिनियम) विधेयक लाना अत्यावश्यक था और इसीलिये पिछले सत्र में उसे पुरःस्थापित किया गया था, लेकिन जैसा कि उसे उस समय पारित नहीं किया जा सका, एक अध्यादेश जारी करना पड़ा था।

जहां तक ऐसी वस्तुओं का सम्बन्ध है, जिनके बारे में पहले ऐसा संदेह किया जाता था कि उनकी तस्करी की जाती है, उनके बारे में कानूनी कार्यवाही करना बड़ा कठिन होता था। इसलिये और अधिक कड़े उपबन्ध बनाये गये हैं ताकि अधिसूचित वस्तुओं के सम्बन्ध में घोषणा करनी जरूरी हो और जो उचित घोषणा के बिना इन वस्तुओं को बाहर पटरियों पर बेचेगा उसके विरुद्ध कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

विधेयक में चांदी तथा चांदी के सिक्कों के निर्यात के सम्बन्ध में विशेषरूप से उपबन्ध किया गया है। जहां तक आयात का सम्बन्ध है, घड़ियों, संश्लिष्ट धागे, अन्य कपड़े, सिगरेटों, ऋंगार सामग्रियों, बिजली के उपकरणों, शेवर्स, फोटो-कैमरों, फ्लैश गन्स आदि वस्तुओं को अधिसूचित किया गया है और इस विधेयक के अन्तर्गत उनके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकेगी। इसके साथ-साथ, इस विधेयक के अधीन आवश्यकता पड़ने पर कुछ और वस्तुओं को अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान की गई है।

खण्ड दो (1) में निर्दिष्ट वस्तुओं के निर्यात को रोकने की व्यवस्था है, जो सूची एक में प्रविष्टि से सम्बन्धित है इसलिये राज्य क्षेत्राधिकार का इससे कोई अतिक्रमण नहीं होता, जहां तक आम जनता का सम्बन्ध है अनुच्छेद 19 (5) के अर्थ के अन्तर्गत, संसद् को विधान बनाने का अधिकार प्राप्त है।

श्री गाओकर तथा श्री एडवानी के सम्बन्ध में प्रश्न उठाये गये हैं ; गाओकर पर मुकदमा चलाया जा चुका है और एडवानी के मामले में मुकदमा चलाया गया था और सम्बन्धित व्यक्ति को सजा दी गई थी।

जहां तक प्रवर्तन कर्मचारियों को सुविधायें देने का सम्बन्ध है इस दिशा में पर्याप्त कदम उठाये गये हैं और आवश्यकता पड़ने पर और अधिक सुविधाएं, जिसमें वैज्ञानिक उपकरण शामिल हैं, प्रदान की जायेगी।

जहां तक विधेयक के उद्देश्य का सम्बन्ध है, अध्यादेश जारी किये जाने के बाद चांदी की कीमत गिर गई है और मेरी जानकारी के अनुसार, विदेशी बाजार में भी चांदी के भाव गिर रहे हैं।

जहां तक चांदी के पकड़े जाने का सम्बन्ध है, पिछले तीन महीनों में लगभग 85 लाख रुपये की चांदी पकड़ी गई है और पिछले वर्ष लगभग 4 करोड़ रुपये मूल्य की चांदी पकड़ी गई थी।

यह सच है कि चांदी की बहुत बड़े पैमाने पर तस्करी की जा रही थी इसीलिये सरकार को इस विधान के लाने की आवश्यकता महसूस हुई और इसी कारण विधेयक में समुद्र तट से 50 किलोमीटर के अन्दर की तथा 15,000 रुपये की सीमा की व्यवस्था की गई है।

जहां तक छोटे कारीगरों का सम्बन्ध है, 2,500 रुपये की दैनिक विक्री की अनुमति दी गई है जिससे उनके दैनिक कार्य अथवा उनके व्यवसाय में कोई बाधा नहीं पड़ेगी।

अध्ययन दल की सिफारिशों को क्रियान्वित करने का हर संभव प्रयत्न किया जा रहा है और सरकार ने भाग I से 136 और भाग II से 114 सिफारिशें मान ली हैं।

श्री मधु लिमये ने विशेषतः भारत-नेपाल सीमा के बारे में प्रश्न उठाया था। 1960 की सन्धि के अनुसार भारत तथा नेपाल में निर्मित वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में अवाधरूप से लाया-ले जाया जा सकता है। किन्तु नायलोन कपड़े तथा स्टेनलैस स्टील के बारे में इससे कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं क्योंकि नेपाल द्वारा कलकत्ता पत्तन से जो निर्यात किया गया है उसे इस देश में हुई खपत को देखते हुए बहुत अधिक समझा गया है। हमारे पास विशेष आंकड़े नहीं हैं कि नेपाल में इस कपड़े की खपत कितनी है। जो भी हो इसे काफी अधिक समझा गया है। इसीलिये हमने यह मामला नेपाल सरकार के साथ उठाया है। सिद्धान्ततः यह स्वीकार कर लिया गया है कि नेपाल में वर्ष 1967-68 में नायलोन कपड़े तथा स्टेनलैस स्टील के बर्तन जितनी मात्रा में आये थे उससे अधिक हम भविष्य में भारत में नहीं आने देंगे।

जहां तक श्री लिमये के स्टैम्पिग के बारे में सुझाव का सम्बन्ध है हमने इस बारे में नेपाल सरकार के साथ बातचीत की थी लेकिन उन्होंने इसे व्यवहारिक नहीं समझा इसलिये हमने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी बढ़ गई है और हमने उसे रोकने के उपाय किये हैं। इलाहाबाद-पटना पश्चिम बंगाल क्षेत्र में वर्ष 1966 में 3,21,000 रुपये का माल जब्त किया गया था और वर्ष 1968 में 25,73,429 रुपये का माल पकड़ा गया है। इस दिशा में सभी संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं और नेपाल सरकार का सहयोग भी प्राप्त किया जा रहा है। इस व्यापार सन्धि की अवधि वर्ष 1970 में समाप्त हो जायेगी और तब इन मामलों की फिर से जांच की जायेगी और उन पर उस समय विचार किया जायेगा। यह आरोप निराधार है कि अधिकारी तस्कर व्यापारियों से मिले हुए हैं और उनकी सांठ-गांठ से तस्करी चलती है। यदि माननीय सदस्यों के पास इसका कोई प्रमाण है, तो हम उसकी जांच करेंगे अन्यथा ऐसा आरोप लगाना सर्वथा अनुचित है। इसी प्रकार कल किसी सदस्य ने बोर्ड के अध्यक्ष श्री आनन्द जो बहुत ही ईमानदार तथा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, के विरुद्ध आरोप लगाया था। यदि किसी आरोप के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण सदस्यों के पास है, तो हम उस

बारे में पूरी जांच करेंगे अन्यथा ऐसे निराधार आरोपों के कारण अधिकारियों के लिये काम करना कठिन हो जाता है। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है।

तस्करी को रोकने के लिये हमने कुछ उपाय अपनाये हैं जो सर्वथा आवश्यक हैं और हम इस दिशा में समुचित कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु ने बी० ओ० ए० सी०, बर्ड एण्ड कम्पनी तथा अर्जित व प्राप्त विदेशी मुद्रा की कमी के बारे में कुछ प्रश्न उठाये हैं। जहां तक बर्ड एण्ड कम्पनी का सम्बन्ध है, यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है इसलिये इस अवस्था में मैं उसका ब्योरा नहीं दे सकता। जहां तक बी० ओ० ए० सी० का सम्बन्ध है, हमने इस विषय पर अल्प-सूचना प्रश्न स्वीकार किया है और सरकार इस विशेष मामले का ब्योरा सभा के समक्ष रखेगी। जहां तक अर्जित तथा प्राप्त विदेशी मुद्रा की कमी के बारे में प्रश्न का सम्बन्ध है, विदेशी विनिमय (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत छः महीने का अन्तर निर्धारित किया गया है इसलिये इस अन्तर का स्पष्टीकरण किया जा सकता है। कोई गलत बात नहीं है।

तस्करी केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के सारे देशों में चल रही है और उसके बड़े शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रीय गिरोह हैं। भारत तस्करी समाप्त करने के लिये हर संभव कदम उठा रहा है और हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और प्रस्तुत विधेयक का यही उद्देश्य है।

जहां तक सरकारी तौर पर चांदी बाहर भेजने की अनुमति देने का सम्बन्ध है, इस प्रश्न पर व्यापक रूप से विचार किया गया है और यह निर्णय किया गया है कि चांदी को बाहर के देशों को भेजने की अनुमति देना लोक हित तथा भारत के हित में नहीं है।

जहां तक राज्य व्यापार निगम के माध्यम से निर्यात करने के सुझावों का सम्बन्ध है, मैं इस मामले को उप प्रधान मंत्री के समक्ष पुनः विचारार्थ अवश्य रखूंगा।

पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट में केवल तमिलनाडू के लिये 50 कि० मी० की सीमा इसलिये रखी गई है कि वहां से चांदी की बाहर को तस्करी की जाती है। जहां तक अन्य अनधिकृत वस्तुओं का सम्बन्ध है, चाहे वे भारत-नेपाल सीमा पर पायी जायें अथवा पटरियों पर उन्हें केवल जब्त ही नहीं किया जायेगा बल्कि मूल सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 135 तथा 136 के अन्तर्गत दो या तीन साल की कड़ी कैद के दण्ड के साथ जुर्माना भी किया जायेगा।

जहां तक जब्त की गई वस्तुओं की पुनर्विक्री का सम्बन्ध है इस प्रश्न पर विचार करने के लिये सरकार ने पहले ही एक समिति नियुक्त की है। इस वक्त हम उन्हें सहकारी क्षेत्र के माध्यम से बेच रहे हैं ताकि वे निश्चित मूल्यों पर उपभोक्ता को मिल सकें। समिति द्वारा ऐसी

वस्तुओं की बिक्री के सम्बन्ध में प्रक्रिया की सिफारिश की जाने पर हम उस पर विचार करेंगे।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी प्रश्नों का मैंने उत्तर दे दिया है, इसलिये सभा से अनुरोध है कि वह इस विधेयक को स्वीकार करे।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

बत्तीसवां प्रतिवेदन

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं कार्य-मंत्रणा समिति का बत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

सीमा-शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1969 के बारे में सांविधिक संकल्प और सीमा-शुल्क संशोधन विधेयक, 1969—जारी
RESOLUTION RE: CUSTOMS (AMENDMENT) ORDINANCE, 1969 AND THE CUSTOMS AMENDMENT BILL—(Contd.)

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : श्रीमान जब यह विधेयक सभा में पेश किया गया था तो मैंने पूछा था, कि किन नई परिस्थितियों के कारण इस संबंध में अध्यादेश जारी किया गया था। माननीय मंत्री ने जो कुछ बताया उससे जहां तक मैं समझ पाया हूं ये गड़बड़ी पिछले दो वर्षों अर्थात् वर्ष 1966 से लगातार चल रही है। इसलिये मैंने मंत्री महोदय से पूछा था कि जब इस विधेयक को 3 दिसम्बर को इस सभा में पेश किया गया था, तो 18 दिन के बाद—20 दिसम्बर और 3 जनवरी के बीच ऐसी कौन सी परिस्थिति अथवा संकट उत्पन्न हो गया था जिसमें सरकार के लिये इस अध्यादेश को जारी करना नितान्त आवश्यक हो गया था। किन्तु मंत्री जी इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर टाल गये।

श्री प्र० चं० सेठी : मैंने इसका उत्तर दिया है।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैंने भी अध्ययन दल की सिफारिशों का उल्लेख किया था जिसमें उसने कहा है कि एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए जिसमें एक स्वतंत्र अपीलीय न्यायाधिकरण की व्यवस्था का उपबन्ध किया जाये। आयातकर्ताओं को जिन कठिनाइयों तथा समस्या का सामना करना पड़ता है, उनसे निपटने के लिये, अध्ययन दल द्वारा ऐसी आवश्यकता महसूस की गई कि हर समय संशोधन विधेयक लाने के बजाय एक व्यापक विधान लाने की जरूरत है।

मेरा तीसरा प्रश्न यह था कि इस विधेयक में कुछ गैर-कानूनी उपबन्ध हैं जिन्हें न्यायालयों में रद्द घोषित किये जाने की संभावना है क्योंकि कुछ वर्गों की वस्तुओं को छूट देने के मामले

में सरकार को ऐसी शक्तियां दी गई हैं जिनका प्रयोग वह पूर्णतः अपने स्वविवेक पर अथवा अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकती है। इन उपबन्धों के अधीन वह परिस्थितियों का उल्लेख किये बिना कुछ वस्तुओं के मामले में छूट दे सकती है।

चूंकि मंत्री महोदय ने इन तीन महत्वपूर्ण तथा सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है, इसलिये मैं कहूंगा कि इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने का कोई औचित्य नहीं है।

सभापति महोदय : अब मैं श्री श्रीचन्द गोयल के संकल्प को सभा के मतदान के लिये रखता हूं प्रश्न यह है :

"यह सभा सीमा-शुल्क (संशोधन) अध्यादेश, 1969 (1969 का अध्यादेश संख्या 1) का, जिसे राष्ट्रपति द्वारा 3 जनवरी, 1969 को प्रख्यापित किया गया था, निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

सभापति महोदय : विधेयक के बारे में अब मैं परिचालन संबंधी प्रस्ताव संख्या 1 तथा 3 को सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendments were put and negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब खण्डवार चर्चा होगी।

Shri Onkar Lal Berwa : Sir, there is no quorum in the house.

सभापति महोदय : जब गणपूर्ति नहीं है तो अब सभा कल ग्यारह बजे (म० पू०) तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 21 मार्च, 1969/30 फाल्गुन, 1890 (शक) के 11 बजे (म० पू०) तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, the 21st March, 1969/Phalguna 30, 1890 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow. 7-7-69—600.